खण्ड-201, अंक-4
गुरूवार, 30 माघ, शक संवत् 1880
(19 फरवरी, 1959 ई0)

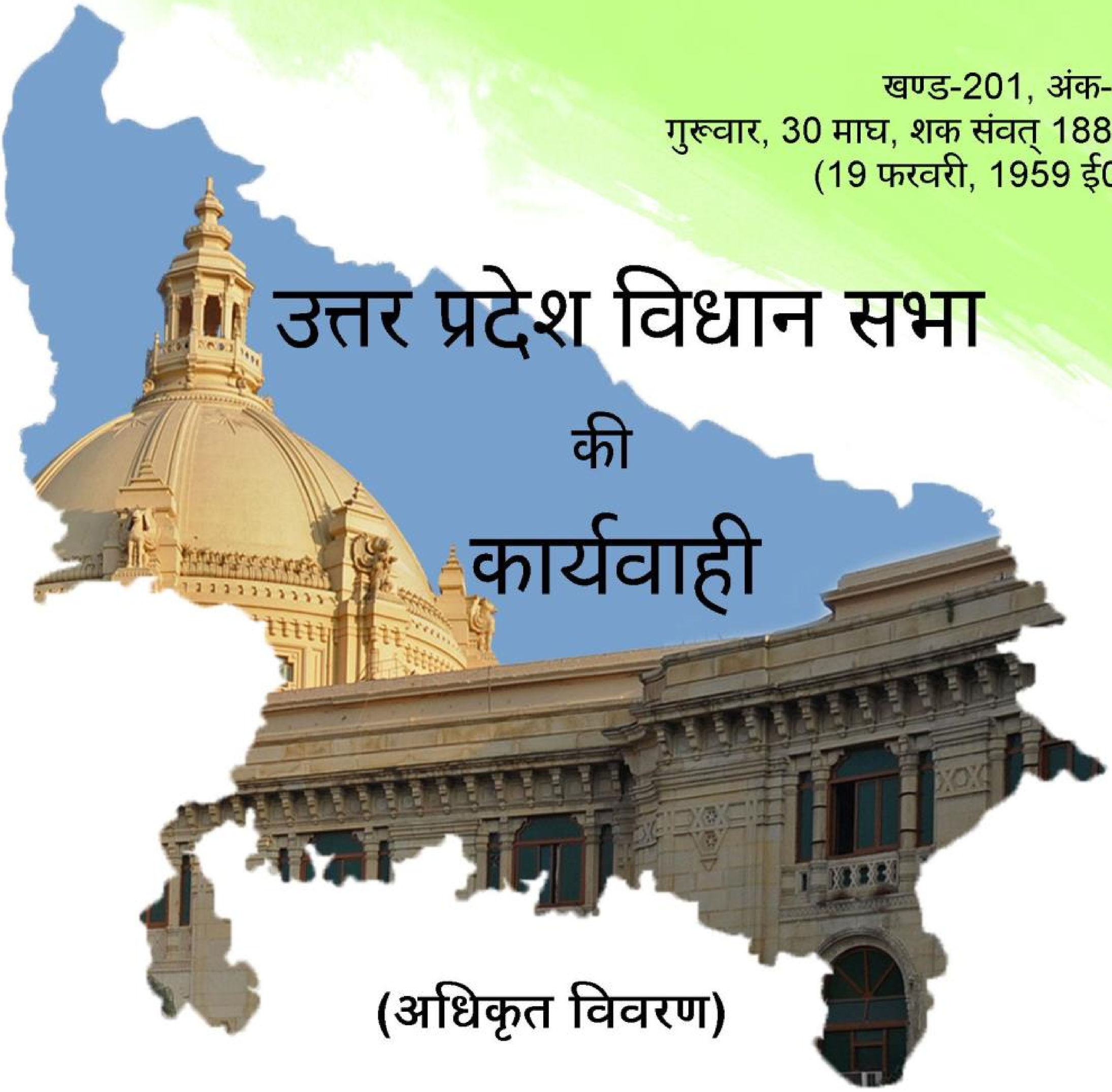

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बृहस्पतिवार, १९ फरवरी, १९५९

**विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई**

## उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रसाद सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगर सिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थसिंह, श्री (बरेली)
नत्थसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नारराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह , श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीनखां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती

सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## बृहस्पतिवार, १९ फरवरी, १९५९

## अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

### टांडा मन्डी में गेहूं न मिलने की शिकायत

****१--श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसको इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जिले की टांडा मंडी में गेहूं नहीं मिल रहा है ?

**खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)**--जी नहीं।

****२--श्री गनेशीलाल चौधरी**--यदि हां, तो सरकार उस कमी को पूरा करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--सरकार के पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार फैजाबाद जिले में बहुत समय से सस्ते गल्ले की ५४ दूकानें चल रही हैं और उनमें से १७ दुकानें टांडा तहसील में खोली गई हैं। इनके अतिरिक्त हाल ही में २ दूकानें और मुख्य रूप से टांडा के लिये स्वीकृत की गई हैं। इस प्रकार उक्त तहसील में कुल १९ दूकानें हैं।

**श्री गनेशीलाल चौधरी**--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद से इस प्रकार की कोई मांग आयी है कि टांडा मंडी में गेहूं नहीं मिल रहा है इसलिये सरकार द्वारा सस्ते गल्ले की दूकानें और खोली जायं ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--नहीं। हमने वहां के रीजनल फूड कंट्रोलर से कल बातें की थीं। पता चला कि जैसे और जगह मिल रहा है वैसे ही फैजाबाद में भी मिल रहा है।

## तारांकित प्रश्न

### लेबर वेलफेयर आफिसर्स

***१--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश में कुल कितने फैक्टरी वेलफेयर आफीसर इस समय कारखानों में काम कर रहे हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--इस समय इस प्रदेश में ११६ फैक्ट्रीज में कुल १३५ वेलफेयर आफीसर्स कार्य कर रहे हैं जिनमें १९ अतिरिक्त फैक्ट्री वेलफेयर आफीसर्स शामिल हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार के पास यह मांग आयी है कि यह जो फैक्टरी लेबर वेलफेयर आफिसर हैं इनको फैक्टरी मालिकों के अन्तर्गत न करके इनके सर्विसेज का राजकीयकरण कर दिया जाय?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं। ऐसी कोई मांग सरकार के पास नहीं आयी है और न कोई ऐसी बात इस वक्त विचाराधीन होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि लेबर वेलफेयर आफिसर्स असोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया है कि लेबर वेलफेयर आफिसर्स को मिल मालिकों के आर्डर्स पर काम करने में बहुत दिक्कत होती है और इसलिये उनकी सर्विसेज को इंडिपेंडेंट या गवर्नमेंट के अधीन करने पर विचार किया जाय?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वह स्कीम के अन्दर आता नहीं है। जिस आधार पर यह सारी योजना है उसके लक्ष्य से इसका कोई मेल नहीं है।

## शाहजहांपुर की केरो कम्पनी चीनी मिल द्वारा बोनस का वितरण

*२--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ के सीजन में शाहजहांपुर की केरो कम्पनी चीनी मिल ने कितना-कितना रुपया प्रतिवर्ष मजदूरों को बोनस में बांटा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

१९५३-५४ में रुपया ४६६८३.५० नया पैसा,
१९५४-५५ में रुपया ९७८८३.७२ नया पैसा,
१९५५-५६ में रुपया १०२०६३.५३ नया पैसा,
१९५६-५७ में रुपया ९६६४२.४१ नया पैसा,
१९५७-५८ का अभी बोनस नहीं बांटा गया है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतलायेगी कि प्रतिवर्ष के जो आंकड़े दिये गये हैं इनमें सौ रुपये या उससे भी अधिक पाने वालों को भी बोनस मिल रहा है, वह भी शामिल है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह सभी एम्प्लाईज का बोनस है। वेतन कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सौ रुपया पाने वालों को कितना बोनस मिला और उससे ऊपर वालों को कितना बोनस मिला? यह मैं सिर्फ एक वर्ष १९५६-५७ के आंकड़ों में जानना चाहता हूं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मिल मालिकों ने १९५७-५८ का बोनस क्यों नहीं दिया इसकी कोई सूचना है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अभी उसकी राजाज्ञा हुई है। जब राजाज्ञा हो जाती है तब वह बांटते हैं।

## कानपुर की सूती मिलें

*३--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर की कितनी सूती मिलें प्रबन्धकों (Authorized Controllers) के अधीन कार्य कर रही हैं तथा कब-कब से?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---कोई नहीं।

*४---कुंवर श्रीपाल सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास इस प्रकार की कोई सूचना आई है कि कानपुर की कतिपय सूती मिलें जो अथराइज्ड कंट्रोलर द्वारा चलाई जा रही हैं उनके पास ३१ जुलाई, १९५८ तक (संचित कोष) तथा मिल मालिक और मजदूरों का (अंशदान) मिला कर एक बड़ी धनराशि बकाया में पड़ी है? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है तथा कब से पड़ी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता।

## बुढ़ापे की पेंशन

*५---डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में जिलेवार कितने आदमियों ने बुढ़ापे की पेंशन के लिये दरख्वास्तें दीं, उनमें से कितनी डी० एम० ने नामंजूर कर दीं और कितनी लेबर कमिश्नर को भेजी गईं, उसने कितनी नामंजूर कीं, और कितनी मंजूर कीं और कितनी विचाराधीन हैं और दरख्वास्त देने वालों में कितने मर्द व औरतें हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वांछित† सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

डाक्टर जयगोपाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आयी हुई दरख्वास्तों में से ५० फीसदी तक नामंजूर कर दी हैं, इसकी क्या वजह रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो लोग सैंक्शन पाने के हकदार माने जाते हैं उनकी उम्र के सम्बन्ध में, उनके जीवित सम्बन्धियों के सम्बन्ध में और दूसरी तरह से सब निश्चित रूपरेखाएं दी हुई हैं। यदि नियमों के विरुद्ध कोई अर्जी देता है तो उन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है। इन्हीं कारणों से जिलाधीशों ने इन अर्जियों को नामंजूर कर दिया होगा।

डाक्टर जयगोपाल---यह सब छानबीन जिलाधीश की ओर से हो जाने के बाद फिर लेबर कमिश्नर ने भी काफी तादाद में दरख्वास्तों को नामंजूर किया है, उसका क्या कारण है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह सेंकिंड स्कीम हमारी है जिसके अन्तर्गत चीजों को रख-कर हम देखते हैं। यदि जिलाधीश के कार्यालय में कोई चूक रह गई, वह किसी बात को ओवर-लुक कर गये तो वह यहां निगाह के सामने आ जाती है तब उसका पकड़ना होता है। चूक थोड़े ही सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले से दरख्वास्तें बहुत कम पेंशन की आई हैं इसलिये कि वहां पर प्रकाशन नहीं हो सका?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं यह नहीं जानता हूं कि प्रकाशन कम हुआ है। हमारी तरफ से एलान सारे सूबे के लिये हुआ था। यदि माननीय सदस्य के जिले में रह गई तो मैं ऐसा नहीं समझता। हमारी तरफ से सूचनाएं भेजी गईं। पंचायतों के पास गईं और उन्होंने उसका एलान किया। माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र से कितनी दरख्वास्तें भेजीं वह खुद जानते होंगे।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछली बुढ़ापे की पेंशन कमेटी ने कुछ कायदों को रिलेक्सेशन करने का फैसला किया था तो उसका आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर को दिया था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, उस कमेटी के समाप्त होने के ४ रोज बाद ही वह आदेश यहां से प्रचालित कर दिये गये थे।

---

†सूचना छापी नहीं गई।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुल प्रदेश से कुल कितनी अर्जी आईं, कितनी मंजूर की गईं और कितनी मंजूर नहीं की गईं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--कुल प्रदेश से १७,९२८ अर्जी आई थीं जिस में जिलाधीश ने १०,७९४ अर्जियां नामंजूर कर दीं। ६११ श्रम आयुक्त ने नामंजूर कीं। ३८१ विचाराधीन थीं। ४,३४९ स्वीकृत हुईं। यह सूचना ३० नवम्बर सन् १९५८ तक की मेरे पास है।

**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)--इस वक्त की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि बूढ़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार इस बजट की पेंशन रकम को बढ़ाने की सोच रही है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--हमारी इस योजना के अन्दर जितने लोगों को पेंशन की जरूरत हमको देने की पड़ेगी उतना पर्याप्त धन हमारे पास मौजूद है। जैसे-जैसे और धन की आवश्यकता होगी उसके लिये हम सदन के सामने आयेंगे।

**श्री उग्रसेन**--क्या मंत्री महोदय इस बात को देखते हुये कि माल विभाग में इसकी जांच में बहुत खामी रह जाती है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा इन दरख्वास्तों की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--मान्यवर, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि जिस अच्छे तरीके से, जितनी जल्दी और जिस कम शिकायत के साथ श्रम आयुक्त ने इस काम को किया है, वह प्रशंसनीय है। मैं यह इसलिये नहीं कहता कि मेरा सम्बन्ध श्रम विभाग से है किन्तु वास्तव में ऐसा हुआ है।

## फैजाबाद रोजगार कार्यालय

*६--**श्री सुखराम दास** (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद रोजगार कार्यालय में सन् १९५८ में अब तक कितने व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--जिला सेवायोजन कार्यालय फैजाबाद में सन् १९५८ में ३० नवम्बर तक ५,०७५ व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया जिसमें से ४४६ हरिजन थे। पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति का पंजीकरण इस काल में नहीं हुआ।

**श्री सुखराम दास**--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिन हरिजनों को पंजीकृत किया गया है उनमें से कितने हरिजन नौकरियों में लिये गये और किन-किन पदों पर ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*७--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २६ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

## मिनिमम वेजेज ऐक्ट का प्रवर्तन

*८--**डाक्टर जयगोपाल**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट छापाखानों के मजदूरों पर Minimum Wages Act लागू है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसको लागू करने का विचार करेगी ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--जी नहीं। प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

**डाक्टर जयगोपाल**--इस पर निर्णय करने के लिये सरकार कितना समय लेगी ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--मान्यवर, एक बात मैं यहां कह दूं। मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत कौन-कौन उद्योग आ सकते हैं यह एक ऐक्ट नं० ११ आफ १९४८ पार्लियामेंट का बनाया हुआ है उससे गवर्न होता है। हमारी सरकार को सिर्फ यह अधिकार है कि इस ऐक्ट को कार्यान्वित करने के लिये एक सलाहकारिणी समिति बना दे। उस सलाहकारिणी समिति ने हमको सिफारिश की है कि प्रिंटिंग प्रेसेज भी इस कानून के अन्तर्गत जो शेड्यूल है उसमें शामिल कर दिये जायं। अब उस सिफारिश पर हम विचार कर रहे हैं और जब वह विचार समाप्त हो जायगा तो हमको केन्द्रीय सरकार को लिखना है कि इस सिफारिश पर हमारा यह विचार है। आशा करता हूं कि हम इस पर अपने विचारों को अंतिम रूप से शीघ्र ही निश्चित कर सकेंगे।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सलाहकारिणी समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--इस वक्त मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, लेकिन वह एक त्रिदलीय समिति है और मैं अगर भूलता नहीं हूं तो माननीय गेंदा सिंह जी भी उसमें हैं।

**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जूट मिलों पर भी यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह प्रश्न भी समिति के विचार के लिये आया है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--मैं इस वक्त अलग से नहीं कह सकता। सलाहकारिणी समिति ने जिन-जिन उद्योगों के संबंध में हमको सुझाव दिया है उस पर विचार कर उसकी राय के संबंध में अपनी राय भेजने के संबंध में हम तल्लीन हैं।

**श्री एस० जी० दत्त** (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छापेखानों में जो काम करने वाले हैं वे वर्कमैन की कैटेगरी में इंडस्ट्रियल ऐक्ट की तहत में आते हैं या नहीं ? अगर आते हैं तो क्या यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट में आते हैं या नहीं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में जो वर्कमैन की परिभाषा है वह तो इतनी वाइड है कि उसमें बहुत से लोग आते हैं और यह भी आते हैं। मिनिमम वेजेज ऐक्ट में सरकार का खास तौर से कर्त्तव्य रखा गया है कि वह हर एक ऐसे उद्योग को, जो इस शेड्यूल में दिये हुए हैं, उनमें मिनिमम वेजेज निर्धारित कर दे, लेकिन मिनिमम वेजेज ऐक्ट में जो शेड्यूल है उसमें कहीं भी प्रेस का नाम नहीं है।

**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस त्रिदलीय समिति में जिसमें गेंदा सिंह जी हैं वह किसी दल की तरफ से हैं या छापेखाने की तरफ से या सरकार की तरफ से हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--इसमें छापेखाने के प्रतिनिधि नहीं होते। इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्त्ता होते हैं और गेंदासिंह जी का सामाजिक कार्यकर्त्ता होना यह सरकार स्वीकार करती है, मुझे नहीं मालूम कि उधर क्या हाल है।

*९-१०--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--[५ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## ऋषिकेश से "शाप ऐन्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट" के प्रवर्तन की मांग

*११--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला देहरादून के ऋषिकेश के बाजार कर्मचारी संघ की ओर से उसके पास यह मांग आई है कि ऋषिकेश में "शाप ऐंड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट" लागू किया जाय ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी हां। इस पर सरकार अभी विचार कर रही है ?

## प्रतापगढ़ जिले में बुढ़ापे की पेन्शन

*१२—**श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में बुढ़ापे की पेन्शन कुल कितने आदमियों को मंजूर हुई और कितने लोगों को मिलने लगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—प्रतापगढ़ जिले में वृद्धावस्था की पेंशन कुल ३१ व्यक्तियों को स्वीकृत हुई। इनमें से ५ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, अतः शेष २६ व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है।

## धातु के बर्तन बनाने के कारखाने

*१३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में पीतल और अन्य धातुओं के बर्तन बनाये जाते हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—संलग्न सूची में उल्लिखित जिलों में बर्तन बनाने का काम होता है। यह उद्योग मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़ तथा कानपुर जिलों में मुख्य रूप से चल रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७६ पर)

*१४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो कारखाने बर्तन बनाने के प्रदेश में चल रहे हैं उनको सरकार व्यापार की प्रगति के लिये किस रूप में कितनी कितनी सहायता देती है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—बर्तन उद्योगकर्त्ताओं को नियमित रूप से सहायता नहीं दी जाती। सरकार की ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने का आयोजन है। जो लोग इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की मांग करते हैं उनके प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर उचित आर्थिक सहायता दी जाती है। कच्चे माल की पूर्ति विभिन्न मामलों में, उनकी आवश्यकता तथा माल की उपलब्धि को ध्यान में रखकर, भिन्न-भिन्न की जाती है। टेक्निकल परामर्श भी दिया जाता है।

*१५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में इस समय कितने कारखाने बर्तन बनाने के चल रहे हैं और उन कारखानों में प्रगति लाने के लिये सरकार कितनी सहायता और किस-किस रूप में देती है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—(क) ३३।

(ख) पूर्व प्रश्न संख्या १४ के उत्तर की ओर कृपया ध्यान दिया जाय।

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इन बरतनों के व्यापार मंडल की ओर से सरकार के पास सेल्स टैक्स माफ करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को जानकारी है कि बनारस में पीतल का कारखाना म्युनिसिपल बोर्ड की चुंगी का अधिक रेट होने के कारण इस समय ठप हो रहा है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—यह तो म्युनिसिपैलिटी के दायित्व का प्रश्न है जिसकी ओर माननीय सदस्य उनका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। हमें जानकारी नहीं है कि किस कारण से ठप हो रहा है।

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इसमें जो टेक्निकल परामर्श दिया जाता है वह क्या किसी खास स्थान पर दिया जाता है और क्या उसके लिये कोई इन्सपेक्टर वगैरह नियुक्त हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—इसमें कोई सेन्टर का सवाल नहीं है। टेक्निकल परामर्श तो इस तरह की दी जाती है कि किस तरह के बर्तन बनाये जायं, उनका क्या पैटर्न हो इत्यादि, इस तरह का परामर्श कानपुर में जो हमारा इन्डस्ट्रीज का डाइरेक्टोरेट है वहां जो लोग परामर्श लेने के लिये जाते हैं उनको दे दिया जाता है, लेकिन इसके लिये अलग से कोई इन्स्टीट्यूट वगैरह नहीं हैं।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर के शामली और शाहपुर स्थानों पर पीतल के बड़े भारी कारखाने हैं और बिजनौर के नजीबाबाद में भी पीतल की बड़ी मिलें हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—जी हां, मुरादाबाद के सम्बन्ध में जैसा कहा गया है और सूची दी गई है उसमें मुजफ्फरनगर का १४ वां स्थान है। मंजूर करता हूं कि वहां पर बहुत अच्छा काम होता है।

***१६-१७—श्री गनेशीलाल चौधरी**—[५ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## डी० एस० पी० का चुनाव

***१८—श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आज से चार-पांच वर्ष पूर्व पब्लिक प्रोसीक्यूटरों, लाइन इन्सपेक्टरों और सर्किल इन्सपेक्टरों में से भी डी० एस० पी० (D. S. P.s) का चुनाव होता था। किन्तु अब नहीं होता है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अप्रैल, १९५० से पहले ऐसा होता था किन्तु १ अप्रैल, १९५० से पब्लिक प्रोसीक्यूटरों का कडर अलग कर देने के कारण केवल लाइन इन्सपेक्टरों तथा सर्किल इन्सपेक्टरों में से ही डी० एस० पी० का चुनाव होता है। पब्लिक प्रोसीक्यूटरों का चुनाव सीनियर पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद पर, जो डी० एस० पी० के पद के बराबर है, होता है।

***१९—श्री मुक्तिनाथ राय**—यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—डी० एस० पी० और पब्लिक प्रोसीक्यूटर के काम भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं।

**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या माननीय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर सिविल पुलिस फोर्स से लिये गये हैं उनका कैडर अलग नहीं है और वे डी० वाई० एस० पी० के लिये चुने जा सकते हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—इस समय इस बात की सूचना नहीं है।

**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स में से ही जिले के सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी नहीं।

## आसफपुर से प्रशिक्षित ग्राम सेवक

*२०--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आसफपुर, जिला बदायूं के शिक्षा केन्द्र पर १९५७-५८ में कितने वी० एल० डब्ल्यू० ट्रेन्ड किये गये ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)--५५ ।

*२१--श्री देवनारायण भारतीय--उनमें से कितने वी० एल० डब्ल्यू० अब तक काम पर लगाये जा चुके हैं और कितने शेष हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--इनमें से ३५ ग्राम सेवक पद पर लगाये जा चुके हैं और २० बाकी हैं ।

*२२--श्री देवनारायण भारतीय--उपर्युक्त जिन वी० एल० डब्ल्यू० को अब तक काम नहीं दिया गया है क्या सरकार उन्हें शीघ्र काम पर लगाने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--उन्हें अन्य पदों पर लगाये जाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ३५ ग्राम सेवकों में से जो पद पर लगाये जा चुके हैं, ३१-३-५८ से पहले और बाद में कितने-कितने लगाये गये ?

श्री सुल्तान आलम खां--नोटिस चाहिये ।

श्री देवनारायण भारतीय--जो २० ग्राम सेवक शिक्षित शेष रह गये हैं उनको कहीं अन्य पदों पर अभी तक लगाया जा सका है या नहीं ?

श्री सुल्तान आलम खां--कोशिश यह की गई है कि इनको कोआपरेटिव के सुपरवाइजर या पंचायत के मंत्रियों के पदों पर नियुक्त किया जाय और उनको इत्तला भी दी गई थी, लेकिन कई इन्टरव्यू के लिये नहीं आये । अब फिर कोआपरेटिव विभाग को लिखा गया है कि इनको भी मौका दिया जाय । इसके अलावा, ३ साल तक नौकरी करने को बान्ड जो इनको देनी पड़ी थी उससे भी बरी कर दिया गया है और वे चाहें तो कहीं और भी नौकरी कर सकते हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या भविष्य में कोई विकास केन्द्र खुलने वाले नहीं हैं जिससे इनको दूसरी जगह भेजा जा रहा है ?

श्री सुल्तान आलम खां--पिछले साल से खुलने वाले ब्लाकों की संख्या बहुत कम कर दी गई है और ट्रेन्ड पहली संख्या के हिसाब से कराये गये थे । इसलिये सबको जगह देना नामुमकिन हो गया है और दूसरे विभागों में कोशिश की जा रही है ।

## भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के कार्य

*२३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में भ्रष्टाचार कमेटी नियुक्त है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रदेश के समस्त जिलों में भ्रष्टाचार विरोधी समितियां कार्य कर रही हैं ।

*२४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कमेटियां बनी हैं उन कमेटियों की सिफारिश से १९५६-५७ तथा १९५७ और १९५८ जुलाई तक कितने मामलों में लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और कितने लोगों को सजा मिली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---भ्रष्टाचार-विरोधी समितियों की सिफारिश से १९५६-५७ में ६५ मामलों में तथा १९५७-५८ में जुलाई तक ५७ मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और क्रमशः ३४ तथा २६ व्यक्तियों को दंड दिया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दंडित लोगों में कितनों को विभागीय सजा दी गई और कितनों को अदालत द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूचना की जरूरत है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---इनमें कितने गजेटेड अफसर थे और कितने नान गजेटेड थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गजेटेड अफसर कोई नहीं हैं।

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक समितियों का चेयरमैन कौन होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक गैरसरकारी आदमी होता है।

श्री राजनारायण---वह गैर सरकारी आदमी किस आधार पर नियुक्त किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिनके ऊपर जनता का विश्वास समझा जाता है और जिन्हें ईमानदार और इस मामले में दिलचस्पी लेने वाला समझा जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---भ्रष्टाचार निरोधक समितियों ने कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५६-५७ में ४५२ और १९५७-५८ में ५३१ के विरुद्ध।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश आई उसके बहुत ही अल्पांश के विरुद्ध कार्यवाही करने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कार्यवाही करने का मतलब यह होता है कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई हो या अदालती की गई हो, लेकिन सैंश्योर या तबादले होने वालों की बात इसमें नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या १९५६-५७ में ८९ थी और १९५७-५८ में ६० थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री इस प्रकार का आम आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि भविष्य में इन कमेटियों की सिफारिशों पर अधिक कड़ी कार्यवाही की जाय और ज्यादा ध्यान दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समय-समय पर हम ऐसे आदेश देते ही रहते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बहुत सी ऐसी कमेटियां उत्साह के साथ काम नहीं कर रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं कैसे कहूं, मैं समझता हूं कि उत्साह से ही करती होंगी अगर करती हैं तो।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या मुख्य मंत्री जी इन कमेटियों में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, एन्टी करप्शन, को भी नामजद करने की कृपा करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---इस प्रश्न पर कई बार विचार किया गया। पहले शिकायत हुई थी कि सरकारी आदमी के रहने से कमेटी के सदस्यों को विचार करने में असुविधा होती है। इसलिये हमने सरकारी आदमियों को हटा लिया

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)---इन समितियों की सिफारिशों की जांच विभागीय कर्मचारियों द्वारा होती है या एन्टी करप्शन अफसर द्वारा होती है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---आम तौर से विभाग द्वारा।

**श्री राजनारायण**---क्या सरकार को मालूम है कि वाराणसी जिले में जिस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था उसी को सरकार ने उस कमेटी का सभापति नियुक्त कर दिया है ?

**श्री अध्यक्ष**---यह मूल प्रश्न से नहीं उठता है तथापि अगर मुख्य मंत्रीजी चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---मुझे इसकी बिलकुल सूचना नहीं है लेकिन मैं इसका पता लगाने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर ऐसा हुआ है तो अफसोस की बात होगी।

## राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से इन्सेट का गायब होना

*२५---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार को इस प्रकार की सूचना मिली है कि सन् १९५६ ई० में ऐशबाग, लखनऊ स्थित राजकीय मुद्रणालय से एक मोल्ड (mould) जिसकी कीमत १,७५० रुपया थी चोरी चला गया था तथा उसके स्थान पर बालू भरी पायी गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---जी नहीं। परन्तु एक मोल्ड का एक हिस्सा जिसे इन्सेट कहते हैं खो गया था, जो नहीं मिल रहा था और जिसकी जगह बालू भरी पाई गई थी, अब तलाश के बाद मिल गया है।

*२६---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ शाखा के लिये सन् १९४९ ई० से अब तक कितने मोल्ड (mould) खरीदे गये ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग के लिये १९४९ ई० से अब तक कुल ७९ मोल्ड खरीदे गये हैं।

**श्री प्रतापसिंह**---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मोल्ड का हिस्सा खो गया उसके क्या कारण थे और कौन जिम्मेदार हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---वहीं बाद में पड़ा हुआ मिला। कैसे या किससे खोया गया, इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी पर नहीं डाली जा सकी है।

**श्री प्रतापसिंह**---क्या मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इस भाग के खोने से छापेखाने की कितनी हानि हुई ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मोल्ड का एक हिस्सा, इंसेन्ट खोया था। हानि की जानकारी मेरे पास नहीं है।

**श्री भगवतीसिंह विशारद**---जितने दिनों इन्सेंट गायब रहा उतने दिन प्रेस का कार्य कैसे चलाया जाता रहा, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--इन्सेट के बिना भी मशीन चल सकती है । जितने प्वाइंट का ढालना होता है उतने प्वाइंट का इन्सेट मोल्ड में लगाते हैं । ४८ प्वाइंट का ढालना था तो वह था ।

**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मोल्ड के अलहदा-अलहदा क्या नम्बर थे, किस कंपनी से खरीदे गये थे, और क्या उनके इनवायस की ट्रू कापी सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--किस किस कंपनी से खरीदे गये थे और कौन कौन नम्बर के आय तथा इनवायस के संबंध में नोटिस की आवश्यकता होगी । अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

## राष्ट्रीय इंटर कालेज, तेन्दुआई कलां के छात्रावास का अनुदान

*२७--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राष्ट्रीय इंटर कालेज, तेन्दुआई कलां पोस्ट देवरिया, जिला फैजाबाद के छात्रावास भवन निर्माण हेतु जिला नियोजन समिति फैजाबाद द्वारा जनवरी सन् १९५५ में अनुदान देने का प्रस्ताव पास हुआ था ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--जी हां । प्रस्ताव दिनांक ३ जनवरी, १९५५ को इस रूप में स्वीकृत हुआ था कि श्री तेज प्रताप सिंह, सहायक प्रबन्धक, राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रार्थना-पत्र दिनांक ३ जनवरी, १९५५ पर जांच करके पंचायत निरीक्षक रिपोर्ट जिलाधीश महोदय के पास स्वीकृति हेतु शीघ्र भेजें ।

*२८--**श्री विश्रामराय**--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार प्रबन्धक समिति द्वारा एक भवन निर्माण सम्पन्न हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नियोजन समिति ने स्वीकृत अनुदान की धनराशि अब तक क्यों नहीं अदा की ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--जी हां । भवन निर्माण सम्पन्न हो चुका है । पंचायत निरीक्षक ने उक्त भवन का मूल्यांकन ३ हजार पांच सौ रुपये अनुदान देने की रिपोर्ट जिलाधीश को २५ मार्च, १९५५ को दी थी जिस पर जिलाधीश ने १,५०० रु० का अनुदान इस भवन के लिये स्वीकृत किया । ३० मार्च, १९५५ को अनुदान की धनराशि का भुगतान भी कर दिया गया था ।

**श्री विश्रामराय**--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ३,५०० रु० में से १,५०० रु० के बाद शेष रकम कब तक अदा की जायगी ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--१,५०० रु० के लिये सिफारिश आई थी जिसका जिलाधीश ने भुगतान कर दिया और रुपये देने का सवाल पैदा नहीं होता । यह वायदा नहीं किया गया था कि सब रुपया दे दिया जायगा । बल्कि जिलाधीश को वहां की कमेटी ने यह इजाजत दी थी कि उसके लिये जितनी रिपोर्ट आये, उसके मुताबिक वे पेमेन्ट कर दें । १,५०० रु० की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक भुगतान कर दिया गया ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रस्ताव जो जनवरी, १९५५ में पास हुआ था, वह कितने रुपये का पास हुआ था ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--प्रस्ताव यह पास हुआ था कि तेज प्रताप सिंह, सहायक प्रबंधक के प्रार्थना-पत्र पर पंचायत निरीक्षक जांच करके अपनी रिपोर्ट स्वीकृति के लिये पेश करें ?

## गोरखपुर रीजन में बस कन्डक्टरों से पदोन्नत बुकिंग क्लर्क

*२९--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९५८ से जुलाई, १९५८ तक गोरखपुर रीजन में कितने बस कन्डक्टरों को तरक्की देकर असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क बनाया गया ?

**राजस्व मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)**--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

**श्री यमुनासिंह**--क्या सरकार यह बतायेगी कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

**श्री धर्मसिंह**--शीघ्रातिशीघ्र कोशिश की जा रही है।

## यू० पी० प्लानिंग आफिस, लखनऊ का आडिट

*३०--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० प्लानिंग आफिस, लखनऊ का १९५८ ई० में आडिट हुआ ? यदि हां, तो क्या कोई आडिट एतराज हुये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उनके दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--जी हां, विकास आयुक्त कार्यालय का आडिट इस वर्ष (१९५८) जुलाई-अगस्त में हुआ है। आडिट रिपोर्ट जो सरकार को प्राप्त हुई है, उसके अनुसार निम्नांकित मुख्य एतराज हुये हैं--

१--अमरीकी एड के अंतर्गत कुछ अनावश्यक क्रय।

२--पर्यटन शाखा के लिये कुछ वस्तुओं का क्रय जिससे सरकार को अभी तक कोई आय नहीं हुई है।

३--ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० ट्रेनीज को स्टडी टूर के लिये दिया गया भत्ता अधिक था।

महागणक की इन आपत्तियों की जांच की जा रही है जिसके उपरान्त उनको दूर करने की आवश्यक कार्यवाही की जायगी। यह आपत्तियां प्रारम्भिक हैं और इनमें से अधिकांश को, स्पष्टीकरण के बाद, समाप्त हो जाने की सम्भावना है।

**श्री हिम्मतसिंह**--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पुराने पंखों के बारे में कुछ आडिट आब्जेक्शन है कि पुराने पंखों को बेच दिया गया और उनका रुपया जमा नहीं किया गया ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--मैंने बतलाया कि तीन किस्म के ऐतराजात की जांच की जा रही है। कुछ ऐतराजात तो ऐक्सप्लेनेशन के बाद खत्म हो जायेंगे और बाकी पर गवर्नमेंट मुनासिब कार्यवाही करेगी।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)**--श्रीमन्, जो प्रश्न पूछा गया वह दूसरा था। क्या यह सही है कि आडिट एतराज में एक एतराज यह भी था कि पुराने पंखे बेचे गये और उनका पैसा गवर्नमेंट एकाउन्ट्स में जमा नहीं किया ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--ऐसी इत्तला मेरे पास इस वक्त नहीं है।

**श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)**--माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर ऐसी कोई इत्तला नहीं है तो माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि पुराने पंखों के स्थान पर नये पंखे लगाये गये हैं ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

## शुगर केन सेस

*३१--श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश से कितना रुपया शुगर सेस के रूप में केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होता है और १९५६-५७, १९५७-५८ में कितना शुगर सेस का रुपया प्राप्त हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शुगर सेस के रूप में कोई कर वसूल नहीं किया जाता है ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शुगर केन सेस के रूप में सन् ५५-५६, ५६-५७ और ५७-५८ में कितना रुपया वसूल हुआ है और उनकी कितनी धनराशि केन्द्रीय सरकार को दी गयी है तथा कितनी धनराशि प्रादेशिक सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, शुगर सेस के बारेमें सवाल पूछा गया था और उसी के सम्बन्ध में सूचना मैंने दी है, अगर शुगर केन सेस के बारे में कुछ सवाल हो तो, अलग से सवाल करने पर उसका जवाब दिया जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सवाल शुगर केन सेस के बारे में ही है लेकिन छप गया है शुगर सेस ?

श्री अध्यक्ष---गलत नहीं छपा है, यह तो प्रश्नकर्त्ता की गलती है ।

## रेशम के कीड़े

* ३२---श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसमें कितने अधिकारी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) जी हां ।

(ख) दस ।

## कन्नौज का प्री-एक्सटेन्शन स्टेज विकास खंड

*३३---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कन्नौज छाया विकास खंड कब से N.E.S. ब्लाक के रूप में बदल जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---राष्ट्रीय प्रसार सेवा की १ अप्रैल, १९५८ से, संशोधित प्रणाली के अनुकूल, अब राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड नहीं होते । उनके स्थान पर अब स्टेज १ के खंड होते हैं । स्टेज १ के अन्तर्गत नये खुलने वाले खंड १ वर्ष के "प्रि-एक्सटेन्शन स्टेज" (प्रसार के पूर्व की स्थिति) में रक्खे जाते हैं, जो कृषि विकास के कार्यों के लिये होता है ।

फर्रुखाबाद जिले का कन्नौज खंड १ अप्रैल, १९५८ "प्रि एक्सटेन्शन स्टेज" में है, तथा १ अप्रैल, १९५९ को स्टेज १ का खंड बना दिया जावेगा ।

श्री होरीलाल यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस खंड के अन्तर्गत कितनी गांव सभायें हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---यह तो माननीय सदस्य को खुद मालूम होगा, मुझे तो इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री होरीलाल यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेज १ में इस खंड के आने पर इस पर कितना रुपया व्यय किया जायगा ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--अब ऐसा इन्तजाम किया गया है कि स्टेज-१ में ५ साल तक यह खंड रहेगा, इसके बाद स्टेज -२ आयेगा । स्टेज -१ में १२ लाख रुपया दिया जाता है जो ५ साल में खर्च किया जाता है ।

## श्री गयाप्रसाद सदस्य विधान सभा का पत्र

*३४--**श्री राजनारायण**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गया प्रसाद एम० एल० ए० ने मुख्य मंत्री को गत २७ अगस्त को कोई पत्र भेजा है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--पत्र की तारीख २६ अगस्त है ।

*३५--**श्री राजनारायण**--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उनके पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--पत्र विचाराधीन है ।

**श्री राजनारायण**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि श्री गयाप्रसाद के पत्र के मुख्य मुख्य विषय क्या हैं और इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--मुख्य मुख्य विषय बतलाये देता हूं। वे गंभीर हो सकते हैं लेकिन उन पर विचार करना आसान नहीं है । मसलन यह कि हरिजनों और निर्धन लोगों के साथ भूतपूर्व जमींदार, कुछ वर्ग के लोग, प्रधान और सरपंच ज्यादती करते हैं । लेकिन कोई मिसाल नहीं दी है । कोई मिसाल दी होती या नाम लिया होता तो आसानी से जांच हो सकती थी । सरपंच साहब गलत तरीके से भूमिहीनों को जमीन न देकर अपने भाई भतीजे व रिश्तेदारों तथा जाति वालों को जमीन दे दिया करते हैं । इसमें भी अगर कोई मिसाल हो तो जांच की जा सकती है । जिला बोर्ड की व सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे जो किसानों के पेड़ हैं उनका नीलाम बोर्ड द्वारा करा लिया जाता है । पुलिस इन सब अत्याचारों को रोकने के बजाय रिश्वत लेती है, गलत ढंग से लोगों को फंसाने की कोशिश करती है । मुसलमानों, हरिजनों व पिछड़ी जाति के लोगों को परेशान करती है तथा उनके साथ ज्यादती करती है । जिला व तहसील कोर्टों में मैजिस्ट्रेट समय से न आकर १२, १ बजे इजलास पर बैठते हैं । इसकी जांच की जा सकती है लेकिन सरपंच व पंच की बेईमानी की शिकायत जो है नाम न दिये जाने के कारण जांच नहीं हो सकती और रिश्तेदारों की जांच करना आसान नहीं है ।

**श्री राजनारायण**--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब श्री गया प्रसाद जी ने निश्चित तारीख भूख हड़ताल की घोषित कर दी थी और जब जिलाधीश से उनकी बातचीत हुई उस पर उन्होंने भूख हड़ताल स्थगित कर दी तो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने समुचित जांच करके कोई कार्यवाही नहीं की ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--बातचीत हुई और गया प्रसाद जी ने भूख हड़ताल स्थगित करके बहुत अच्छा किया लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये जांच करना बहुत मुश्किल था कि किस भाई भतीजे को जमीन दी गयी और किसके साथ अन्याय किया गया जब कि कोई नाम नहीं दिया गया ।

**श्री राजनारायण**--गया प्रसाद जी ने जिलाधीश को नाम भी दिये और स्थान भी दिये तब जिलाधीश को जांच करने में क्या आपत्ति थी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अगर ऐसा है तो उनको गवर्नमेंट को सूचना देना चाहिये थी कि फलां तारीख को उन्होंने जिलाधीश को यह सब सूचना दी थी। गवर्नमेंट इस पर जांच करती । वरना वह जानें और जिला मैजिस्ट्रेट जानें ।

**श्री गेंदासिंह**--जब बिना नाम के जांच नहीं हो सकती थी तो क्या कोई पत्र गया प्रसाद जी को गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया कि कुछ नाम डेफिनिट केसेज के बारे में वे दें ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जब मालूम हुआ कि जिलाधीश से बातचीत हुई और भूख हड़ताल करने का निश्चय उन्होंने स्थगित कर दिया तो फिर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल**—जो पत्र विचाराधीन है जिसके सम्बन्ध में यहां बातें हो रही हैं वह पत्र गयाप्रसाद जी ने स्वयं लिखा था या किसी से लिखवा कर भेजा था ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—पत्र तो, मैंने टाइप के रूप में पाया है और उनके हस्ताक्षर मिलवाने की कोशिश की नहीं । इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता ।

**श्री राजनारायण**—क्या सरकार विशेष रूप से भगवतीप्रसाद शुक्ल पर यह अनुकम्पा करेगी कि उनको इस मामले में जांच करने के लिये अनुरोध करे ? (हंसी)

( कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

**श्री उग्रसेन**—जब गया प्रसाद जी ने यह लिखा कि मैजिस्ट्रेट लोग समय से अदालत नहीं आते हैं तो क्या इस बात की जांच की गयी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—इसकी बाबत जिलाधीश ने जांच की और अगर गलती पाई किसी की तो उसको ताकीद कर दिया कि सब लोग वक्त से कोर्ट आयें ।

## बंथरा में संग्रहालय स्थापित करने की कथित योजना

*३६—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला लखनऊ के बंथरा ग्राम में कोई (museum) स्थापित करने की योजना है ? यदि हां, तो किस प्रकार की और कितने खर्च से कितने समय में वह स्थापित हो जायेगा ।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी नहीं । बंथरा में किसी प्रकार का संग्रहालय शासन द्वारा खोले जाने का विचार नहीं है ।

*३७—**श्री रामशरण यादव**—क्या सरकार ने हाल में बंथरा में ऐतिहासिक चीजों की प्राप्ति के हेतु खुदाई कराई है यदि हां, तो अब तक क्या-क्या वस्तुयें प्राप्त हुईं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—शासन ने अब तक वहां कोई भी खुदाई नहीं कराई है ।

*३८—**श्री रामशरण यादव**—उपर्युक्त खुदाई में कुल कितना व्यय ३१ जुलाई, १९५८ तक सरकार का हुआ ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—यह प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रामशरण यादव**—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि खुदाई होने पर क्या शासन को अन्य प्रकार की ऐतिहासिक चीजें प्राप्त हुई हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

## विकास क्षेत्र अधिकारी, डेरापुर के विरुद्ध शिकायतें

*३९—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विकास क्षेत्र अधिकारी, डेरापुर, कानपुर के संबंध में जिलाधीश कानपुर के पास कुछ शिकायतें आई हैं ।

**श्री सुल्तान आलम खां**—जी हां ।

*४०—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—यदि हां, तो उनके मुख्य तथ्य क्या हैं ? क्या सरकार उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--मुख्यतः ये शिकायतें क्षेत्र के लोगों से पंचायत टैक्स वसूल करते समय सरकारी कर्मचारियों द्वारा ज्यादती करने तथा क्षेत्र की जीप के दुरुपयोग करने के संबंध में हैं।

शिकायती-पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७७–३७८ पर)।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब शिकायतें प्राप्त हुईं और उनकी जांच की गई तो उसका क्या तथ्य निकला ?

**श्री सुल्तान आलम खां**----जितनी शिकायतें आयी थीं वह सब हाकिम परगना के पास भेज दी गईं जांच के लिये और उनकी रिपोर्ट यह है कि यह बिलकुल गलत हैं।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पत्र में जो दूसरा आइटम है कि पंचायत टैक्स दूसरे आदमी के नाम था और दूसरे आदमी का वारन्ट निकाल दिया गया, इस संबंध में जांच से क्या तथ्य निकला ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--इसकी भी जांच की गई। श्री मुन्नी काछी जो मर गये हैं, यह शिकायत थी कि उसके बजाय मुन्ना लाल शुक्ला के खिलाफ वारन्ट निकाल दिया गया वसूलयाबी का। इसकी भी जांच की गई और यह शिकायत गलत निकली। वाकया यह है कि इस मामले में यह दिक्कत डाल रहे थे और टैक्स वसूल करने में दिक्कत डाल रहे थे इसलिये ऐसा किया गया।

**श्री सुरथ बहादुर शाह** (जिला खीरी)--क्या सरकार बतायेगी कि इन शिकायतों में सब से गंभीर आरोप कौन सा था ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--मैंने जैसा जवाब में बताया शिकायतें यह की गई थीं कि पंचायत का टैक्स वसूल करने में ज्यादती की गई और जीप का इस्तेमाल गलत तौर पर किया गया। अब इसमें माननीय सदस्य खुद नतीजा निकाल सकते हैं कि कौन सी बड़ी शिकायत थी और कौन सी छोटी शिकायत थी।

**श्री राजनारायण**--क्या सरकार बतायेगी कि जब मुन्नीलाल काछी, इनके ऊपर पंचायत टैक्स बकाया था और आरोप पत्र में यह लगाया गया कि मुन्ना लाल शुक्ला के खिलाफ वारन्ट निकाला गया तो उस वारन्ट की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--इस वक्त तो वारन्ट की कापी मेरे पास नहीं है जो रख सकूं।

## सदर तहसील में साबुन उद्योग के लिये अनुदान

*४१--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की सदर तहसील में साबुन के उद्योग के लिये कितना ऋण तथा अनुदान पहली जनवरी सन् १९४८ से सरकार द्वारा अब तक दिया गया ?

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा**--ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत पहली जनवरी, १९४८ से अब तक जौनपुर जिले की सदर तहसील में साबुन उद्योग के लिये ७,५०० रु० ऋण तथा १,००० रु० अनुदान दिया गया।

**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह साबुन उद्योग अनुदान प्राप्त करने के बाद खुल गया या अभी तक नहीं खुला ? और यह अनुदान कब प्राप्त हुआ था ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--यह अनुदान १९५३-५४ में दिया गया था। इस अनुदान का इस्तेमाल जिस काम के लिये होना था, यानी साबुन उद्योग चलाने के संबंध में, उसके चालू होने की बात हमारे पास है।

**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ७,५०० रु० का अनुदान प्राप्त करने वाले विधान सभा की एक सदस्या के पति हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--जी नहीं, यह बिलकुल गलत है ७,५०० रु० का कोई अनुदान दिया ही नहीं गया।

## इटावा जिलेकी सरकारी समितियों में बैकवर्ड तथा परिगणित जातियों के सदस्य

*४२--**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितनी सरकारी कमेटियां हैं उनमें क्रमशः कितने-कितने बैकवर्ड और परिगणित जाति के व्यक्ति हैं।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--मांगी हुई सूचना एक तालिका में दी गई है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७९ पर)

**श्री भजनलाल**--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जेल गल्ला क्रय कमेटी में बकवर्ड और परिगणित जाति का एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं किया गया, ऐसा क्यों ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--मैं नहीं जानता क्योंकि हर जिले में जो इस किस्म की कमेटियां हैं वह मुझसे पूछकर तो बनी नहीं है। जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में लिखा हुआ है कि अमुक अमुक जाति के इतने आदमी हों।

**श्री भजन लाल**--क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेम्परेंस सोसायटी में ६० सदस्यों में से ५ ही बैकवर्ड क्लास के हैं और परिगणित जाति का एक भी नहीं है, इनके चुनने का आधार क्या है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--बैकवर्ड क्लास के ५ आदमी हैं, लेकिन परिगणित जाति के नहीं हैं। नियमों के अनुसार, जहां तक मुझे मालूम है, जिला मैजिस्ट्रेट को, अगर न हों, तो दो आदमी परिगणित जाति के मनोनीति करने चाहिये। अगर नहीं हैं तो हो जाएंगे।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**--बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सिफारिश को देखते हुए, क्या मुख्य मंत्री जी अब यह डाइरेक्टिव देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में इन कमेटियों में पिछड़ी जातियों और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को रक्खा जाय ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--यह कमेटी के स्वरूप पर निर्भर होता है। श्रीमन्, कमेटी में जाति बिरादरी के सवाल को उठाना अच्छा नहीं है। जहां तक किसी खास बिरादरी के हित का नुकसान होने की संभावना है, वहां जरूर होना चाहिये।

## हरदोई जिले में कुंओं के लिये तकावी

*४३--**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में खंडशः सन् १९५६ में कितना रुपया कुओं की तकावी के लिये दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तकावी की स्वीकृति व हिसाब वित्तीय वर्ष के अनुसार रक्खा जाता है। पत्रा के वर्ष के अनुसार नहीं रखा जाता। वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में सिंचाई के पक्के कुंओं के लिये तकावी का वितरण खण्डशः निम्न प्रकार था ---

| | रुपया |
|---|---|
| **(१) हरदोई** | |
| १---विकास क्षेत्र बावन .. .. .. .. | ६७००·०० |
| २---सरसा .. .. .. .. .. | १५००·०० |
| ३---छाया क्षेत्र टंडियावां .. .. .. | ६६००·०० |
| ४---छाया क्षेत्र हरियावां .. .. .. | २८००·०० |
| ५---छाया क्षेत्र अहिरौरा .. .. .. | २४००·०० |
| | २००००·०० |
| **(२) विलग्राम** | |
| १---विकास क्षेत्र विलग्राम .. .. .. | ५५५०·०० |
| २---विकास क्षेत्र सान्डी .. .. .. | ५००·०० |
| ३---छाया क्षेत्र माधोगंज .. .. .. | ४०००·०० |
| ४---छाया क्षेत्र मल्लावां .. .. .. | १०००·०० |
| ५---छाया क्षेत्र हरपालपुर .. .. .. | ३९५०·०० |
| | १५०००·०० |
| **(३) शाहाबाद** | |
| १---विकास क्षेत्र शाहाबाद .. .. .. | ३५००·०० |
| २---छाया क्षेत्र भरखनी .. .. .. | १८००·०० |
| ३---छाया क्षेत्र पिग्रानी .. .. .. | १२००·०० |
| ४---छाया क्षेत्र टोडरपुर .. .. .. | १०००·०० |
| | ७५००·०० |
| **(४) संडीला** | |
| १---विकास क्षेत्र कौथावां .. .. .. | २५००·०० |
| २---विकास क्षेत्र संडीला .. .. .. | २५००·०० |
| ३---छाया क्षेत्र कछौना .. .. .. | २०००·०० |
| ४---छाया क्षेत्र भरावन .. .. .. | ५००·०० |
| | ७५००·०० |
| कुल योग .. | ५००००·०० |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## प्रतापगढ़ जिले में नलकूपों की आवश्यकता

*४४--श्री नन्दराम (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला प्रतापगढ़ में कितने नलकूप बनाने की योजना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला प्रतापगढ़ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई भी नलकूप बनाने का आयोजन नहीं है ।

## इटावा जिले में रहट के लिये तकावी

*४५--श्री भजनलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में तहसीलवार १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितने व्यक्तियों को रहटों की तकावी दी गई उनमें से कितने व्यक्तियों ने रहट लगाये ?

श्री सुल्तान आलम खां---वांछित सूचना की तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है । सन् १९५७-५८ में तकावी की रकम मार्च १९५८ में वितरित की गई थी । अतः इस वर्ष की सूचना अभी संकलित नहीं हो पाई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३८० पर)

श्री भजनलाल---क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा की अन्य तहसीलों में औरैया को छोड़कर ज्यादा तकावी दी जब कि औरैया में ५५-५६, ५६-५७ और ५७-५८ में चार चार, पांच पांच व्यक्तियों को ही तकावी दी गई, ऐसा क्यों ?

श्री सुल्तान आलम खां--जितनी जरूरत जिस तहसील में समझी और जितना मांगा गया उसी के हिसाब से दिया गया । माननीय सदस्य ज्यादा दिलचस्पी लें दिलाने में तो शायद ज्यादा मिल सकेगी ।

श्री भजनलाल---क्या यह सही है कि औरैया तहसील में तकावी के संबंध में सैकड़ों प्रार्थनापत्र दिये गये हैं, परन्तु वहां चार चार पांच पांच व्यक्तियों को तकावी दी जा रही है, ऐसा क्यों ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह प्रार्थना पत्र मेरे पास तो आये नहीं हैं । वह अगर दिये होंगे तो जिलाधीश के पास गये होंगे । उनसे माननीय सदस्य मालूम कर सकते हैं ।

*४६-४७--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[५ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये । ]

## बोर्डर एरिया के विकास पर व्यय

*४८--श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बोर्डर एरिया विकास कमिश्नर का प्रधान कार्यालय कहां है ?

श्री सुल्तान आलम खां--बोर्डर एरिया कमिश्नर के नाम का कोई अधिकारी नहीं है । हां सहायक विकास आयुक्त सीमांत (Assistant Development Commissioner, Border Area) अवश्य है । उनका प्रधान कार्यालय अल्मोड़े में है ।

*४९--श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि बोर्डर एरिया कमिश्नर ने जनवरी, १९५७ से आज तक कितनी बार पिथौरागढ़, धारचुला व अस्कोट का दौरा किया है ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--सहायक विकास आयुक्त-सीमांत ने जनवरी, १९५७ से आज तक पिथौरागढ़, धारचुला व अस्कोट का दौरा इस प्रकार किया है--

१--पिथौरागढ़ (दो बार) १--मार्च, १९५७, २--नवम्बर, १९५७।

२--धारचुला--धारचुला हेडक्वार्टर पर नहीं परन्तु जौलजिबी का दौरा नवम्बर, १९५७ में किया है जो धारचुला ब्लाक में एक प्रमुख स्थान है।

३--अस्कोट (एक बार) नवम्बर, १९५७।

*५०--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भीतर बोर्डर एरियाज के विकास में कितना रुपया खर्च किया गया है और वह किस-किस विकास के कार्य में ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--बोर्डर एरिया के विकास के कार्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ३२,६१,२६२ रु० व द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १,०७,४४,०१२ रु० व्यय हुआ। यह धन जिन योजनाओं पर खर्च हुआ उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

**श्री प्रताप सिंह**--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में कितना रुपया प्रदेश के बोर्डर क्षेत्र के लिये रखा गया था और उसमें से कितना खर्च किया गया ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--मैंने अभी आपको फिगर्स बताये की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १,०७,४४,०१२ रुपया खर्च हुआ, यह स्टेट बजट से और गवर्नमेंट आफ इंडिया दोनों के बजट से व्यय होता है। इसके अलावा बोर्डर एरियाज को डेवलप करने के लिये केन्द्रीय सरकार अलग ग्रान्ट देती है। अलग अलग तो मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा कि किस मद से कितना खर्च हुआ।

**श्री प्रतापसिंह**--यह जो धनराशि अभी बताई गई उसमें से कितना रुपया सेन्टर से मिला है ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--यह तो इस वक्त नहीं बताया जा सकता कि कितना रुपया सेन्टर से मिला है, लेकिन मैं इतना आप को बता सकता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो रुपया था उसमें से ८,५०,००० रुपया खर्च हुआ है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ रुपया सरकार ने दिया है जिसके ३ साल गुजरे हैं और अभी २ साल बाकी हैं।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से जो धन मिला था उसमें से ९० लाख रुपया इसलिये व्यय नहीं हो सका कि उसके लिये योजनायें ठीक से बनी हुई नहीं थीं ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--रुपया कम जरूर खर्च हुआ और उसकी वजह यह है कि वह कुल क्षेत्र ब्लाक्स में आ चुका है और उसी के बजट से रुपया खर्च होता है। इसके अलावा उस क्षेत्र की क्लाइमेटिक कन्डीशन्स भी ऐसी हैं कि वहां एक मकसूस पीरियड में ही काम हो सकता है। इसलिये वह इतना खर्च नहीं हो सका लेकिन फिर भी काफी रुपया खर्च किया गया है।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्डर क्षेत्र के सहायक विकास अधिकारी ने कुछ विशेष उद्योगों के लिये रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार किया गया ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--जो सूचना दी गई है उसमें वह सब दिया हुआ है जो मुखतलिफ योजनाओं में हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में घरेलू उद्योग कार्यों में २,४०,०७१ रुपया व्यय हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०,१०,३८० रुपया व्यय हुआ। सूची में यह सब दिया हुआ है।

*५१--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)--[५ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

## मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिलों में सिंचाई के कुओं के लिये सहायता की मांग

*५२--**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मुख्य मंत्री जिला सहारनपुर व जिला मुजफ्फरनगर तथा जिला मेरठ के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई के कुओं का निर्माण अधिक संख्या में कराने हेतु विशेष सहायता प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--इन तीनों जिलों के सभी क्षेत्रों में कूप निर्माण हेतु पूर्व ही पर्याप्त सहायता निर्धारित नियमों के अनुसार दी जा रही है।

## नजीबाबाद की कथित कत्था फैक्टरी

*५३--**श्री खूबसिंह** (जिला बिजनौर)--क्या यह सही है कि सरकार ने नजीबाबाद, जिला बिजनौर में एक कत्था फैक्टरी खोले जाने का लाइसेन्स जारी किया है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी नहीं।

*५४--**श्री खूबसिंह**--यदि हां, तो यह लाइसेंस किसी कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है या किसी व्यक्ति अथवा फर्म को ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--प्रश्न नहीं उठता।

## उन्नाव जिले को दिया गया तांबा

*५५--**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना तांबा प्रान्तीय सरकार को १९५४ से १९५८ तक प्राप्त हुआ और इसकी कितनी कीमत देनी पड़ी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५८ में इस प्रदेश को कुल १२७४·४७ टन तांबे का कोटा दिया। इसमें से १०३६·४७ टन तांबा केन्द्रीय सरकार ने सीधे उपभोक्ताओं को दिया और शेष २३८ टन प्रदेशीय सरकार को उपभोक्ताओं में बांटने के लिये दिया। उपरोक्त १२७४·४७ टन तांबे का मूल्य लगभग ३४,४१,०६९ रुपया था।

फरवरी १९५८ से पूर्व तांबे के वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, अतः उस अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*५६--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत १९५४ से १९५८ तक कितना-कितना तांबा दिया गया और देने का आधार क्या था?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--

(अ) सन् १९५८ में १·७१ टन तांबा दिया गया। उसके पूर्व तांबे के वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

(ब) सन् १९५७ में उनके द्वारा तांबे का उपभोग तथा पूरे प्रदेश की मांग को ध्यान में रखते हुये तांबे की प्राप्ति।

---

नोट--तारांकित प्रश्न ५० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

## राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से कुछ कर्मचारियों का अलग किया जाना

*५७--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ के कितने कर्मचारियों को सन् ५७ से अगस्त सन् ५८ तक एक माह का नोटिस देकर सेवाओं से पृथक कर दिया गया ? जो कर्मचारी पृथक किये गये उन पर आरोप क्या थे और किस-किस पद पर थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१३ कर्मचारियों को। उनके पदों तथा पृथक किये जाने के कारणों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८२ पर)

## बस्ती जिले में कुओं तथा हैन्ड पम्पों पर व्यय

*५८--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में १९५७-५८ में कितने हैन्डपाइप लगाये गये और कितने पुराने कूपों की मरम्मत कराई गई और इन पर क्रमशः कितना रुपया सरकार द्वारा अनुदान रूप में दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बस्ती जिले में १९५७-५८ में ३२४ हैन्ड पम्प लगाये गये और ८०८ पुराने कूपों की मरम्मत की गई जिन पर क्रमशः १८,६८७ रु० तथा ७८,७०४ रु० अनुदान के रूप में दिया गया ।

## परिवहन विभाग में कन्डक्टर्स

*५९--श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कितने कन्डक्टर हैं--

(अ) उनमें से कितने स्थायी हैं, और

(ब) कितने अस्थाई हैं,

(स) जो कंडक्टर अस्थायी हैं उनमें कितने ३ वर्ष या उससे अधिक समय से विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## रोडवेज कार्यालय गोरखपुर में गबन

*६०---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के प्रधान कार्यालय, गोरखपुर में साढ़े आठ हजार रुपयों के गबन का पता चला है जिसकी जांच वहां की छावनी थाने की पुलिस कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६१--कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतावेगी कि उपर्युक्त प्रश्न में पूछा गया गबन किस मद में हुआ है तथा इसका पता कैसे चला ?

डाक्टर सीताराम--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## रामपुर, जिला फैजाबाद में अधिग्रहीत भूमि

*६२--श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले की टांडा तहसील के ग्राम रायपुर के किसानों से अब तक कितनी भूमि विकास कार्यों के भवन निर्माण आदि के लिये ली जा चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---फैजाबाद जिले की टांडा तहसील के ग्राम रायपुर के किसानों से ली गई भूमि का विवरण इस प्रकार है---

| | |
|---|---|
| १---महरीघाट पंपिंग स्टेशन के लिये बिजली का सब-स्टेशन बनाने तथा उस सब-स्टेशन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स बनाने के लिये .. .. | एकड़ १·३७७ |
| २---लरनपुर माइनर (Laranpur minor) के निर्माण हेतु .. .. | ४·७१८ |
| कुल | ६·०९५ |

*६३---श्री जयराम वर्मा---क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के किसानों से कुछ और भूमि किसी विकास कार्य के भवन निर्माण हेतु अधिगृहीत की जाने वाली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

## गुड़ तथा खांडसारी के विकास पर व्यय

*६४---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुड़ तथा खांडसारी के विकास के लिये प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितना रुपया रक्खा है और उसमें से कितना-कितना किन मदों में व्यय हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गुड़ तथा खांडसारी योजना के विकास के लिये धन सम्बन्धी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि यह योजना १९५७-५८ से दूसरी पंचवर्षीय योजना से पृथक कर दी गई और तब से अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से प्रतिवर्ष प्राप्त आर्थिक सहायता से उक्त योजना चलाई जा रही है। गत दो वित्तीय वर्षों में गुड़ तथा खांडसारी योजना पर कुल १०,४१,५४१ रुपया व्यय हुआ। इसमें से ६,४०,३४० रुपया उन्नतिशील यंत्र, कढ़ाव, कोल्हू, सेंट्रीफ्यूगल आदि हेतु ऋण दिया गया, १,२३,६७० रुपया सहकारी समितियों को गुड़ खांडसारी उपकरण क्रय करने आदि के लिये अनुदान रूप में दिया गया। शेष २,७७,५३१ रुपया विकास के अन्य कार्यों पर व्यय किया गया जिनमें शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण, प्रचार, प्रदर्शिनी, सर्विस पोस्टेज तथा लेखन सामग्री एवं कर्मचारियों पर हुए व्यय सम्मिलित हैं।

## टेहरी-गढ़वाल जिलान्तर्गत जौनपुर विकास क्षेत्र में श्रमदान से सड़कों का निर्माण

*६५---श्री सूरत चन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल के कैम्टी फौल जौनपुर-विकास क्षेत्र में अब तक जब से यह विकास क्षेत्र शुरू हुआ श्रमदान द्वारा कौन-कौन सी और कितनी मील लम्बी सड़क बनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८३-३८५ पर)

## मेरठ के किसी फर्म को कथित ऋण

*६६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतायेगी कि उसने १९५८ में हसानापुर शक्कर मिल के लिये मेरठ के किसी फर्म को कुछ ऋण दिया है? अगर हां, तो कितना? उस ऋण की शर्तें क्या हैं? ऋण की रकम की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

## बलवन्त मोटर्स लिमिटेड बरेली से मोटरों का क्रय

*६७—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में सरकार के विभिन्न विभागों के लिये तथा किस-किस अधिकारी ने बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली से कितनी-कितनी मोटरें, बसें, स्टेशन वैगनें किस-किस मूल्य तथा किन-किन शर्तों (terms) पर खरीदीं?

डाक्टर सीताराम—सन् १९५५-५६ में डिप्टी डाइरेक्टर तराई स्टेट फार्म, फूलबाग, नैनीताल के लिये एक शेवरलेट पैनेल वेन १३,६८३ रुपये ४४ नये पैसे की, १६ प्रतिशत कटौती लेकर तथा एक डाज गाड़ी १६,२९६ रुपये ८८ नये पैसे की, १० प्रतिशत कटौती लेकर खरीदी गई। १९५६-५७ में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रधिशासी अभियंता नहर विभाग, रामपुर, के लिये एक जीप गाड़ी ११,९१० रुपये में इस फर्म से खरीदी गई। सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में कोई गाड़ी इस फर्म से नहीं खरीदी गई। रेट कांट्रेक्ट प्राइस, निर्धारित मूल्य जो कि डाइरेक्टर जनरल, सप्लाई ऐंड डिस्पोजल्स, भारत सरकार, के यहां से सरकारी क्रय के लिये तय हुआ है, उसी मूल्य पर ये गाड़ियां खरीदी गईं।

*६८—श्री वीरसेन—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली द्वारा किस-किस सरकारी विभाग को मोटर पार्ट्स सप्लाई किये गये तथा सप्लाई के संविदाओं (contracts) की शरायत (terms) क्या थीं?

डाक्टर सीताराम—केवल १९५७-५८ में ४६१ रुपये ४७ नये पैसे के टाटा मर्सिडीज बेंज के फुटकर पुर्जे इस फर्म से लिये गये।

*६९—श्री वीरसेन—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खरीदों (purchases) के लिये टेंडर मांगे गये थे? यदि हां, तो निम्नतर टेंडर किसके थे?

डाक्टर सीताराम—टेंडर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली ही इन चीजों के लिये बरेली में रिकगनाइज्ड डीलर्स, जिस समय सामान लिया गया, थे और उनसे रेट कांट्रेक्ट प्राइस निर्धारित मूल्य पर ही ये चीजें खरीदी गईं।

# अतारांकित प्रश्न

## मैनपुरी जिले में कुंवों के लिये तकावी

१—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में तहसीलवार सिंचाई के कुंवों को सन् १९५६ तथा १९५७ में कितने-कितने धन की किसानों को तकावी दी गई और क्या उनकी बन जाने की सूचना सरकार को प्राप्त हो गई है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अन्तर्गत निम्न प्रकार तकावी वितरित की गई---

| वर्ष | तहसील का नाम | स्वीकृत कुओं की संख्या | तकावी धन जो किसानों को वितरित किया गया |
|---|---|---|---|
| | | | रु० |
| १९५६-५७ | मैनपुरी .. | १४ | ६,५०० |
| | करहल | ४ | २,००० |
| | कुल .. | १८ | ८,५०० |
| १९५७-५८ | मैनपुरी | ३७ | १९,८६० |
| | करहल | ३० | १४,६४० |
| | शिकोहाबाद | ४६ | २२,५०० |
| | जसराना | ४५ | २५,५०० |
| | भोगांव .. | ५२ | ३०,००० |
| | कुल | २१० | १,१२,५०० |

२---१९५६-५७ में स्वीकृत १८ कुओं में से अभी तक ६ के बन जाने की सूचना प्राप्त हुई है। १९५७-५८ में स्वीकृत कुओं का निरीक्षण अप्रैल, १९५९ के बाद किया जायगा, क्योंकि साधारणतया कुओं के बनवाने के लिये एक साल की अवधि दी गई है और विशेष अवस्था में दो साल की।

३---राष्ट्रीय प्रसार तथा सामूहिक विकास क्षेत्रों के लिए निर्धारित धनराशि में से दी गई तकावी की सूचना एकत्रित की जा रही है।

## विधूना विकास क्षेत्र में व्यय

२---**श्री भजनलाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में विधूना विकास क्षेत्र में मार्च से अगस्त, १९५८ तक कितना रुपया खर्च हुआ? उसमें कितना विकास कार्यों में और कितना अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन, मोटर, मकान, किराया तथा भत्ता में हुआ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---खुलने की तिथि अर्थात् अप्रैल १, १९५८ से अगस्त ३१, १९५८ तक इस ब्लाक में ४,२४५ रुपया व्यय हुआ। इसमें से कर्मचारियों के वेतन पर २,९०७ रुपया, महंगाई भत्ते पर १,०९० रुपया और यात्रा भत्ते पर २४८ रुपया व्यय हुआ। दूसरी मदों पर कुछ व्यय नहीं हुआ।

## खीरी जिले में उल्ल नदी से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष**---अब श्री शिवप्रसाद नागर द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर जिला खीरी से उल्ल नदी में नहर का पानी छोड़ देने के कारण एक लाख एकड़ भूमि में खड़ी रबी की फसल डूब जाने तथा नष्ट हो जाने की सूचना के संबंध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य होगा।

**राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)**---अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास सूचना है वह निम्नलिखित है:

"शारदा नहर पर मध्य जनवरी से खेती के वास्ते पानी के लिए करीब-करीब कुछ भी मांग नहीं रही है परन्तु खटीमा पावर स्टेशन बनाने के लिए, जो शारदा नहर के ८वें मील पर है, शारदा नहर का चलाया जाना आवश्यक है। इसलिए जो पानी खटीमा पावर स्टेशन में इस्तेमाल में लाया गया उसे नीचे इस्केप्स के जरिये नहर के बाहर निकाला गया।

[श्री धर्म सिंह]

सुल्तानपुर इस्केप को जिसकी क्षमता ७५० क्यूसेक्स है, १९ जनवरी, १९५९ से १७ फरवरी, १९५९ तक चलाया गया, जिसका औसत डिस्चार्ज ६५० क्यूसेक्स रहा। इस इस्केप का पानी उल्ल नदी में डाला जाया करता है। जाड़े के मौसम में नदी की तह में पानी कम होने की वजह से कुछ लोगों ने नदी की तह में ही खेती कर ली और इस्केप में पानी चलने के कारण उस खेत को क्षति पहुंची। पानी में डूबा हुआ क्षेत्र लगभग १२३० एकड़ है, जिसमें से जुता हुआ क्षेत्र जिसको क्षति पहुंची है केवल ५०५ एकड़ है। फसल का क्षेत्र जिसको क्षति पहुंचे हुए होने का डर है, केवल २१० एकड़ है। लेखपालों को आज्ञा जारी कर दी गयी है कि जैसे ही पानी हटे वे प्लाटों से परताल करें।"

**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पानी छोड़ा गया था वह इस समय भी ज्यों का त्यों चल रहा है और अभी तक बन्द नहीं किया गया है ?

**श्री धर्मसिंह**---उसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है कि इस वक्त पानी चल रहा है या नहीं चल रहा है।

**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि कार्तिक स्नान के दिनों में जबकि इस नदी के किनारे ६०-७० मील तक के जो गांव हैं उनमें रबी बोयी जा चुकी थी और पौधे बालिश्त भर के हो चुके थे उसमें भी पानी छोड़ दिया गया और वह फसल बरबाद हो गयी और जब दोबारा रिसोइंग हुआ तो फिर पानी छोड़ दिया गया और वह भी नष्ट हो गयी ?

**श्री धर्मसिंह**---उसके बाद थोड़ा बहुत जरूर छोड़ा गया था, लेकिन जैसा कि कहा गया कि इतनी हानि हुई, यह बात नहीं है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार जिन लोगों की फसल को नुकसान हुआ उन्हें कुछ डैमेजेज, मुआविजा देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ?

**श्री धर्मसिंह**---यह तो बाद में ही निर्णय किया जायगा कि कितनी क्षति हुई है फसल को और जैसा कि अभी स्टेटमेंट दिया गया है, उससे विदित है कि लेखपालों को आज्ञा दे दी गयी है कि जैसे ही पानी हटे उसकी छानबीन करें।

**श्री सुरथ बहादुर शाह** (जिला खीरी)---क्या सरकार को यह मालूम है कि कृषि खराब होने के अलावा भी किशनपुर ब्लाक, खीरी डिवीजन में हजारहा एकड़ जमीन पानी में सबमर्ज हो जाने के कारण मवेशियों के चरागाह खत्म हो गये, जिससे मवेशी मर रहे हैं और उनके चरागाह नहीं रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष**---यह इसी से संबंधित प्रश्न है ?

**श्री सुरथ बहादुर शाह**---यह सब उल्ल नदी से संबंध रखता है। उल्ल नदी शहर में तो बाद में पहुंचती है।

**श्री धर्मसिंह**---इस प्रकार की सरकार को इत्तला नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि यह रबी की फसल में दो तीन साल से बराबर इस नदी में छोड़ दिया जाया करता है और अबकी साल कार्तिक स्नान के बीच में फिर अभी ४ फरवरी को छोड़ा गया, फिर ९ फरवरी को छोड़ा गया। जिनकी फसलें बरबाद हुई उनके परमानेंट पट्टे हैं हमेशा से और उनकी ३ फसलें बरबाद हुईं खरीफ की और दो रबी की पहली और दूसरी ?

**श्री धर्मसिंह**--इस वर्ष के बारे में तो मैंने निवेदन कर दिया है, लेकिन जहां तक पानी छोड़ने का संबंध है कोई जान के नहीं छोड़ा जाता। मजबूरी है, वह निकालना पड़ता है इस्केप में, जिसकी वजह से यह करना पड़ता है।

**श्री शिवप्रसाद नागर**---श्रीमन्, एक बात रह गयी, वह यह कि यह पानी उल्ल नदी की बजाय बड़ी नदी में, शारदा में छोड़ दिया जाय। उल्ल नदी को बचा दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**--ठीक है आपने कह ही दिया, उन्होंने सुन लिया।

## श्री राजदेव उपाध्याय की पत्नी द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष**--अब श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत जानकारी हासिल करने के लिये एक प्रश्न उठाया था जो मैंने गृह मंत्री जी के पास भेजा है। क्या वे इस संबंध में आज सूचना देना चाहेंगे ?

**गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**--जी हां, मेरे पास तैयार है। इस संबंध में लखनऊ के एस० एस० पी० से सूचना मांगी गयी है और जो सूचना उपलब्ध हुई है आपकी आज्ञा से वह प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह मामला श्री राजदेव उपाध्याय, एम० एल० ए० की पत्नी का है। विधायक निवास जो रायल होटल में है उसी के ५४ नम्बर के कमरे में वह रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुलैची उपाध्याय है। वह भी उन्हीं के साथ थीं। १६ तारीख को ४ बजे के करीब श्री राजदेव उपाध्याय असेम्बली में यहां मौजूद थे। उस वक्त उनका बड़ा लड़का जिसकी उम्र ५ वर्ष की है वह बाहर खेल रहा था। श्रीमती उपाध्याय ने अपने नौकर से यह कहा कि इस बच्चे को नीचे मैदान में ले जा कर खेला आओ। वह बच्चा ले करके नौकर चला गया। इसके बाद उन्होंने अपना कमरा बन्द किया और एक टेबिल पर खड़ी हुई और गले में एक रस्सी डाली और फिर कड़े से लटकाई और इस तरह से आत्महत्या की है। थोड़ी देर के बाद नौकर आया तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा भीतर से बन्द है। उसने थोड़ी देर कोशिश की कमरा खुलवाने की। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कुछ शोर किया। इसके बाद वह दरवाजा तोड़ा गया। इतने ही में श्री राजदेव उपाध्याय भी वहां पहुंच गये और डी० एस० पी० (सिटी) भी इसकी खबर पाकर के वहां पहुंचे और इस मामले में इंक्वायरी की गयी और जो लोग वहां मौजूद थे उन लोगों से सवाल भी पूछे गये और यह पाया गया कि यह मामला आत्महत्या का है। श्रीमती उपाध्याय के गले में डोरी के निशान भी थे। एक पंचनामा लिखाया गया। पुलिस इस मामले में संतुष्ट थी कि यह मामला आत्महत्या का है लिहाजा उनका शरीर दाह के लिये दे दिया गया।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---क्या यह बात सत्य है कि वहां पर गृह मंत्री जी स्वतः गये थे ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**---जी हां।

**श्री राजनारायण**---जब गृह मंत्री जी स्वतः गये थे तो क्या उनको यह बात मालूम है कि नियम के मुताबिक जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करे या कोई उसको मारे उसका पोस्ट मार्टम होना चाहिये और उसको पोस्ट मार्टम के लिये जानबूझ कर नहीं भेजा गया ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**---नियमतः यह आवश्यक नहीं है। ऐसी मुझे सूचना मिली है कि यदि पुलिस इस मामले में संतुष्ट हो कि इसमें किसी प्रकार की गलत कार्यवाही नहीं हुई है तो फिर पोस्ट मार्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती।

**श्री राजनारायण**---तो क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात का पुनः कष्ट करेंगे कि वे कृपा करके विधायक निवास में जायं और इस समय जो वहां पर अफवाहें फैली हुई हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि विष दिया गया था ? (व्यवधान) शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। मैं पूरा सबूत दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**--सवाल यह है कि मेरे पास जो सूचना भेजी थी उसमें पोस्ट मार्टेम के सिलसिले में बातचीत थी। उसमें इस प्रकार का चार्ज लगाकर बात नहीं रखी गयी थी। अब आप नई चीज रख रहे हैं। इसको आप गृह मंत्री जी के पास लिखकर भेज दें और वह उसकी जांच करायेंगे। यह कोई स्पष्टीकरण में प्रश्न नहीं है।

**श्री उग्रसेन**--प्रश्न यह है कि क्या माननीय राजदेव उपाध्याय जी ने माननीय मंत्री जी को कोई पत्र दिया था जो वहां पड़ा हुआ था?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--जी नहीं, मुझे कोई पत्र नहीं दिया गया।

**श्री राजनारायण**--श्रीमन्, एस० पी० ने माननीय मंत्री जी का नाम क्यों नहीं लिखा जब कि वह घटनास्थल पर मौजूद थे?

**श्री अध्यक्ष**--इसमें कोई बात नहीं है। आपने उनसे इसके बारे में स्पष्टीकरण ले लिया।

## १९५९-६० के आय व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

**श्री अध्यक्ष**--अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद होगा।

**श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हर एक भाषणकर्त्ता को १५ मिनट के बजाय १० मिनट का वक्त दिया जाय क्योंकि बहुत लोग बोलने के इच्छुक हैं और अगर यही व्यवस्था रही तो बहुत कम लोग बोल सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल सकेगा।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)--अध्यक्ष महोय, मैं निवेदन करता हूं कि नेता लोगों को १० मिनट और सदस्यों को १५ मिनट का समय दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**--मैं ऐसा कर दूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिष्ट जी मेरे पास आये थे और उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि जैसे जैसे बहस के दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे ज्यादा लोग बोलना चाहते हैं फिर बोलने वालों का समय कम कर दिया जाता रहा है और ऐसा मैं अब भी कर सकता हूं। मैं यथासंभव सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष को बराबर समय देता हूं। एक दफा विरोधी दल के लोग बोलते हैं और दूसरी दफा इधर के लोग बोलते हैं। अगर सरकारी पक्ष के लोग अनुचित न समझें तो दस दस मिनट का समय लेकर तीन व्यक्ति बोल लें और विरोधी दल से दो व्यक्ति १५-१५ मिनट बोल लें तो इस तरह से विरोधी दल के वक्ता के लिये १५ मिनट कायम रहेंगे और इधर का एक व्यक्ति ज्यादा बोल लेगा।

**श्री राजनारायण**--श्रीमन्, मैं एक निवेदन यह करूंगा....

**श्री अध्यक्ष**--मैं उनका रिएक्शन जानना चाहता हूं।

**श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट**--यह मझे मान्य है।

**श्री राजनारायण**--उन्होंने बहुत से माननीय सदस्यों से बातचीत की होगी और बहुत से लोग उनके पास पहुंचे होंगे। जो अधिकार हम अपने लिये लेना चाहते हैं दूसरों को भी वही अधिकार दिलाना चाहते हैं। इसलिये जब सदन का समय बढ़ ही रहा है तो थोड़ा सा समय और बढ़ाकर उनको भी १५ मिनट का मौका दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**--वह तो १० मिनट के लिये राजी हैं।

---

*१८ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से।

**श्री टीकाराम पुजारी**—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जहां विरोधी पार्टी का मान होता है वहां सदन फलता और फूलता है। यह एक बात है। जब मेरे हाथ में शासन होगा तो मैं ५ मिनट बोलूंगा और यह विरोधी हो जायेंगे तो इनको बोलने के लिये एक घंटे का समय दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**—कल माननीय शिवराम भाषण दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

**श्री राजनारायण**—श्रीमन्, एक हमारा प्रस्ताव था।

**श्री अध्यक्ष**—उसके बारे में मुझसे आप कमरे में पूछें। मैंने उसे नामंजूर कर दिया है। उसे आप बजट की बहस में ला सकते हैं। सभी लोग कहेंगे क्योंकि सभी को तकलीफ है।

**श्री राजनारायण**—श्रीमन्, कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों को बिस्तर लेकर आपके कमरे में पहुंचना पड़े।

**श्री शिवराम** (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग की ओर से गृह उद्योग के तमाम सूबे में प्रशिक्षण केन्द्र प्रचलित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे जिलों के एन० ई० एस० ब्लावस में कहीं कहीं कुटीर उद्योग शिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं और उन में शिक्षण पाने वाले विद्यार्थी यद्यपि दूरस्थ स्थानों से आते हैं तथापि उनके ठहरने के लिये कोई विशेष सुविधा नहीं है। इसी प्रकार शिक्षण पाने वाले विद्यार्थी समय पर छात्रवृत्ति भी नहीं पाते। जिस समय उनको भरती किया जाता है उसके कई महीने बाद उनको छात्र-वृत्ति दी जाती है। कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जिनमें छात्रों को स्वयं अपना कच्चा माल ले कर सीखना पड़ता है जैसे सिलाई का काम है। इसके लिये उनको अपने पास से कपड़ा ले जाना पड़ता है और शिक्षक उसको काट कर के सीने की विधि बताता है। यदि सिलाई के कार्य में शिक्षण पाने वाले विद्यार्थी को सरकार की तरफ से कपड़ा दिया जाय और शिक्षक की देख-रेख में तैयार कराया जाय तो उचित होगा। इसी प्रकार से बढ़ईगीरी के कार्य के लिये कुछ छात्रों को अपनी तरफ से लकड़ी लानी पड़ती है और उस सामान को अध्यापकों की देखरेख में बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार की कठिनाई जो उनके पास आती है वह दूर होनी चाहिये। साथ ही जब साल भर का शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है तो उनको सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है परन्तु यह अनुदान उनको ठीक समय से प्राप्त नहीं हो पाता। इसका अन्तिम फैसला ३१ मार्च के पूर्व ही होता है और साल भर तक वह विद्यार्थी इस बात की चेष्टा में रहता है कि हमें कब अनुदान प्राप्त होगा। इससे उसको अपना कार्य चालू करने में कठिनाई होती है जिस कठिनाई को सरकार को दूर करना चाहिये। इन शिक्षण केन्द्रों में बने हुए सामान को सराकारी विभागों को लेना चाहिये। जैसे फर्नीचर है, इसकी आवश्यकता प्रत्येक सरकारी विभाग को पड़ती है। अगर सरकारी विभाग उस माल को नहीं खपाते तो सीखने वाले विद्यार्थियों का साहस कैसे बढ़ेगा, और शिक्षण केंद्रों का उत्पादन कैसे बढ़ेगा ?

एक व्यवस्था इस में और की गयी है और वह यह है कि जिला मैजिस्ट्रेट्स की तरफ से स्थान ऐसे नियुक्त नहीं किये गये हैं, जहां पर एन० ई० एस० ब्लाक्स के लड़के काम सीखते हैं। इस प्रकार के केन्द्रों में तीन तीन, चार चार, प्रकार के कार्य सिखाये जाते हैं। लेकिन इन में दूर के गांवों के लड़के शरीक नहीं हो पाते। इसलिये जहां पर गांवों में इस प्रकार के उद्योग धंधे पनप सकते हैं वहां पर उनको सिखाने का प्रबन्ध होना चाहिये। हरिजन विद्यार्थियों को उद्योगों के सिलसिले में छात्रवृत्तियां और अनुदान भी दिये जाते हैं। वह ठीक समय पर उनको प्राप्त नहीं होते। अनुदान का फार्म तक पाने में उनको परेशानी होती है। गांव से चल कर जिले में जाते हैं तब उनको फार्म प्राप्त होता है और उस को भर कर भेजते हैं। परन्तु प्रार्थना पत्र भेजने पर भी कार्यालय की तरफ से कार्यवाही नहीं होती। इस प्रकार की सरकार की विचारधारा है। अनुदान पाने क लिये भी उन्हें कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री गोविन्दसहाय पंद्रह मिनट बोलेंगे। उसके बाद उनके पक्ष के लिये १० मिनट का कायदा लागू करूंगा। फिर दो सदस्य विरोधी पक्ष से बोलेंगे और तीन सरकारी पक्ष की तरफ से।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस साल के बजट के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हूं। यह बजट जिस सरकार का है उसका इस प्रदेश के शासन पर १३ साल से कब्जा है और इन सालों में जबसे उसने शुरू किया था ३२ करोड़ से उसकी आमदनी बढ़कर १२१ करोड़ हुई है और उसके साथ-साथ खर्चा भी हुआ है। साथ ही कर्जे के रूप में लगभग २२५ सौ करोड़ लेकर उसने समाज निर्माण के कामों में लगाया है। इस तरह से अनुमान यह बतलाता है कि करीबन ११ सौ, १२ सौ करोड़ रुपये इन १३ सालों में इस सूबे के लोगों की जिन्दगी को बेहतर बनाने में और सुख पहुंचाने में और उसके मसलों को हल करने में खर्च किया है। मगर इसके बावजूद जहां इतने कामों का विस्तार हुआ है, सड़कें, नहरें, स्कूल, प्रोजेक्ट्स और डैम्स सब चीजें बनी है, उनके बावजूद भी आज इस हकीकत को मंजूर करने में किसी को गुरेज करने का सवाल नहीं है कि बावजूद इन सारे प्रयत्नों के आज भी प्रदेश में गल्ले की कमी है, कपड़ा उस मात्रा में नहीं है। उसके साथ ही बेकारी भी बढ़ी है। इसका एक ही जवाब हो सकता है कि जो कोई अच्छी बातें अब तक हुई हैं उनको जारी रखा जाय और जो तजुर्बे अच्छे नहीं हुये हैं उनको बदला जाय और ज्यादा कोशिश इस दिशा में की जाय। मेरे खयाल में ये दोनों बातें अपनी हकीकत पर कायम हैं।

ये दोनों बातें भी सही हैं कि फैलाव भी हुआ है और उसके साथ ही लोगों के दिलों में जो उम्मीदें पैदा हुई थीं उनके अनुकूल सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पायी हैं। इसके बारे में दो रायें कायम हुई हैं। एक राय तो यह है कि काम हुआ है, लेकिन अभी करना बाकी है और दूसरी राय जो मुझे सुनने को मिली है वह अपोजीशन के आदरणीय नेता श्री त्रिलोकीसिंह जी की है। मैंने उनकी स्पीच को बड़े गौर से सुना। उन्होंने कुछ आंकड़ों की बुनियाद पर यह साबित करने की कोशिश की कि नयी जमीन नहीं टूटी है, न इर्रीगेशन बढ़ा है, न गल्ला बढ़ा है। इसके विपरीत सभी बातें प्रतिकूल दिशा की ओर हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, अगर आप इजाजत दें...

श्री अध्यक्ष—वह बैठ नहीं रहे हैं। वह बैठ जायं तब आप कह सकते हैं।

(एक क्षण के अनन्तर)

ठीक है वह बैठ गये हैं। अब आप कहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैंने यह नहीं कहा था कि जमीन नहीं तोड़ी गयी, इर्रीगेशन नहीं बढ़ा। इर्रीगेशन तो २ लाख १९ हजार एकड़ से २ लाख २१ हजार एकड़ हो गया है, लेकिन यह सब होने के बाद भी प्रोडक्शन पर एकड़ फाल हो गयी है। यह मैंने कहा था। अगर वह चाहते हैं तो मेरे पास वह स्पीच है वह भेज दूं।

श्री गोविन्दसहाय—उसके बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने जो नतीजा निकाला है उस आधार पर मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। उसके लिये मेरी जो दलील है वह पेश कर रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि अपोजीशन के लीडर इस बात को मानते हैं कि जमीन नयी तोड़ी गयी है, इर्रीगेशन पोटेंशल बढ़ा है, बीज का वितरण ज्यादा हुआ, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा है। अब यह ऐसा फैक्ट है कि जो आसानी से नहीं समझा जा सकता जब तक कि नहरें चलती हों और उनका पानी उस काम में न आता हो या बीज बोया जाता हो और वह बेकार जाता हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि सूखी हवा चल जाय, ठीक वक्त पर न चले या गलत चले तो गेहूं की पैदावार कमजोर कर देता है, बारिश ज्यादा हो जाती है तो नुकसान पहुंच जाता है। बहरहाल मेरा स्टेटमेंट इतना है कि इन्सानी कोशिश जो इस दिशा में एक सरकार कर सकती है वह प्रयत्न किये गये और अगर वह नतीजा नहीं निकला जो हम चाहते

हैं। उसका कारण वह मुझे नहीं दीखता जो अपोजीशन के लीडर साहब बतलाते हैं। मैंने उनकी तकरीर को गौर से समझने की कोशिश की और यह जानना चाहा कि मौलिक तरीकों के बारे में उनका अनालेसिस क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा काम यह नहीं है कि मैं सुझाव दूं। मैं मानता हूं कि उनका काम सुझाव देने का नहीं है, लेकिन डाइगनोसिस करने का तो है। अगर वह डाइगनोसिस करके रेमेडी न बतायें तो मैं यह कहूंगा कि इधर उधर से चन्द बातें जोड़कर यहां कह देने से मतलब हल नहीं होता है। मुझे अफसोस है, मैं कम से कम उनसे यह आशा करता था कि वह डाइगनोसिस करके कोई नया विचार हमें देंगे। उन्होंने इस बात का चर्चा किया कि शिक्षा पर खर्चा कम है। इसका मतलब यह हुआ कि उसूलन वह इस बात के खिलाफ नहीं हैं कि तालीम कैसी है। उनका कहना महज इस हद तक था कि उस पर परसन्टेज का खर्चा नहीं बढ़ा। बरअक्स इसके मेरा खयाल यह है कि आज हम तरक्की की उस मन्जिल पर पहुंच गये हैं जहां कि हमको ठंडे तरीके से यह सोचना पड़ेगा कि हमारे शासन का जो इन्स्ट्रू-मेन्ट है यानी जो हुकूमत का आला है, जिसके जरिये से हम काम करते हैं, शासन में न्याय प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, कोआपरेटिव का सिस्टम है गर्ज कि जो हमारे इन्स्टीट्यूशन हैं उनमें आया कोई तब्दीली करने की जरूरत है या नहीं। मैं यह आशा करता था कि इन उसूलों के ऊपर वह कोई रोशनी डालेंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारे यहां कृषि की पैदावार कम है। मैं भी मानता हूं कि प्रोडेक्शन कम है लेकिन प्रोडेक्शन बढ़ भी जाय तब भी पावरटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अन्दर काफी समृद्धि है, लेकिन फिर भी अमेरिका में बेकारी हर साल बढ़ती जा रही है। पहले ३ मिलि-यन सिर्फ बेकार थे। इस समय वहां पर ६ मिलियन बेकार हैं, जब कि उनका प्रोडेक्शन बराबर बढ़ा है। टेक्नालाजी में उन्होंने काफी तरक्की की है और दूसरे क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुये वहां पर बेकारी है। इसलिये इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि महज प्रोडेक्शन का मसला नहीं होता बल्कि प्रोडेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का मसला होता है। इस वजह से महज स्कूल खोलने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किस तरीके की शिक्षा दी जाय और कैसे इन्सान हम पैदा करें। यह एक बड़ी चीज है। इस वजह से उनकी तरफ से कोई अमली सुझाव मुझे नहीं मिला जिससे मुझे उनसे बड़ी मायूसी हुई।

ठीक उसी तरह से जनसंघ के लीडर की स्पीच को भी मैंने सुना और उसको बहुत समझने की कोशिश की। मगर वाकई गौर से समझने पर भी समझा तो यह समझा कि कुछ न समझा। हो सकता है जब हम उनके विचारों के हो जायं तब उनकी बातों को समझें। मगर वह तो अपनी समझ को दूसरों के लिये स्पेयर करने को तैयार नहीं हैं। वे यहां पर ४५ मिनट बोले जिसमें ४० मिनट तक उन्होंने इन्टेन्सिव कल्टीवेशन पर ही जोर दिया। उनको किसी बेसिक चीज से इख्तलाफ नहीं है यह मुझे उनकी स्पीच से अनुमान हुआ। उन्होंने इन्टेन्सिव कल्टी-वेशन के बारे में रूस, चीन और जापान का यहां पर जिक्र किया। उनकी तरक्की के बारे में यहां पर बहुत सी बातें कहीं, लेकिन मुझे मायूसी इसलिये हुई कि उन्होंने कोई बेसिक तरीके का सजेशन नहीं दिया। उनकी स्पीच में अगर कोई सजेशन मुझे मिला तो यह मिला कि यह सरकार इन्तहाई डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। गांव के गदहे पर तो टैक्स लगा रही है और शहर के गदहे पर टैक्स नहीं लगा रही है। इसके अलावा जनसंघ के लीडर की स्पीच में मुझे बेसिक बात दिखाई नहीं दी। इससे हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अपोजीशन का एक रोल होता है। उसको उसे अदा करना चाहिये। ठीक है लेकिन वह बात भी सामने आनी चाहिये जिससे कुछ बेसिक सजेशन सामने आवें और सरकार का लाभ हो। इसलिये अब मैं २, ४ बातें सुझाव के तरीके पर सरकार के सामने आपके जरिये से पेश करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि आज कोआपरेशन की बड़ी चर्चा है। यहां इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि जिन्दगी के हर सीगे में हमें कोआपरेशन लाना है। इसके लिये योजनाओं के अन्दर कोआपरेशन को हम चालू करने जा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि यहां पर इस समय कोआप-

[श्री गोविंद सहाय]

रेशन के मिनिस्टर नहीं है । मगर आपके जरिये से बड़े अदब से उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि, मेरा खयाल यह है कि जिस ढंग से प्रदेश में कोआपरेशन चल रहा है उसमें लोग कोआपरेशन के उसूल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं । उसकी वजह से उसकी प्रगति रुकने की अधिक सम्भावना है । मैंने कुछ रूल्स वगैरह कोआपरेटिव के पढ़े हैं और उस में हर रूल में जो मशीन बन कर खड़ी हुई है उनके हिसाब से कोआपरेटिव एक मूवमेंट आफ लाइफ होने के बजाय एक महकमा बन गया है और उसका एक ही कानून है कि अगर एक आदमी का अप्वाइंटमेंट करे तो रजिस्ट्रार, कर्जा लिया जाय तो रजिस्ट्रार, कुछ भी काम हो तो रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के माने हैं सुपरवाइजर, जो रजिस्ट्रार की सारी पावर्स को एक्सरसाइज करता है । तो अगर कोआपरेशन की तरफ हमें और बढ़ना है तो एक आमूल परिवर्तन हमें इस विभाग के दृष्टिकोण में और इसकी कार्यप्रणाली में करना पड़ेगा वरना एक अच्छा नारा भी खुशगवार हवा न पा कर मुरझा जाता है । मिसाल के लिये कंट्रोल एक अच्छी चीज है, लेकिन उसकी तरक्की के लिये जिस किस्म का ढांचा, तर्ज और काम करने का तरीका चाहिये वह नहीं मिला और इसीलिये लोग आज कंट्रोल के माने भ्रष्टाचार समझने लगे । तो इसलिये विचार की प्रगति के लिये जरूरी है कि उसके अनुकूल एक ढांचा भी हो ।

इसी तरह से मैं जुडिशियरी के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा । आदरणीय लीडर आफ अपोजीशन ने फिर एक बात को इस साल दोहराया और उनका खयाल है कि शायद इतना कर देने से करप्शन वगैरह दूर हो जायगा । अगर एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग कर दिया जाय तो उनका खयाल है कि करप्शन दूर हो जायगा । मैं भी उन गुनाहगारों में था कि जिन्होंने इस सजेशन के लिये उन्हें लिबरल कहा था । मैं फिर कहता हूं कि मौजूदा जुडिशियरी का जो ढांचा है और जो कार्य प्रणाली है मेरा यकीन है कि समाज में बेईमानी और झूठ फैलाने का जितना इसका हाथ है उतना और किसी दूसरी व्यवस्था का नहीं है । इसमें लोगों को एक ही बात बतलायी जाती है कि सच झूठ कुछ नहीं है, हमेशा बी आन दि सेफ साइड आफ ला । इसने लोगों के स्क्रूपल्स को खत्म कर दिया है और इसलिये जुडिशियरी के दृष्टिकोण में तब्दीली होनी चाहिये ।

आज इस प्रदेश में ही नहीं सारे देश में रिट का एक नया काम निकल आया है । डेमोक्रेसी में रिट का राइट इसलिये दिया जाता है कि अगर बहुत ज्यादा दुरुपयोग उसका हो तो रिट के जरिये आपको इंसाफ मिल सकता है, लेकिन हमारे देश में रिट हर मामले में है । लड़का फेल हो गया, नौकरी से निकाल दिये गये, म्युनिसिपैलिटी का एलेक्शन गड़बड़ हो गया, हर बात में रिट लग जाता है और जुडिशियरी ने इसके चलते एक्जीक्यूटिव की पावर्स को कुंठित कर दिया है और जुडिशियरी का हौसला इससे बढ़ गया है कि पोलिटिकल पार्टीज के जो एलेक्शन होते हैं उनको रोकने की पावर भी जुडिशियरी ने अपने हाथ में लेली है । मुझे खुद अपने यहां का तजुर्बा हुआ.....

**श्री अध्यक्ष**---मैं समझता हूं कि किन्हीं विशिष्ट मामलों के बारे में आप आलोचना यहां नहीं कर सकते । आप जनरल बात कह दें । कोई जजमेंट हुआ होगा और उसमें कोई टीका होगी जुडीशियल आफिसर्स के खिलाफ तो आप कह सकते हैं ।

**श्री त्रिलोकीसिंह**---कांस्टीट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं । रिट का जुरिस्डिक्शन अपना नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष**---यह बात आप कह सकते हैं ।

**श्री गोविन्दसहाय**---मैं कुछ जिम्मेदारी से बोल रहा हूं । कांस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं उसके मिसयूज के खिलाफ बोल रहा हूं और वह इसलिये आता है कि जब लोगों का आउटलुक नहीं बदलता....

**श्री अध्यक्ष**—आप किसी विशिष्ट मामले के बारे में न कह कर जनरल बात कह दीजिये।

**श्री गोविन्दसहाय**—मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जुडीशियरी का जो मौजूदा फंक्शन है उसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है और मुझे खुशी है कि इस सम्बन्ध में सोच विचार हो रहा है। मेरे लिये नामुमकिन है कि इस कम समय में मैं कुछ कह सकूं किन्तु यदि आपको दिलचस्पी हो तो मेरे विचार कुछ रोशनी डाल सकते हैं।

इसी तरीके से एजूकेशन का मसला है। मुझे खुशी है कि इस प्रदेश में काफी स्कूल बढ़े हैं और यह भी तसलीम किया गया है कि बेसिक एजूकेशन हम बड़ी मात्रा में जारी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, एक दो साल का अनुभव यह बताता है कि हमें अपनी एजूकेशन का मौजूदा जो एप्रोच है उसमें कुछ बुनियादी तब्दीली करनी पड़ेगी। मुझे खुशी इसलिये भी है कि एजूकेशन मिनिस्टर महोदय की स्पीच आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में मैंने खुद सुनी है और वह इस बात से अवगत हैं कि छोटे बच्चों का प्लानिंग के बारे में, देश के बारे में, प्रापर्टी के बारे में कुछ बुनियादी नजरिया नहीं बदलता है तो वह सोशलिज्म के लिये एक जनरेशन नहीं तैयार हो सकती है। यह मौजूदा एजूकेशन का ढांचा सिर्फ इस तरह से न देखा जाय कि शिक्षा कितनी बढ़ती है बल्कि ऐसा हो जाय कि इस वर्कशाप से जो ह्यूमन मैटीरियल निकलता है वह मैटीरियल कहां तक मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति करता है। मैं जानता हूं कि इस काम को करने में बड़ी दिक्कतें होंगी और इससे भी वाकिफ हूं कि मिनिस्टर महोदय जो भी ऐसा प्रयत्न करेंगे उनके रास्ते में रिट और जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स बन गये हैं वे आकर खड़े होंगे। यह भी मालूम है कि यूनिवर्सिटी के मामले में वह कुछ करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर रिट फिर आकर रास्ते में खड़े हो गये। यह सब बहुत अड़चने हैं, लेकिन सोशल इन्स्टीट्यूशन्स को बदलने में रिस्क लेना पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि बजट के जरिये महज इसी बात पर बहस नहीं होती कि अमुक रुपया खर्च किया उसका फैलाव ज्यादा होना चाहिये या उसकी मात्रा बढ़नी चाहिये बल्कि उसके जरिये बहस होती है कि जो रुपया और जो व्यवस्थाएं हमारे देश के अन्दर हैं क्या उससे उनके मकसद की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे ५ मिनट का टाइम और देने की कृपा करेंगे? मैंने इस बजट में कुछ विभागों की चर्चा की उसमें कुछ हेल्थ के बारे में कहना चाहूंगा। हेल्थ के ऊपर खास एक ही एप्रोच है कि अस्पताल ज्यादा खुलवा देते हैं। मेरा अपना खयाल है और मुझसे हेल्थ के मिनिस्टर इस बात से सहमत होंगे कि अस्पतालों पर खर्चा करने को जो रुपया है उसके साथ साथ उसी रुपये में लोगों को कुछ जानकारी देकर हेल्थ कान्सस करने का कोई प्रयत्न नहीं है। आज एप्रोच यह हो गई है कि एक डाक्टर ने मुझे बताया कि जब मैं आया था तो मेरे यहां दो सौ मरीज आते थे और अब मरीजों की तादाद हर साल बढ़ रही है। तो हेल्थ के मुहकमे में हमारी ज्यादा कोशिश अगर हेल्थ को प्रिजर्व करने में हो, मामूली कसरतें करना बड़ा आसान है इसलिये बड़े पैमाने पर इन चीजों को चालू किया जाय तो करोड़ों रुपया जो इस पर लगाना पड़ता है और ऐसा सिस्टम बनाना पड़ रहा है, क्योंकि लड़के पढ़कर गांवों में जाना नहीं चाहते, इसलिये आप हेल्थ के बारे में इस दृष्टिकोण से गौर करें कि किस तरह से लोगों के अन्दर बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेन्स बढ़ायी जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों विभाग जिसमें पब्लिक हेल्थ कुछ हद तक इन्जेक्शन्स के जरिये बीमारियों का मुकाबला करता है लेकिन उसके जरिये अगर आप प्रोग्राम चालू करें कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया में और वहां पर इन्टेंसिव तरीके से चालू किया जाय तो ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष**—आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्द सहाय जी के भाषण से मेरे मन पर वही प्रतिक्रिया हुई है जो उनके मन पर पी०एस०पी० के नेता और माननीय दुबे जी के भाषण से हुई थी। मुझे भी उनके भाषण से बहुत

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मायूसी हुई और मायूसी इसलिये हुई कि हमसे तो यह आशा की जाती है कि हम रचनात्मक सुझाव दें और माननीय गोविन्दसहाय जी ने अपने १५ मिनट या इससे कुछ ज्यादा के भाषण में ५–७ मिनट से ज्यादा समय उन्होंने विरोधी दल के नेताओं की आलोचना में लगाया लेकिन इसमें उन्होंने कौन से कान्स्ट्रक्टिव सुझाव दिये, यह मेरी समझ में नहीं आया। वह समझ की बात है जैसे गोविन्दसहाय जी की समझ में उनकी बात नहीं आयी, मेरी समझ में गोविन्दसहाय जी की बात नहीं आई, बात असल में यही है कि समझ का फेर है। गोविन्द सहाय जी ने जो बातें कहीं सुझाव के तौर पर वह बातें, एक आध को छोड़ कर, ज्यादातर ऐसी थीं जो इधर से कही जानी चाहियें थीं, तो वह भी रचनात्मक सुझाव नहीं हुये और अगर वह रचनात्मक सुझाव हैं तो ऐसे ही सुझाव इधर से दिये जाते हैं। मैं यह बात मानता हूं कि जुडीशियल प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है लेकिन यह तर्क समझ में नहीं आया कि चूंकि जुडीशियरी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है इसलिये जुडीशियरी का एक्जीक्यूटिव से सपरेशन नहीं करना चाहिये और इसी प्रकार से शिक्षा में भी खर्चा नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। यह जरूर मैं देखता हूं कि सरकार से कोआपरेशन करते करते उन्हें कोआपरेशन डिपार्टमेंट की खराबियां नजर आने लगी हैं, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण को प्रारम्भ करते हुए पहली बात यह कही कि वह वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश करने की अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यह जिम्मेदारी जिस अदा से अदा की उसके बारे में मैं उनकी खिदमत में एक शेर पेश कर देना चाहता हूं—

तूने बुते हरजाई, कुछ ऐसी अदा पायी,
कि तकता है तेरी सूरत, हरएक तमाशाई।

उनके बजट के बारे में मेरे मन में वही भावना उठ रही है जो इंगलैन्ड के एक बुड्ढे के मन में उठी थी। वह बुड्ढा अपना पुराना कालेज देखने को गया। कालेज को देखकर बोला, यह तो वही पुराना कालेज है। हास्टिल को देखकर बोला, यह वही पुराना हास्टिल है, कमरे को देखकर बोला, यह वही पुराना कमरा है। उस पुराने कमरे में एक नौजवान और नवयुवती बैठे हुए थे, उनको देखकर वह बोला, यह तो वही पुरानी कहानी है। नौजवान ने कहा कि यह तो मेरी बहन है। बुड्ढा तुरन्त बोला, "एन्ड दिस इज दी सेम ओल्ड एक्सक्यूज।" यह बहाना भी वही पुराना बहाना है। मैंने भी इस सदन के सदस्य की हैसियत से १९२४ में इस सदन का बजट देखा है और आज ३५ साल के बाद जब यह बजट देखा तो यह मालूम हुआ कि इस बजट का स्वरूप वही पुराना है। इसका प्रकार वही पुराना प्रकार है, वही पुराने दोष इसमें हैं जो अंग्रेजों के जमाने में पहले होते थे और माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण भी वैसा ही है जो पुराने जमाने में हुआ करता था और इन सब के बारे में जो कारण बताये गये हैं वह भी वही पुराने हैं जो कि अंग्रेजी सरकार की तरफ से बताये जाते थे। इसीलिये मैंने यह कहा कि मेरे मन में यह भाव उठे।

**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)—उधर की क्या हालत है?

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—यह अच्छा है कि त्रिपाठी जी इधर की हालत देखने लगे। ज्यादा अच्छा होता अगर वे अपने आस पास की हालत देखते। अपने ही त्रिपाठी जी को देखें तो ज्यादा अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बजट का स्वरूप वही नौकरशाही का स्वरूप है, जनता के बजट का स्वरूप नहीं है। जनता का बजट ऐसा होना चाहिये कि जिसको देखकर जनसाधारण भी उसको पढ़ कर समझ सके। अगर वैसा बजट बनाया जाना संभव न हो तो कम से कम ऐसा बजट तो बनना ही चाहिये जिसको सदन के माननीय सदस्य समझ सकें। (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर)। मैं व्यक्तिगत

बात नहीं कहना चाहता था लेकिन अगर व्यक्तिगत बात उठायी जाती है तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि सितम्बर के बजट का स्वरूप फरवरी में बदल देना तो मेरे मित्र माननीय वीरेंद्र वर्मा ही कर सकते हैं या उनके साथी कर सकते हैं। दूसरे बजट का स्वरूप बदलने की अब आवश्यकता इसलिये है कि अब प्लानिंग का काम शुरू हुआ है और यह प्लानिंग सन् १९५१ से ही तो शुरू हुई और मुझसे आशा की जाती है कि इसके पहले ही मैं बजट का स्वरूप बदल देता। उनकी इस सद्बुद्धि के लिये बधाई है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करता नहीं हूं लेकिन कर सकता हूं। तो वह स्वरूप जो नौकरशाही बजट का है, सदस्यों की समझ में भी आसानी से नहीं आता है और सच बात तो यह है कि जैसा कि मैंने उस दिन विनियोग विधेयक के संबंध में कहा था कि विशेषज्ञों की समझ में भी यह कठिनाई से आता है केवल वित्त विभाग के लोग ही इसको अच्छी तरह से समझते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुसार इस विधान सभा के सदस्यों के तीन कर्त्तव्य हैं, नीति निर्धारण, वह हम करते हैं, अधिनियम बनाना—वह हम करते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना। नियम देखना कि वे ठीक बने या नहीं इस कार्य को प्रतिनिहित विधायन समिति बड़े आदर्श ढंग से कर रही है। लेकिन जो तीसरा कर्त्तव्य है व्यय पर नियंत्रण करना, कंट्रोल आन दि एक्सपेंडिचर वह नहीं हो रहा है। जनतंत्र में वह सबसे अधिक आवश्यक कर्त्तव्य है और जनतंत्र की वास्तविक मूल आधार भी यही है लेकिन हम अपना वह कर्त्तव्य नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी कह दूं कि जनतंत्र के अनुसार सभी को नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है, वह अधिकार तो इस सदन के हाथ में है, लेकिन व्यय पर नियंत्रण मिनिस्टर भी अच्छी तरह से नहीं कर सकता है जितना सदन के सदस्य कर सकते हैं। चूंकि सदन के सदस्यों को फुरसत ज्यादा होती है, उनके ऊपर प्रशासनिक दायित्व ज्यादा नहीं होता इसलिये वे मुक्त होते हैं और मुक्त रूप से तटस्थता के साथ उसको देख सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बहुत से कामों का जिक्र किया कि हमने यह किया, हमने वह किया। लेकिन सदन के सदस्यों को आपके व्यय पर नियंत्रण करने के कर्त्तव्य का पालन करने के लिये यह काफी नहीं है कि वे आपसे यह सुनें कि आपने क्या क्या काम किया। माननीय गोविन्दसहाय जी ने इस संबंध में कहा कि ११,१२ अरब रुपये खर्च करके अगर आपने कुछ बड़े बड़े काम कर दिये तो कौन सा तीर मारा। आवश्यकता यह है कि हम यह देखें कि आपने जो काम किया वह कितने रुपये में किया, आठ आने का काम एक रुपये में तो नहीं किया या एक दिन का काम दो दिन में तो नहीं किया? यह देखना हमारा काम है और जब हम यह देखने बैठते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता में कुछ लोगों की राय तो यह है कि रुपये में मुश्किल से ४ आने का काम हो पाता है। मैं माने लेता हूं कि यह गलत होगा। मैं जनता की बात नहीं कहता हूं। उस ओर के जो आज भी एक प्रमुख सदस्य हैं और कुछ महीने पहले पावर में थे, राज्य मंत्री मंगलाप्रसाद जी ने कहा था कि रुपये में ८ आने का ही काम होता है, लेकिन जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं और किसी के वक्तव्य का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहता हूं। मैं माने लेता हूं कि वह भी गलत है और ८ आने से ज्यादा का काम होता है। मान लीजिये कि रुपये में १२ आने का काम होता है और आपका बजट है १ १/२ अरब से ज्यादा रुपये का। तो अगर ४ आने की छीजन होती है तो करीब ४० करोड़ की छीजन हर साल होती है। सदन के सदस्य जानना चाहते हैं कि यह सुझाव कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? इस सदन के सदस्य ही उस छीजन पर कारगर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर कहा जाय कि १२ आने का नहीं रुपये में १४ आने का काम होता है तो भी करीब २० करोड़ रुपये की साल में छीजन होती है और यह कहा जाय कि १४ आने नहीं १५ आने होती है तब भी १० करोड़ रुपये साल की छीजन होती है। मेरा खयाल है कि बहुत ज्यादा दुःसाहसी को छोड़ कर ऐसा कोई उधर भी नहीं होगा जो इस तरह से गैर जिम्मेदारी से दावा करने लगे कि रुपये में १५ आने से ज्यादा का काम होता है तो फिर अगर १५ आने होता है तो १० करोड़ रुपये साल का नुक्सान होता है।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

अध्यक्ष महोदय, जब रुपये की कमी के नाम पर गरीब जनता के पेट की रोटी पर टैक्स लगाया जाता है तब १० करोड़ रुपये साल की बरबादी होने देना पाप है। इसको दूर करने की आवश्यकता है और इसके लिये व्यय पर नियंत्रण करें और बजट का स्वरूप बदला जाय। बजट के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता प्लानिंग कमीशन ने स्वयं बतलाई है। यह मैं अपनी राय या विरोधी दल के नेता की राय नहीं दे रहा हूं, सरकारी पक्ष के लोगों की बात से अपनी बात का समर्थन कर रहा हूं। प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा वह मैं बतलाना चाहता हूं। पहली रिपोर्ट में यह लिखा है कि नेशनल प्लानिंग की जरूरतों के मुताबिक ही बजट पर कंट्रोल जरूरी है। जितनी ज्यादा जरूरतें प्लानिंग की बढ़ती जायंगी राष्ट्र के लिये उतना ही अधिक आवश्यक बजट पर कंट्रोल करना होगा और कंट्रोल के माने यह होंगे कि खर्चा कम हो, यह होगा कि ठोस वित्तीय नियंत्रण हो रहा है या नहीं नहीं हो रहा है। यह प्लानिंग कमीशन का कहना है और यह देखना होगा कि साधनों का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, रुपया जितना है उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है और जो रुपया मिल रहा है उसका पूर्ण लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के पृष्ठ १२३ व १२४ पर यह लिखा हुआ है। माननीय वीरेंद्र वर्मा जी नोट कर लें कि यह पंचवर्षीय योजना ४७ में या ४८ में नहीं थी जब मैं था—

"Both in Central Government and States existing arrangements should be reviewed by Finance Department in co-operation with Planning authorities."

आपकी रिपोर्ट कहती है इस पंचवर्षीय योजना की कि रिव्यु होना चाहिये जो आजकल विद्यमान वित्तीय अरेंजमेंट है बजट बनाने का। वही बात मैं कह रहा हूं कि जनहित में जनता के रुपये को, गरीब जनता के खून पसीने की कमाई के रुपये को बचाने के लिये व्यय पर नियंत्रण करने हेतु साधनों को मुहइया किया जाय। उसमें आगे लिखा है—

"Procedure requires reorientation for ensuring adequate control and avoid unnecessary delay."

जो प्रोसीजर हैं इसको बदलना चाहिये। यह भी वह रिपोर्ट कहती है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पर्याप्त नियंत्रण एंश्योर करने के लिये और जो देर होती है अननेसेसरी काम होने में उसे दूर करने के लिये प्रोसीजर को बदलना चाहिये—

"In a development State old instrument of democracy, i.e. Finance Department and Audit will have to be refashioned to suit new times."

प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में यह भी है कि डेमोक्रेसी के १९४८ तक के जो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे फाइनेंस डिपार्टमेंट तथा आडिट डिपार्टमेंट उनके तरीके को बदलना चाहिये। रिओरियेंटेशन होना चाहिये। आगे यह है—

"System of Government including system of financial administration needs constant review."

मैं यह कहता हूं कि इस बात की आवश्यकता है कि हम व्यय पर नियंत्रण करें और फायनेंस डिपार्टमेंट जिन सिद्धांतों पर काम कर रहा है उनको रिव्यु किया जाय। मैं पूछता हूं क्या ऐसा किया गया, आवश्यक समझा गया और उनको बदलने की कुछ कोशिश की गयी? लेकिन अब सवाल यह होता है जैसा कि गोविन्दसहाय जी ने कहा कि डायगोनेसिस तो किया, डायगोनेसिस ठीक हो और दवा भी ठीक बतायी जाय। मैं दवा बताता हूं। तीन सुधार हैं जिनके करने से व्यय पर कारगर नियंत्रण हो सकता है। पहला सुधार तो वह है जो आचार्य महालानोबिस ने बताया है, यानी बजट का विभाजन दो भागों में होना चाहिये। एक भाग में पुलिस, प्रशासन, न्याय प्रशासन, शांति और व्यवस्था, यह सब एक हिस्से में होना चाहिये और दूसरे भाग में प्लान का बजट रहना चाहिये। प्लान के बजट को दो भागों में बांटा जा

सकता है राजस्व और पूंजी। दोनों को मेरी राय यह है कि एक में भी कर सकते हैं। और उनका दूसरा सुझाव यह है कि शीर्षक जो हों बजट के वे फंक्शनल हों। फंक्शनल हेड्स हों, सरकार जो विभिन्न फंक्शन्स करती है उनके मुताबिक हेड्स होने चाहियें, और सब हेड्स इंटेलीजिबिल यूनिट समझ में आने वाली इकाई होनी चाहिये। तो परिणाम यह होगा कि आडिट और प्लान के और बजट के तीनों के शीर्षक एक से हो जायेंगे। और इसलिये उनको समझने में आसानी होगी। यह भी मैं बता दूं आचार्य महालानोबिस के जो सुझाव हैं जो पंचवर्षीय योजनायें बनायी जा रही हैं वे इसी सुझाव के अनुसार बनायी जा रही हैं। उसमें जो शीर्षक और उप-शीर्षक रहते हैं वह उसी सुझाव के अनुसार रहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी रहे, द्वितीय में भी इसके मुताबिक रहे। तो कोई कारण नहीं है आज १९५९ में उसे न मानें। और अगर मैंने कोई पाप किया था तो कसूर मेरा, लेकिन आप उस गलती को क्यों करें यह बात मेरी समझ में नहीं आता। अब समय आ गया है कि इस चीज को बदला जाय।

इसके अलावा दूसरा सुधार जो है, जैसा मैंने कहा आडिट, लेखा परीक्षा, में भी परिवर्तन होना चाहिये। लेखा परीक्षा का उद्देश्य मेरे जमाने तक थोड़े से अन्तर के साथ यह था, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के जमाने में तो यह था कि यह देखा जाय, ब्यूरोक्रैसी तो सदन के सामने जिम्मेदार होती नहीं थी, तो केवल इसलिये आडिट कराते थे कि यह देखा जाय कि नीचे के अधिकारी रेगुलेशन्स का ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट स्टेट में बिल्कुल उद्देश्य बदल जाता है और आडिट का उद्देश्य यह हो जाता है कि वह यह देखे कि १ रु० में १६ आने का काम हुआ है या नहीं। यह आडिट का काम है। आडिटर इस सुधार के मुताबिक जब रिपोर्ट देंगे तो यह भी कहेंगे कि जो काम हुआ है उसमें इतने रुपये से काम हो सकता था और इतना रुपया खर्च होता। यह सुझाव मेरा कोई न तो गलती है और न कोई ऐसी बात है जो विध्वंसात्मक सुझाव कहा जा सकता है। यह दूसरी बात है कि जो सुझाव इधर से आवें, और अगर इस तरफ से कहा जाय कि अपनी नाक की रक्षा कीजिये और आप कहें कि यह तो रक्षा करने की कहते हैं तो हम अपनी नाक काट लेंगे। यह मनोवृत्ति हमारे उधर के साथियों की नहीं होनी चाहिये।

दूसरा उद्देश्य आडिट का यह है कि आडिट यह बतावे कि जो इस प्रदेश में काम हो रहे हैं वही काम दूसरे प्रदेशों में कैसे हुये, कितने रुपये में हुए और कितने समय में हुए और उनकी तुलना की जा सके। अगर ऐसा किया जायगा तो निश्चित है कि इन सब बातों से आसानी होगी, सदन के अधिक सदस्यों को सही स्थिति जानने में और माननीय मंत्रियों को भी। इसलिये ऐसा होना चाहिये।

इसके अलावा आडिट की जो रिपोर्ट हो ८ भागों में होनी चाहिये। वे आठ भाग यह हैं। पहले भाग में विनियोग लेखों, बजेटरी मैथड्स पर सामान्य टिप्पणी। एक जनरल रिमार्क बजेटरी तरीके के और विनियोग लेखों के बारे में। दूसरे में विनियोग लेखों पर टिप्पणी अलग-अलग हेड्स की और अलग-अलग यूनिट्स की जैसा कि महालानोबिस ने बताया है। तीसरे में वित्तीय हानियों और अनियमितताओं का जिक्र होना चाहिये जिससे कि सदस्य जान सकें कि क्या-क्या वित्तीय हानियां हुई हैं। चौथा, केंद्र से मिलने वाले कितने ऋण और अनुदान हैं। पांचवां, ऐसे अधिकारियों की सूची होनी चाहिये जिन्होंने अपने वाउचर न दिये हों और हर विभाग के अधिकारियों की अलग-अलग सूची रहेगी तो आसानी से मालूम हो जायगा कि किस विभाग ने किस तरह से काम किया है, क्या गलती की है और उसे पकड़ने में आसानी हो जायेगी। छठे में विकास योजनाओं का फाइनेंशियल स्टाक टेकिंग होना चाहिये। सातवें में सार्वजनिक कंसर्न जो खोली हैं उनकी आडिट रिपोर्ट। आठवें में लोक ऋण की स्थिति दी जानी चाहिये। ये आठ भाग अलग-अलग छपें तो व्यय के नियंत्रण में आसानी हो सकती है।

सदन दो समितियों द्वारा अपना नियंत्रण व्यय पर करता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति का काम यह है कि जो इब्तदाई एस्टीमेट बनें उनको

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

देखे कि ठीक बने हैं या नहीं। यह काम प्राक्कलन समिति अच्छे ढंग से कर रही है। वह ३-४ छोटी समितियों में बांट दी जाय और हर एक कमेटी में एक फाइनेंस एडवाइजर-कम-चीफ एकाउन्ट्स आफिसर रहे उसकी सहायता के लिये। लोक लेखा समिति की आवश्यकता स्पष्ट है क्योंकि वह विनियोग लेखों को स्क्रूटिनाइज करती है। इसके कार्य के संबंध में कहा जाता है कि यह तो पोस्टमार्टम करती है इससे क्या लाभ होता है। इस संबंध में सर सिडनी वेब ने कहा है:---

"The fact that post-mortem examination does nothing to keep the patient alive is no proof that the existence of the system of post-mortem does not prevent murders."

यानी रोगी जो मर गया वह तो नहीं बचता लेकिन इससे अपराधी का पता चल जाता है। उससे हत्याओं के नियंत्रण में आसानी पड़ती है। इसी तरह से अपराधों का जो पता चलेगा वित्त के कार्य के संबंध में उनको रोकने में, नियंत्रण करने में आसानी होगी।

तीसरा सुधार होना चाहिये जैसा मैंने उस दिन कहा था कि यहां का बजट ब्रिटिश पद्धति के अनुसार होता है। यह ब्रिटिश पद्धति उस जमाने की है जब तक कि ब्रिटेन में १९२१ में श्री वारेन फिशर के बताये हुए सुधार नहीं हुए थे। १९२१ में ब्रिटेन की पद्धति में सुधार किया गया है, लेकिन हमारे देश में अभी तक उसी पद्धति को जिसे कि ब्रिटेन छोड़ चुका है, पाला जा रहा है। वारेन फिशर के मुताबिक जो वहां सुधार हुए हैं यदि उन्हें हम यहां कर लें तो नतीजा यह होगा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के कार्य में देर होती है यह दूर हो जायेगी।

इस संबंध में एक बात यह भी है कि विभाग के अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि विभाग में नीचे के अधिकारी ठीक तरह से काम कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी भी उनके ऊपर पड़ जायेगी, और अगर वहां कोई गड़बड़ी होती है तो लोक लेखा समिति उन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा सकेगी और उनको सजा दे सकेगी। इसलिये इस प्रकार से अपने ऊपर जिम्मेदारी आने पर वित्त पर विभागीय कंट्रोल हो जायगा, स्वयं विभागीय अध्यक्ष देखेंगे कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, गैरजरूरी देर तो नहीं हो रही है, आवश्यकता से अधिक व्यय तो नहीं हो रहा है, यह सब यदि वे स्वयं ही देखेंगे तो कुछ वहां से ठीक होगा और फिर वित्त विभाग देखेगा कि विभागीय अध्यक्ष ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। उस के बाद आडिट इस बात को देखेगा कि वित्त विभाग ने भी ठीक से फाइनेंस के प्रासेस को देखा है या नहीं और अन्त में आडिट के काम को लोक-लेखा समिति देखेगी। इस तरह से ४ जगह स्क्रूटिनी होने पर एकानामी होगी, पैसे का दुरुपयोग न होगा, वेस्टेज न होगा। इसलिये इन सुधारों की आवश्यकता है।

लोक-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के बारे में भी मैंने कहा कि उन की भी ३--३, ४--४ उप-समितियां होनी चाहिये। उन उप-समिति के बारे में भी सर मिल्ले की राय है कि ऐसी छोटी उप-समितियों में उन का हर एक सदस्य स्वयं टिप्पणियों को पढ़ समझ कर आ सकता है। वैसे पूरी कमेटी के हर एक सदस्य के लिये यह संभव नहीं है कि वह साहित्य के पूरे गड्ड को समझ कर आ सके, इसलिये अगर उप-समितियों में विषयों को बांट दिया जाय तो सदस्य आसानी से उस को देख सकेंगे और अपने-अपने विषयों के अधीन आवश्यक आलोचना कर सकेंगे और उत्तम सुझाव भी दे सकेंगे। सर वेसलेब ने लिखा है कि यह तीन-चार समितियां तिगुना-चौगुना काम कर सकती हैं; अतः इन का बनाना बहुत जरूरी है।

एक सुझाव और है, वह यह कि लोक-लेखा समिति का सचिवालय स्वतंत्र होना चाहिये, जैसा कि अभी तक है कि वित्त विभाग के अधिकारी ही उस के सचिव होते हैं यह नहीं होना चाहिये। केंद्र में भी भारत सरकार की लोक-लेखा समिति का सचिवालय स्वतंत्र है और

संसद् सचिवालय के अधीन है। उसी प्रकार से यहां भी होना चाहिये तभी उसे स्वतंत्रता-पूर्वक काम करने की सुविधा हो सकती है। यदि ऐसे सुधार हो जायं तो उसका फल यह होगा . . . . .

**श्री अध्यक्ष**---लोक-लेखा समिति के विषय में नये नियमों में ऐसा परिवर्तन हो गया है।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---यह कि वह स्वतंत्र सचिवालय होगा ?

**श्री अध्यक्ष**---उसमें अब विधान सभा सचिव ही सेक्रेटरी होंगे।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---पिछली मीटिंग में तो वित्त विभाग के श्री भिडे ही वहां थे लेकिन अगर अब ऐसा विधान हो गया है तो अच्छा है, मैं बहुत आभारी हूं इस सुधार के लिये।

अब माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में स्वयं उपसंहार में एक बात कही कि मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे केवल उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव देने की कृपा करें। मेरा कहना है कि जब इस तरह का बजट का स्वरूप हो जायगा, और यह मेरे बताये हुये सुधार हो जांयगे तो अपने आप फजूल की टीका बन्द हो जायगी और उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव आने लगेंगे। श्रीमन्, मेरा कितना समय और है ?

**श्री अध्यक्ष**---१५ मिनट और हैं।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---कुछ बातें अब मैं बजट के प्रकार के विषय में भी कहूंगा।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि बजट का प्रकार भी वही पुराना है। आज भी यह शोषित और पीड़ित जनता का बजट नहीं है, यह पुलिस और पूंजीपतियों का बजट है। पुलिस शब्द का प्रयोग मैं प्रतीक के रूप में करता हूं। शान्ति और व्यवस्था और न्याय प्रशासन जिस की कि आप ने आलोचना की इन सब के सम्बन्ध में और नौकरशाही के रूप में, पूंजीपतियों द्वारा स्थापित स्वार्थों के प्रतीक के रूप में, सरकारी लाड़लों के प्रतीक के रूप में इनका बजट है। अगर वित्त मंत्री ने जो रिआयतें की हैं उनको देखें तो वे रिआयतें उद्योगपतियों के लिये हैं और सरकारी कर्मचारियों के लिये हैं, यानी पूंजीपति वर्ग और नौकरशाही वर्ग के लिए हैं, जनता के लिये कोई रिआयत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि यह बजट शोषित पीड़ित जनता का बजट नहीं है। हरिजनों का, परिगणित जातियों का, पिछड़े वर्गों या अल्पसंख्यकों का और हमारे ८० फीसदी गांव में रहने वालों का इस भाषण भर में कहीं नाम भी नहीं है। २१ पृष्ठ के भाषण में इन बेचारों का कहीं नाम तक नहीं है और अगर इनमें से एक-एक को लिया जाय तो हरिजनों को जो १८ फीसदी की गारंटी है वह न मालूम कितनी शताब्दियों में पूरी होगी, अभी तक नहीं हो पायी है, उनके साथ तो यह हो रहा है। पिछड़ी जातियों के लिये बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट हुई, उसको कार्यान्वित करना तो दूर अच्छी तरह से प्रकाशित ही नहीं की जा रही है। अल्पसंख्यकों का कोई नाम ही नहीं लेता। तो ये सब बातें हो रही हैं और अन्याय तो जैसा कि पहले था अंग्रेजी राज्य के जमाने में वैसा ही चला आ रहा है।

प्रो० फेरवानी ने "सोशल एफिशियेंसी" नाम की किताब में लिखा है कि शहर वाले लोग यह भूल जाते हैं कि गांव भी हैं और गांव में कुछ लोग रहते हैं। यह मनोवृत्ति हमें इस समय अपनी सरकार की भी मालूम पड़ती है। गांवों के साथ अन्याय, शहरों के साथ पक्षपात हर जगह पर सरकार के हर कार्य से प्रकट होता है। गांवों में समाजवाद, शहरों में पूंजीवाद, यह समानता समझ में कभी नहीं आयी। गांवों में सीलिंग रख दी गयी। सीलिंग का मैं समर्थक हूं, लेकिन सीलिंग शहरों में नहीं। यह लोक सभा में प्रस्ताव पास होता है कि शहरों में ५०० रुपया माहवार तक की आमदनी वेजेज मानी जानी चाहिये जबकि गांव के लिये ३०० रुपया महीने से ज्यादा आमदनी रखना जुर्म है। शहरों में तो मजदूरों के लिये भी ५००

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

रुपया होनी चाहिये और गांवों में बड़े से बड़ा काश्तकार ३०० रुपया माहवार से ज्यादा नहीं रख सकता है। गन्ने के मामले में, किसान और मिल-मालिक के मामले में जो किया जा रहा है वह सब को मालूम है जबकि सदन इस सम्बन्ध में स्वयं प्रस्ताव पास कर चुका है, उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है।

गांव की आमदनी का ८० करोड़ रुपया, १ अरब २० करोड़ में से ८० करोड़ रुपया गांवों में से टैक्सों के रूप में आता है और मुश्किल से ४० करोड़ शहरों का हिस्सा होगा, लेकिन गरीबों का ८० करोड़ रुपया शहरों पर खर्च हो जाता है और शहरों का अपना रुपया शहर वालों के साथ रहता ही है।

वसूली की बात देख लीजिये। शहरों के सेठों पर इनकम टैक्स का लाखों करोड़ों का बकाया है। बिक्री-कर का बकाया है, बिजली के बिल बाकी हैं, वह माफ कर दिये जैसा कि राजनारायण सिंह जी ने बताया, लेकिन गांव के किसान के ऊपर १० रुपये का लगान बाकी है और वह प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित है तब भी उसकी कुर्की होती है, वह हवालात में बन्द किया जाता है और उसके वारंट निकाले जाते हैं। (एक आवाज---एक रुपया लगान पर भी ऐसा ही होता है।) लेकिन मैं तो हमेशा कम करके ही कहता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि कोई यह आलोचना करे कि आपने बात बढ़ा करके कही। तो लगान १० रुपया हो या उससे कम हो, दूसरी बात है। तो यह सब अन्याय हो रहा है।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के प्रकार के बारे में मुझे एक ही बात कहनी है कि कहावत है कि "बारह बरस में घूरे के दिन भी फिर जाते हैं" और हमारे देश को स्वाधीन हुए १२ वर्ष आ रहे हैं, लेकिन १२ वर्ष में परिगणित भाइयों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के, अल्पसंख्यकों के और हमारे देश के ८० फीसदी गांव के निवासियों के दिन अभी नहीं फिरे हैं। आपने बड़े बड़े काम किये इसके लिये धन्यवाद, लेकिन उनका यह परिणाम अभी तक नहीं हुआ है। कौन-सी समस्या आपने हल की ? गरीबी की कौन ? अगर मैं मान लूं कि ११ फीसदी आमदनी आपने बढ़ा दी और अब तक १५ फीसदी बढ़ गयी हो, तो आप देखिये, माननीय मुख्य मंत्री ने शायद कल परसों ही मेरे प्रश्न के जवाब में कहा था कि खाद्यान्नों की कीमत ३० बढ़ गयी है। खर्चा बढ़ा ३०, आमदनी बढ़ी १५। जनता गरीब हुई या अमीर हुई ? धेबर साहब ने खुद कांग्रेस अधिवेशन में अपने भाषण में यह कहा कि अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। वे तो विरोधी नहीं हैं ? उनके लिये तो आप यह नहीं कह सकते कि वे सुझाव नहीं देते।

शिक्षा के बारे में एक बात कही गयी। मैं मानता हूं कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये। समय नहीं है वरना मैं पढ़ कर आया था, आपको बताता। शिक्षा में सब से बड़े परिवर्तन की तो यह आवश्यकता है, और माननीय गोविन्दसहाय जी को मैं बताना चाहता हूं इंग्लैंड के शिक्षा पद्धति के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट ने यह कहा है कि एशिया में जो हमारी शिक्षा प्रणाली की नकल हो रही है वह कतई गलत है क्योंकि हमारे यहां शहरों में लोग रहते हैं और वहां गांवों में लोग रहते हैं। उनकी प्रणाली बिल्कुल दूसरे प्रकार की होनी चाहिये। और उन्होंने यह कहा कि गांव के लोग शहरों में आकर भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी संस्कृति और कल्चर को छोड़ बैठते हैं और बुरे रास्ते पर चले जाते हैं। तो गांवों के लोगों को वही शिक्षा आप अभी तक दे रहे हैं। उसको बदलना पड़ेगा।

अन्त में मैं इतना और कह दूं कि अगर व्यय का नियंत्रण करने की सब बातों को आपने ठीक नहीं किया तो जैसा आजकल हो रहा है कि "अन्धी पीसे कुत्ते खायें" वह होता रहेगा।

अन्त में मुझे सरकार से केवल एक ही प्रार्थना करनी है और वह यह कि सरकार के सामने एक ही मार्ग है, वह विनोबा और रामास्वामी नैकर में से किसी एक को चुन ले। मैं याद दिलाता हूं सदन के माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, कि स्वर्गीय पंडित मोतीलाल

नेहरू ने अंग्रेजी राज्य के जमाने में की सेन्ट्रल असेम्बली में अंग्रेजी सरकार से कहा था कि वह गांधी और बलराज में से एक को चुन ले। उसी के अनुसार मैं आज की सरकार से कहता हूं कि वह विनोबा और रामास्वामी नैकर में से एक को चुन ले। या तो सर्वोदय के मार्ग पर चल कर जनता की जिन्दगी की जरूरतों को जल्दी से जल्दी पूरा करिये। गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, सोशल इन्जस्टिस बढ़ रही है, मुनाफाखोरी बढ़ रही है। प्रगति हो रही है मैं मानता हूं, लेकिन इन दिशाओं में हो रही है। या तो आप इन प्रगतियों को रोकिये और सही प्रगति कीजिये या तैयार हो जाइये शोषित और पीड़ित जनता के हिंसात्मक विद्रोह का सामना करने के लिये। उनके क्रोध की आग में जल कर भस्म होने के लिये तैयार हो जाइये। अगर आप सर्वोदय के मार्ग पर चल कर जनता की जिन्दगी की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, चुनाव आपके सामने है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कीजिये।

*नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि किसी सरकार का जब बजट पेश होता है तो उसके अन्दर उस सरकार की नीति होती है और उसके एक साल के जो काम हैं उनका एक खाका पेश किया जाता है। इस आधार पर अगर इस बजट को जांचने की कोशिश की जाय तो मैं समझता हूं इस बजट के साथ इन्साफ होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एक बड़ी लम्बी तकरीर हमारे सामने की है उसमें उन्होंने बजट के हर पहलू पर काफी रोशनी डाल दी है और मैं समझता हूं कि मेरे या किसी और के लिये कुछ इजाफा करना न मुनासिब हो सकता है और न मुमकिन ही हो सकता है। बजट के ऊपर जब मैं तकरीरें सुन रहा था, खास तौर पर माननीय नेता विरोधी दल की और दूसरे नेताओं की तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हमने कुछ पाप किया है और यह सरकार का बजट एक रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है, आसमान गिरने वाला है और जमीन फटने वाली है, पता नहीं इस मुल्क का क्या होने वाला है। जो तकरीरें की गईं उनसे ऐसा मालूम होता है कि यह बजट किसी काम का नहीं है और एक रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। सरकार ने जो कुछ किया है वह पाप किया है और जो बातें उधर से कही जा रही हैं वह सब सही हैं। अगर कोई स्ट्रेन्जर उस समय होता या होगा तो उस पर इस तरह का इम्प्रेशन पड़ सकता है।

मैं एक बात की अपील करना चाहता हूं और वह यह है कि जब हम किसी बात की आलोचना करने बैठें तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि आया जो काम किये गये वह कहां तक मुनासिब थे, कहां तक इमकान में थे और इन कामों में अगर कोई कमी रह गई तो वह जानबूझ कर रह गई या इसलिये रह गई कि वह कंट्रोल से बाहर थी। मैं इस बात का तो दावा नहीं कर सकता हूं और न कोई शख्स कर सकता है कि कोई बजट पेश किया जाय तो वह हर तरह से मुकम्मिल होगा। जो काम करना चाहते थे वह सब कर दिये गये या जितना रुपया हम खर्च करना चाहते थे उसका एक-एक कौड़ी सही तौर पर खर्च हुआ। कोई सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती है लेकिन इसके साथ ही साथ यह बात भी माननी पड़ेगी कि जो काम इस साल में हुये या और लम्बे अर्से की बात कही जाय तो १९४६ से जो काम सरकार ने किये तो क्या उसको मीन ऐक्शन कह दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह एक बड़े अन्याय और बेइंसाफी की बात होगी।

जो काम इस साल में हुये और जो प्राविजन रखा गया उनमें कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं लेकिन यह कह देना कि एक तरह से यह सब काम गलत हुये हैं और जो बजट पेश किया गया है वह भी गलत है, यह किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है मैं इस बात का एतराज करता हूं। जब मैं नेता विरोधी दल की तकरीर सुन रहा था तो मुझे बड़ी मायूसी हुई और मैं अपने दोस्त जो मेरे सीधे हाथ की ओर बैठे हुये हैं उनकी निराशा में खुद भी शरीक हूं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

शिरकत करता हूं । मैं सोच रहा था कि जब नेता विरोधी दल, दूसरे दल के नेताओं और दूसरे सदस्य अपनी तकरीर शुरू करेंगे तो वह इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इस बजट में जो कमियां हैं उनको पेश करेंगे । लेकिन इसके साथ ही साथ जो काम इस सिलसिले में हुये हैं या किये जाने वाले हैं जो इस बात के लिये मुस्तहक हैं उनका तजकिरा अच्छाई के लिये किया जायगा । लेकिन मेरी मायूसी की इंतिहा न रही जब देखा कि शुरू से आखिर तक बुराइयां ही बतलाई जा रही हैं और उनको कोई चीज ऐसी मालूम नहीं होती जिसका वह तजकिरा करें । क्या यह बात सही नहीं है कि जो बजट पेश किया गया है उसमे कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है ? क्या यह सही नहीं है कि १०० रुपये से २०० रुपये जिनका वेतन है उसमें ५ रुपये का इजाफा किया गया है और सभी सदस्य जानते हैं कि इसकी वजह से बजट पर २ करोड़ १८ लाख का बार पड़ा है । सही है अगर यह मुमकिन हो सकता कि तनख्वाहें और ज्यादा बढ़ सकें तो यह करना जरूरी था । यह अच्छी बात थी । लेकिन सवाल यह है मौजूदा सूरते हालात के मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुये कहां तक हम कर सकते हैं । देखना यह है कि उतना हमने किया या नहीं ।

जो बिजली का सरचार्ज माफ किया गया इस पर बड़ा एतराज हुआ । बाज हजरात ने कहा कि कैपिटलिज्म की तरफ कदम रखा जा रहा है । देहात के लोगों पर सीलिंग और कोआपरेटिव लायी जा रही है लेकिन शहर के लोगों का सरचार्ज माफ किया जा रहा है । बिजली पर जो सरचार्ज छोड़ा गया है वह इसलिये कि बिजली की पैदावार और तकसीम बढ़े । हम सब मानते हैं जब तक बिजली की पैदावार और तकसीम नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे यहां काफी इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ सकतीं । जहांतक हमारे प्रदेश की समस्या है, उसको हल करने के लिये हमें जमीन पर बोझ जो है उसको कम करना है । जब तक उस बोझ को कम करने के लिये हम इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ाते तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती । इस ऐतबार से अगर कदम उठाया गया तो क्या गलत बात की गयी ।

इसके अलावा देहात के सुधार के लिये, रिकंसट्रक्शन के लिये काफी तवज्जह दी गयी है । आपने इस साल तय किया है कि ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोलेंगे । उसके कांस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है । यह तमाम काम प्रदेश की तरक्की के लिये किये जा रहे हैं लेकिन अगर हम कहें कि गवर्नमेंट के पास अलादीन का चिराग हो या जादू का डंडा हो जो सिर के चारों तरफ फेर दे और तरक्की हो जाय, जो काम करने हैं वह सब हो जांय तो इसमें जरूर निराशा होगी । कोई गवर्नमेंट यह नहीं कर सकती । देश का हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है जिसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपये की जरूरत होगी । आपको प्रायरिटी देनी पड़ेगी । एतराज होता है कि एजूकेशन का सिस्टम नहीं बदला गया, कुएं नहीं बनाये गये और बहुत बातें नहीं की गयीं । इसमें शक नहीं कि जितना काम हुआ है उसके बावजूद सोशलिस्ट पैटर्न कायम करने के लिये, और नागपुर के रेजोल्युशन पर अमलदरामद करने के लिये, बहुत सा स्पेड वर्क करना पड़ेगा । हमारी एक पंचवर्षीय योजना खत्म हो गयी है । दूसरी चल रही है जिसके तीन साल गुजर चुके हैं । दो साल बाकी हैं । इन पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है ।

एक सवाल इस बजट के दौरान में बार-बार उठाया गया और वह यह कि मुल्क के अन्दर गल्ले का तोड़ा है । इसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि मुल्क के अन्दर इस वक्त गल्ले का सवाल है, गल्ले की दिक्कतें हमारे सामने हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसको कैसे हल किया जाय । गल्ले का मसला इस तरह से हल नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे पर गंदगी उछालें । यहां तक कहा गया कि गल्ले की जो दूकानें दी गयी हैं वह कांग्रेसमैन को या उनके अजीजों को दी गयी हैं । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा पेच स्तराज नहीं किया जा सकता । गल्ले की दूकानें किसी शख्स को दी जांय, कांग्रेसमैन या गैर कांग्रेसमैन को

लेकिन कोई शख्स दावा नहीं कर सकता कि उस पर एतराज न हो । मैं ऐसे शख्स को मालूम करने की कोशिश में हूं जिसके सुपुर्द किसी नगर का इंतजाम कर दिया जाय और उसके सुपुर्द यह गल्ले की दूकानों को तकसीम का भी काम कर दिया जाय कि जिसको चाहें दें बशर्ते कि उस पर कोई एतराज न हो तो शायद कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा । इंसानी कामों में हर वक्त एतराज होते हैं और जब कि हमारा चरित्र यह है कि वक्त ऐसे एतराजों में कमी नहीं हो सकती । यह एतराज हमेशा बढ़ते चले जायेंगे । तो मैं यह कहना चाहता था कि गल्ले का सवाल है और इसको हल करना है और इसको हल करने के लिये देखना यह है कि सरकार की तरफ से कोशिश की गयी है या नहीं ।

(इस समय १ बजकर ३० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन-राम गुप्त पीठासीन हुये । )

आज इस सूबे के अन्दर साढ़े चार हजार फेयर प्राइस शाप्स खुली हुई हैं । हम यह भी देखते हैं कि डेढ़ अरब का गल्ला बाहर से फारेन एक्सचेंज की दिक्कत के बावजूद मंगाया गया और हम यह भी देखते हैं कि जो इसकी तकसीम में सहूलियतें पैदा करना चाहते थे वह पैदा की गयीं और मुतालबा करने पर गवर्नमेंट ने एक फूड कमेटी भी बना दी और उस कमेटी के अन्दर हर पार्टी के नुमाइन्दे शामिल हैं । अगर्चे हमारी एक मुअज्जिज पार्टी के रुक्न और लीडर उसमें बैठने से इन्कार कर चुके हैं लेकिन फिर भी बकिया जितनी पार्टी हैं और सरकारी पार्टी है उन सबके नुमाइन्दे उसमें मौजूद हैं । वक्तन–फवक्तन वह इसके अन्दर रिव्यू करते हैं और इसके मातहत काम होता है । ये अकदाम है जो गल्ले के सिलसिले में उठाये गये हैं । हो सकता है कि इसमें कमी रह गयी हो लेकिन देखना यह है कि जो इन्सानी इमकान में था वह किया गया या नहीं ।

यह मैं मानता हूं कि गल्ले के मसले को हम अभी तक हल नहीं कर पाये हैं और इसके हल करने में हमको प्रायरिटी देनी चाहिये । सवाल यह है कि इन सब कोशिशों के बावजूद अगर गल्ले के मसले में कामयाबी नहीं हुई तो उसकी एक वजह मेरे नजदीक यह है कि इन सीजन ऐंड आउट आफ सीजन एक दूसरे पर बौछार करते हैं, एतराज करते हैं । कहीं इस बात का तजकिरा होता है कि स्टारवेशन है और इसकी वजह से एलार्म होता है और उसका नतीजा यह होता है कि होर्डिंग ज्यादा होने लगे । हम लोगों को इसे मिलकर और सर जोड़ कर हल करने की जरूरत है और इसको नेशनल प्राब्लम बनाने की जरूरत है । माननीय चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क की यह भी एक बदकिस्मती रही है कि हमारे यहां कोई भी प्राब्लम नेशनल प्राब्लम नहीं मानी जाती । हर मुल्क के अन्दर कुछ नेशनल प्राब्लम्स होती हैं, कुछ पार्टी प्राब्लम होती हैं और कुछ इंडिविजुअल प्राब्लम्स होती हैं । जिस वक्त कोई नेशनल प्राब्लम मुल्क के सामने आ जाती है तो जितनी पार्टी प्राब्लम्स हैं और जितने इंडिविजुअल प्राब्लम्स हैं उन सबको नेशनल प्राब्लम के सामने सबार्डिनेट कर दिया जाता है ।

**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, अभी जब अध्यक्ष महोदय पदासीन थे उन्होंने यह व्यवस्था कर दी थी कि ट्रेजरी बेंचेज से हर एक सदस्य दस-दस मिनट ही बोलेंगे । मिनिस्टरों के अलावा उधर के हर सदस्य के लिये उनकी यह व्यवस्था थी तो इस सम्बन्ध में आपने क्या कोई नयी व्यवस्था दी है ?

**श्री अधिष्ठाता**—माननीय नागर जी, शायद आप भूल रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि विरोधी दलों के नेता ४५ मिनट बोलेंगे और आवश्यक होगा तो उनको कुछ समय और दिया जायगा । इसी तरह से मिनिस्टरों के बारे में भी हुआ था । वह मिनिस्टर हैं इसलिये अभी हम उनको रोक नहीं सकते ।

**श्री शिवप्रसाद नागर**—अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने यह व्यवस्था तो केवल मिनिस्टर क लिये दी थी, डिप्टी मिनिस्टिर हैं वह ।

**श्री अधिष्ठाता**—'मिनिस्टर' की डेफनीशन में 'डिप्टी मिनिस्टर' भी आते हैं ।

**श्री सुल्तान आलम खां**—माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिये अपने दोस्त को इत्तला देना चाहता हूं कि मैं कम से कम वक्त लेने की कोशिश करूंगा और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा ।

**श्री अधिष्ठाता**—हां, ज्यादा अच्छा यही है ।

**श्री सुल्तान आलम खां**—तो मैं यह कह रहा था कि जब नेशनल प्राब्लम मुल्क के सामने आती है तो इंडिविजुअल और पार्टी प्राब्लम्स नीचे रख दी जाती हैं । अब इस बात को मानने में किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि जो फूड प्राब्लम है वह सबसे बड़ी नेशनल प्राब्लम है और इसके सामने और सब प्राब्लम्स नीचे डाल दी जाती हैं । हमें तकलीफ हुई कि हमारे यहां की एक पार्टी के लीडर ने फूड कमेटी जो नेशनल प्राब्लम तय करती है उसमें बैठने से इन्कार कर दिया । यह मुमकिन था कि उनकी मौजूदगी में हम ज्यादा लाभ उठा सकते थे और इस नेशनल प्राब्लम को हल कर सकते थे ।

**श्री रूर्मासिह** (जिला शाहजहांपुर)—मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि यह 'प्राबलम' कोई पहाड़ है, तूफान है या नदी है ?

**श्री अधिष्ठाता**—मेरी समझ में नहीं आता कि आपका यह किस तरह से व्यवस्था का प्रश्न है । जो बात वह कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिये ।

**श्री राजनारायण**—श्रीमन्, जरा यह समझा दिया जाय कि यह 'प्राबलम' क्या चीज है ।

**श्री सुल्तान आलम खां**—मैं इसका तर्जुमा किये देता हूं । प्राबलम का मतलब समस्या है । मैं यह कहा रहा था कि अन्न के मामले में सब से बड़ा जो सवाल है वह यह है कि बावजूद सरकार की कोशिश के और बावजूद इंतहाई कोशिश के हम यह देखते हैं कि यह समस्या बढ़ती चली जा रही है । अन्न की सूबे में कमी है यह मालूम होने की जरूरत है । मैं जानता हूं और हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जितनी-जितनी बातें हमारी इस अन्न की समस्या को कठिन बनाने में शामिल हैं उसमें एक चीज यह भी है कि हमारे मुल्क में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है । हमारे मुल्क में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शायद ही दूसरे मुल्क में इस तरह से बढ़ी हो । २ फीसदी आबादी हर साल बढ़ जाती है, यानी ५० लाख आदमी बढ़ जाते हैं । हमारे उत्तर प्रदेश में १० लाख आदमी हर साल बढ़ते चले जाते हैं । अगर इसी तेजी से यह आबादी बढ़ती गई तो ५० साल के बाद हमारी अन्न की समस्या क्या होगी ? हम उसको किसी तरह से हल नहीं कर सकेंगे । इसके बैक ग्राउन्ड में मैं यहां पर विरोधी दल के नेता की तकरीर को याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने अन्न की समस्या को हल करने के लिये कहा था कि इस बात की जरूरत नहीं है कि फैमिली प्लानिंग की जाय और आबादी को रोका जाय । अफसोस है कि इस वक्त वह यहां पर नहीं हैं वरना मैं सवाल करता . . . ।

**श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़)—इस 'बैक ग्राउन्ड' का क्या मतलब है, यह मैं समझ नहीं पाया ।

**श्री अधिष्ठाता**—(श्री सुल्तान आलम खां से) आप इसका अनुवाद कर दें क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि सोशलिस्ट पार्टी में बहुत से माननीय सदस्य अंग्रेजी से जानकारी नहीं रखते ।

**श्री सुल्तान आलम खां**—अफसोस है कि इस वक्त यहां पर नेता विरोधी दल नहीं हैं वरना मैं उनसे पूछता कि इस जमाने में जब अन्न की इतनी कमी है और आमतौर पर जब इस बात को मान लिया गया है कि हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है, वह इस जमाने में इस बात का कैसे विरोध करते हैं कि फैमली प्लानिंग न की जाय और इस जमाने में आबादी को बढ़ाने की कोई कोशिश न की जाय । माननीय सदस्य इस बात से वाकिफ हैं कि इस

सिलसिले में जो सरकार कर सकती थी वह कर रही है। सरकार ने जो प्रोग्राम बनाया है और उस प्रोग्राम के जरिये से जो अन्न को बढ़ाने की कोशिश की जाती है उसके अन्दर और बातों के अलावा यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में कुयें बनाये जायं। कुयें या रहट लगाने की स्कीम बड़ी मात्रा में जारी है। इस बात की कोशिश की जाती है कि जहां तक हो सके उसम और इजाफा किया जाय। मुझको जहां तक मालूम है, अभी तक इस साल १९५८–५९ में तकरीबन ५,८३,००,००० रुपया मुख्तलिफ तरीके पर इन योजनाओं पर सफ किया जा रहा है जिसमें बहुत से तरक्की के काम शामिल हैं, जो कि ब्लाकों के जरिये से हो रहे हैं। उसम मुख्तलिफ मुहकमों को तकावी दी जाती है और कर्जा भी दिया जाता है। यह सब रुपया इसमें शामिल है। यह सब बातें की जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर हम उसमें पूरी कामयाबी हासिल नहीं करते तो इसकी सिर्फ वजह यह रहती है कि हम पूरा सहयोग नहीं मिलता है या जितना हम चाहते हैं इस मसले को हल करने के लिये उतना नहीं मिलता है। म चाहता हूं कि हम इस मामले में इस तरफ तवज्जह करें और इस बात की कोशिश करें कि जितना सहयोग हम दे सकते हैं, दें। यह सही है कि हम मुख्तलिफ पार्टियों में बंटे हुए हैं और उनक मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, लेकिन इसक बावजूद, जैसा मैंने कहा कुछ हमारी कौमी समस्याये है और अगर उनमें हम सब मिलजुल कर काम न करेंग तो कामयाबी होना बड़ा मुश्किल नजर आता है। हमारे सामने इन खाने पीने की चीजों के अलावा योजनायें हैं। एक पंच-वर्षीय योजना आपकी खत्म हो गयी, दूसरी चल रही है जिसमें का तीसरा साल गुजर रहा है। लेकिन हमें इस बात पर भी अफसोस होता है कि हमें इसमें उतना सहयोग नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिये। जहां तक इस योजना का ताल्लुक है, इसका भी दारोमदार इसी पर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग लोगों का मिले। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाते उस वक्त तक हमारा मुल्क खुशहाल नहीं बनता और न हमारी समस्यायें हल हो सकती हैं।

माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ और बातों का भी जिक्र किया था। उस में से एक बात उन्होंने कही थी कि इस साल की जो शुरुआत हुई वह इससे हुई कि यहां जिला परिषदें बना दी गयीं और उन जिला परिषदों में जो चुने हुए चेयरमैन थे उन्ह न रख कर जिलाधीश को चेयरमैन बनाया गया। यह बात सही है। लेकिन इस बात की जानकारी कौन नहीं रखता कि जो जिला परिषदें इस वक्त हमारे यहां बनायी गयीं हैं, उनमें जो सदस्य हैं, वह सब के सब चुन हुये मेम्बर थे। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म किये गये उनसे जो सदस्य जिला परिषद् में आये वह सब चुने हुए लोग हैं। जहांतक जिलाधीश या सरकारी आदमियों का संबंध है, जो हमारी प्लानिंग कमेटीज पहले काम करती थीं, उनमें भी पहले सरकारी आदमी थे, लेकिन यहां सब लोगों के इत्तफाक से यह बात तय हुई कि जिला परिषदें बनें और उनको सरकारी इंजताम में ले लिया जाय। हालांकि यह भी वक्ती इंतजाम है और हम को मालूम है कि नयी जिला परिषदों का कानून जल्दी ही इस सदन में आने वाला है और उस वक्त हमको इस बात का मौका होगा कि हम उसमें अपनी राय दें और यह तय कर सकें कि किस सूरत में वह हों।

एक बात उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक और सूबे के इंतजाम के, ला ऐंड आर्डर के मुताल्लिक मुझे माफ किया जाय अगर मैं ला ऐंड आर्डर शब्द का इस्तेमाल करूं कहीं।.....

**श्री राजनारायण**—कुछ मुख्य मंत्री के लिये भी छोड़ दीजिये।

**श्री सुल्तान आलम खां**—आप सुनते जाइये और सब्र से काम लीजिये; आप तो कहते रहते हैं, कभी-कभी सुना भी कीजिये।

जहां तक यूनिवर्सिटी के काम करने का या वहां ला ऐंड आर्डर कायम रखने का ताल्लुक है, मेरे मोहतरिम दोस्त माननीय राज नारायण साहब खुद अपने दिल को टटोलें और इस बात को सोचने की कोशिश करें कि आखिर इसकी वजह क्या है। आज मुल्क के अन्दर और

[श्री सुल्तान आलम खां]

खास कर इस सूबे के अन्दर जो इनडिसिप्लिन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में बढ़ती जा रही हैं उसकी वजह क्या है। मैं माफ किया जाऊं अगर यह कहूं कि हमारे बच्चों का एक्सप्लायटेशन किया जा रहा है और उसकी वजह से इनडिसिप्लिन बढ़ रही है। जहांतक तालीम के इंस्टीट्यूशन्स का ताल्लुक है उनसे अगर पोलिटिकल पार्टीज अपने को अलाहिदा रखें और एक किस्म का ट्रूस आपस में कर लें कि वह तालिब इल्मों को, चाहे वह यूनिवर्सिटी के हों या स्कूल और कालेजों के, ऐक्टिव पालिटिक्स में हिस्सा लेने के लिये दावत न देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है कि विद्यार्थियों को इस बात का मौका मिलना चाहिये कि वह सीखें, समझें कि कौन-कौन इज्म हैं, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, और यह अच्छी चीज है कि वह इनकी थ्यूरीज को जानें, लेकिन जहां तक अमली सियासत का ताल्लुक है वह उससे अलाहिदा रहें तो ज्यादा अच्छा हो। जब उन लोगों को इस तरफ आमादा किया गया तो उसका जो नतीजा हुआ वह बनारस यूनिवर्सिटी में हमारे सामने है। हम यह भी शिकायत करते हैं कि फलां जगह गोली चलाई गयी, लखनऊ में गोली चलायी गयी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे वह दोस्त जो आज उधर बैठे हैं, अगर कभी मौका हो और वह इधर बैठ जायं और इंडिस्पिलिन के यही हालत पैदा हो जायं, तो वह क्या करेंगे? किसी को अच्छा नहीं लगता कि गोली चलायी जाय। यह बहुत ही अफसोस की बात है और उसके जरिये से जिन लोगों को नुकसान पहुंचता है उनके लिये भी बड़ा अफसोस होता है, हम सब को उनके लिये दुख है और होना चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि अगर ला ऐंड आर्डर कायम रखना है, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, अगर हमें इंतजामे सल्तनत को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा।

श्री नन्दराम—यह 'एडमिनिस्ट्रेशन' क्या हौवा है?

श्री अधिष्ठाता—क्या आप कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री नन्दराम—मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि सदन की भाषा हिन्दी है।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठिये। इसके बारे में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि बहुत से अंग्रेजी के शब्द ऐसे हैं कि जो हिन्दी में प्रचलित हो गये हैं, जैसे स्टेशन है, पोस्ट आफिस है, लैनटर्न है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से बार-बार खड़े हो कर जो वक्ता बोल रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना मैं उचित नहीं समझता।

श्री नन्दराम—यह हिन्दी में प्रयुक्त नहीं होता है और न हिन्दी में प्रचलित हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—(श्री सुल्तान आलम खां से) आप जो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया करें उसकी हिन्दी कर दिया करें।

श्री सुल्तान आलम खां—'एडमिनिस्ट्रेशन' के माने हैं प्रशासन, इंतजामे सल्तनत। थोड़ी सी देर और सब्र से सुन लीजिये, फिर आप को मौका मिलेगा। तो मैं यह कह रहा था कि जो इंतजाम जिसके सुपुर्द होगा उसे वह करना पड़ेगा। अगर माननीय राजनारायण जी इस कुर्सी पर आ कर बैठ जायं तो जो कुछ बात वह करते हैं वह शायद बदल जाय और उन्हें शायद इससे ज्यादा सख्त ऐक्शन लेना पड़े, ज्यादा सख्त कदम उठाना पड़े।

मैं ज्यादा वक्त न ले कर आपसे आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सही है कि जो विरोधी दल उधर बैठता है उसका हक है कि वह एतराज करे। एतराज करना बिल्कुल सही बात है और इससे जम्हूरियत के जमाने में बहुत मदद मिलती है, लेकिन एतराज ऐसा नहीं होना चाहिये कि सिर्फ एतराज की गरज से ही एतराज कर दिया जाय। एतराज ठोस होना चाहिये और ऐसा होना चाहिये कि जिसकी तामीर ज्यादा हो। इस एतबार से आप देखें कि बहुत सी बात जो कही जाती हैं उनमें कोई जान नहीं होती है। एक साहब ने तकरीर में

कहा कि सन् १९४६ में ४ सेर का गल्ला बिकता था और उस जमाने में बड़ी तकलीफ थी, लेकिन आज लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं यह नहीं कहता कि जो यह १ सेर ४ छटांक का गल्ला बिकता है यह अच्छी बात है। गल्ले की कीमत जितनी भी सस्ती हो सकती है होनी चाहिये और इसके लिये कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, और चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि सही है कि सन् ४६ में जब ४ सेर का गल्ला बिका उस जमाने में जितने लोग भूख से मरे, लोग जितना परेशान हुए, शायद यह हमारी खुशी और खुशनसीबी की बात है कि जब १ सेर ४ छटांक का गल्ला बिका उस समय वैसे हालात नहीं हो पाये कि जो ४ सेर के बिकने के वक्त में हुये थे। उसकी वजह क्या है? मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि उसकी सिर्फ वजह यह है कि आज बावजूद इसके कि हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं, आज बावजूद इसके कि हमारे सामने बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आपको यह मानना पड़ेगा कि आज हमारा स्तर कुछ न कुछ बढ़ा है। अगर हमारा स्तर ऊंचा न उठता तो शायद यह सूरतें न होतीं। कल मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ आंकड़े दिये कि कितनी पैदावार बढ़ी और कितनी पैदावार नहीं बढ़ी, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहां की पैदावार बराबर बढ़ती जा रही है। यह सही है कि पैदावार के बराबर बढ़ने के बावजूद भी जो फी कस आमदनी है वह ज्यादा नहीं बढ़ पाती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारे यहां की आबादी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से हमारी कौमी आमदनी बढ़ती है इसलिये उसके हिसाब से फी कस आमदनी नहीं बढ़ती। तो मैं अपने दोस्तों से अपील करूंगा कि इस हालत को सोचें और समझें कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई है। सही है कि आज इस मुल्क में कोई लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन यह भी सही है कि एटम बम्ब हमारे सामने है और कोई नहीं कह सकता कि कल दुनिया की राजनीति क्या हो। ऐसे वक्त में हमको एक ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये जो कि एक ऐसे मुल्क में अख्तियार किया जाता है जिसमें कोई इमर्जेन्सी होती है, जहां कोई गैरजरूरी हालत होती है और उसके मातहत ऐसी बात की जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जहां तक प्रशासन का ताल्लुक है उसमें आलोचना की जाय ठीक है लेकिन उसके साथ-साथ सरकार जो तामीरी काम करती है उसमें पूरा सहयोग मिलना चाहिये और अगर पूरा सहयोग मिलेगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पैदावार बढ़ती जायेगी और तरक्की होगी और हमारी जितनी कठिनाइयां हैं वे आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो जायंगी।

हमारे सामने, जैसा मैंने शुरू में कहा कि गल्ले का सवाल है। आइये और हमारे साथ कोशिश कीजिये और हमारा इसमें साथ दीजिये जो कि पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिये बड़े-बड़े आन्दोलन किये गये हैं, एक आन्दोलन खरीफ का हुआ और उसके बाद रबी का आन्दोलन हुआ और इतने बड़े पैमाने पर हुआ चेयरमैन साहब, कि ढाई लाख आदमी ट्रेन्ड किये गये ग्राम सेवक, जिनकी मदद से यह काम आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हमें आपकी मदद और सहायता मिली तो हम उस काबिल हो सकेंगे कि आज की हालत में हम कुछ कमी कर सकें और रफ्ता-रफ्ता मुल्क और सूबे को तरक्की के रास्ते पर डाल सकें और इसमें हमारे सूबे का कल्याण हो।

**श्री बलदेवसिंह**---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इधर के सदस्य हैं उनके लिये १५ मिनट बोलने का समय है और जो उधर के सदस्य ह उनके लिये १० मिनट का समय है और चूंकि इधर भी बोलने वाले बहुत सदस्य हैं इसलिये मैं यह तजवीज करूंगा कि इधर के बोलने वालों के लिये भी १० मिनट का समय कर दिया जाय।

**श्री अधिष्ठाता**---जो निर्णय एक मरतबे हो चुका है उसको बदलना अच्छा नहीं मालूम होता है।

**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकूंगा। मान्यवर, बजट के बनाने से पहले आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है, लेकिन वह नहीं किया गया है। बजट

[श्री प्रतापसिंह]

से पहले मान्यवर, फाइनेंस कमेटी बननी चाहिये थी वह नहीं बनाई गई है और स्टेट के क्या रिसोर्सेज होने चाहियें, इसके लिये एक रिसोर्सेज कमेटी बननी चाहिये वह भी नहीं बनाई गई है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने कहा था कि टैक्सेशन और रिसर्च ब्यूरो बनना चाहिये, उसका भी कोई प्रतिपादन नहीं हुआ है। मान्यवर, ताज्जुब तो इस बात का होता है कि मेरे एक लायक दोस्त जो बिजनौर से आते हैं, उन्होंने जुडीशियरी पर आक्षेप करते हुये कुछ कहा। मुझे दुख है और मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां और अमेरिका में अन्तर है। हमारे यहां जुडीशियरी सुप्रीम नहीं है बल्कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है। अमेरिका में जुडीशियरी सुप्रीम है, वहां ड्यू प्रोसेस आफ ला है और यहां प्रोसेस इस्टैबलिश्ड बाई ला है। इसलिये जो कुछ जुडिशियरी के लिये कहा उसका मतलब यह है कि सरकार आज कोई गलत काम करती है, नागरिक रिट फाइल करता है और सही निर्णय जुडीशियरी देती है वह भी लागू नहीं हो पाता है, लेकिन इस पर उन्होंने एतराज नहीं किया है।

इस सदन में गन्ने के दाम के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर है कि आज की संसदीय पद्धति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस सदन ने निर्णय लिया था कि गन्ने का दाम १।।।) मन होगा, लेकिन मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि वह इससे इत्तिफाक नहीं करते। हम बृटिश पार्लियामेंटरी पद्धति का अनुसरण करते हैं, उसमें लिखा है कि अगर कोई मंत्री सदन का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसे त्याग-पत्र देना चाहिये। मिनिस्ट्री के ऊपर बृटिश पद्धति में है कि—

"If he (यानी मिनिस्टर), cannot keep the confidence of the Commons, it is clearly desirable that he should resign."

आज यही सवाल है कि १।।।) मन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से हाउस से पास हुआ और मुख्य मंत्री जी तथा मंत्री जी उससे इत्तिफाक़ नहीं करते हैं। इसलिये मेरी मांग है कि मुख्य मंत्री जी और संबंधित मंत्री को इस विषय पर ही त्याग-पत्र देना चाहिये।

आज शुगर इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में ५५ फीसदी है और मिल मालिकों के ऊपर जुलाई, १९५८ तक ११९.९३ लाख रुपया तो मूल्य का बाकी है और ३७.५२ रुपया कमीशन का बकाया है। उदाहरण के लिये, केवल एक ही फैक्ट्री पर जो पीलीभीत में है, उस पर सरकार का ९ लाख और किसानों का ३ लाख रुपया बाकी है। इस प्रकार कैसे यह उद्योग चलेगा?

सरकार बार-बार कहती है कि वह पिछड़ी जातियों के लिये बहुत कुछ कर रही है। लेकिन मुझे दुख है कि हमारी सरकार ने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है जो कि और प्रदेशों में ८-९-५० को राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा लागू हो गई है। और हमारे सामने कहा जाता है कि सरकार उनका कल्याण चाहती है। बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया है कि—

"The policy of the Uttar Pradesh Government regarding the Tribes in their State is somewhat unusual. The Government have refused to classify any group as tribals. They insist that there is no need to classify any of the tribes as such. The reason advanced by them was that this would create new problems though they conceded that some of the communities who were living in accessible forest areas and in the hilly regions of Uttar Pradesh were very backward and deserved all help that was now being accorded to the tribals in other States. This, in our view, is not a sound policy. It is unwise for Uttar Pradesh to follow a distinctly different policy from that pursued by the neighbouring States, especially when the conditions of life and surroundings of these tribals are almost indentical. The poor hill people in the border areas fail to understand why they are tribals in one place while their kith and kin in the neighbouring hamlets are not tribals.

We are unable to accept the opinion of the Government of Uttar Pradesh and recommended that the tribals found in Uttar Pradesh should be included in the list of Scheduled Tribes."

कमीशन का यह मत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार यह तो मानती है कि यहां पर बैकवर्ड क्लास ट्राइब्स हैं लेकिन उनको अन्य प्रदेशों की तरह सुविधायें नहीं देना चाहती। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे ।

इस बजट में भूमिहीनों के लिये कुछ नहीं कहा गया है। खेतिहर मजदूरों को भूमि मिलनी चाहिये। इसके बारे में बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट में पेज १७२ पर है कि:—

"The available government land should firstly be distributed among the landless and then among the owners of uneconomic holdings. To this end land revenue rules should be suitably amended."

सरकारी जमीन जो खाली हो वह पहले भूमिहीनों को मिलनी चाहिये और उसके बाद जो बचे वह अनइकानामिक होल्डिंग वालों को मिले। सरकार इस बात पर तो सहमत हो जाती है कि बंगाल के या बाहर के लोग यहां आवें और उन्हें भूमि दी जाय लेकिन उत्तर प्रदेश के भूमिहीनों का कोई खयाल नहीं करती है।

आज हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। लेकिन हमारी सरकार की लोन देने की पालिसी प्लानिंग कमीशन और रिजर्व बैंक दोनों की पालिसी के विरुद्ध है। हमारा एक फाइनेंशल कारपोरेशन है जिसे यह अधिकार है कि १५,००० से लेकर १०,००,००० रुपये तक लोन दे। १० लाख से ऊपर के लिये सेंटर के फाइनेंशल कारपोरेशन की सलाह से हो सकता है या यह दे सकता है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि मार्टिन बर्न कंपनी को १ करोड़ रुपया लोन दिया जा रहा है।

**श्री अधिष्ठाता**—दिया नहीं गया है, देने की बात है ।

**श्री प्रतापसिंह**—बजट में इसका हवाला है और वह मंजूर भी हो चुका है। मैं इसके लिये इनक्वायरी चाहता हूं।

हम से कहा जाता है कि हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। परन्तु न्याय को जो सुगम और सुलभ व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं है। अगर हम कहते हैं कि न्याय करने वालों का वेतन बढ़ाया जाय तो सरकार कहती है कि रुपया नहीं है। न्याय बिकना नहीं चाहिये बल्कि यह मुफ्त मिलना चाहिये। हमारे संविधान में इसके बारे में साफ कहा गया है कि सब नागरिकों को न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिलेगा। उसमें लिखा है कि :

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India a soverign democratic republic and to secure to all its citizens justice—social, economic and political."

हमारे यहां न्याय बिकने के ज्वलंत उदाहरण हैं कि दिसम्बर के सत्र में हमारे यहां कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक लाये गये और दोनों से हमसे ३० लाख रुपया लिया गया। स्टाम्प की आमदनी का हवाला तो बजट में है लेकिन मुझे ताज्जुब है कि कोर्ट फीस की आमदनी का हवाला नहीं है। कोर्ट फीस में केवल स्टाम्प से ३ १/२ करोड़ रुपये की आमदनी है और न्याय में खर्च केवल १ १/२ करोड़ रुपया होता है। इसलिये मेरी मांग है कि कोर्ट फीस ऐक्ट को रिपील कर दिया जाय। इससे हमारे प्रदेश का कोई घाटा नहीं होगा। जस्टिस स्टोन ने कहा है कि प्रजातंत्र के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है यदि इंसाफ सही नहीं मिलता है—

"It is a matter of life and death for a democracy because a democracy cannot survive if it cannot find a way to make its administration of justice competent."

[श्री प्रतापसिंह]

हमारे यहां स्वतंत्रता कागज पर जरूर है लेकिन जब तक न्याय लोगों को बिना पैसे नहीं मिलेगा तब तक न्याय सही नहीं हो सकता है। इसके लिये जस्टिस हेग ने भी कहा है—

"It is idle to speak of the blessings of liberty unless the poor enjoy the equal protection of the laws."

यानी स्वतंत्रता की सहूलियतें सबको तब तक नहीं मिल सकतीं जब तक कि निःशुल्क न्याय लोगों को न दिया जाय।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमारे शिक्षकों का वेतन इतना बढ़ाया जायगा कि उनका जीवन-स्तर इस महंगाई के जमाने में ऊंचा हो सकेगा। इसके साथ-साथ मुझे आशा है कि पहले महंगाई का आंकड़ा १६० था और अब ५०० से ऊपर होने से सरकार इस बात का ध्यान रखगी। मुझे दुख है कि जो लोग बजट बनाते हैं उनके बच्चे प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। इसलिये उनको यह अन्दाज नहीं हो सकता कि उन स्कूलों की हालत क्या है। ६५ प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारत नहीं है, कोई सामान नहीं है। मुझे यह आशा थी कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस बजट में यह घोषणा करते कि प्रदेश के हर कर्मचारी का वेतन १०० रुपये से शुरू होगा। इस चीज को उन्होंने मिनिस्टीरियल फेडरेशन की बैठक में ७ फरवरी को मान लिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन १०० रुपया होना चाहिये, लेकिन बजट में कहा गया कि हम महंगाई बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर महंगाई तनख्वाह में मिला दी गयी जिससे बुढापे में उनको सहायता मिलेगी। आज हमारे सामने बुढ़ापे के आराम का प्रश्न नहीं है आज तो हमारे सामने जीवन की आवश्यकताओं का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर फिर से विचार करे। पिछले साल ५ रुपया दिया गया था, लेकिन इस स ल ढाई रुपया ही रह गया। पिछले बजट भाषण के समय कहा गया था कि उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जायगा लेकिन इस साल के बजट में कहा गया कि खेती पर ज्यादा जोर दिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार किस तरफ चलना चाहती है।

मेरा सुझाव है कि बजट के तखमीनों का हिसाब लगाने से पहले सरकार यह देखे कि जो रुपया दिया जाता है वह ठीक प्रकार से खर्च भी होता है या नहीं और जितना रुपया दिया जाता है वह सही तरीके से खर्च हो। पिछले साल के बजट में ५२ ऐसी मदें हैं जिनमें १९,४१,४०,३८२ रुपया खर्च नहीं हुआ है। जब सरकार से कोई मांग की जाती है तो कह दिया जाता है कि रुपया नहीं है। शिक्षा के लिये, सड़क बनाने के लिये, अस्पतालों के लिये धन का अभाव है, लेकिन जब आप पिछले साल के बजट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि रुपया इस प्रकार बचा है।

| | रु० |
|---|---|
| शिक्षा में .. .. .. .. | ६७,१०,९२५ |
| चिकित्सा में .. .. .. | २२,६८,६७३ |
| जन-स्वास्थ्य .. .. .. | ७,४५,०४१ |
| कृषि सम्बन्धी विकास .. .. .. | ६६,७९,८०७ |
| उद्योग .. .. .. .. | ७८,२६,३३८ |
| निर्माण कार्य .. .. .. | ३,०७,२१,८५८ |
| योजना .. .. .. .. | २,०८,८४,४१९ |

अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि मुझे ५ मिनट और दे दिये जायं क्योंकि मेरा एक हाथ टूटा हुआ है।

**श्री अधिष्ठाता**—अभी विरोधीदल की ही तरफ से यह कहा गया था कि १० मिनट का समय कर दिया जाय। समय की बहुत कमी है, इसलिये और समय आपको नहीं दिया जा सकता।

**श्री प्रतापसिंह**--दूसरी बात अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस कोड में संशोधन किया जाय और फाइरिंग का अधिकार रेस्ट्रिक्ट किया जाय। बजट बनाने के लिये रेसोर्सेज कमेटी, फाइनेंस कमेटी और एकोनौमिक कमेटी की मदद ली जाय। प्रदेश में आर्थिक समानता स्थापित करने के लिये केन्द्र और प्रदेश के कर्मचारियों का भेद मिटाया जाय। इन तमाम चीजों के लिये एक हाई पावर कमेटी की स्थापना की जाय जिसमें सभी राजनीतिक दलों, मजदूर संघों, कर्मचारी संघों और विभागों के अध्यक्षों के प्रतिनिधि शामिल हों। अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह इस प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये प्रयत्न करें और देश पहला, देश दूसरा, और देश तीसरा, की भावना से काम करें।

समाजवाद को सरकार दुहाई जरूर देती है, लेकिन इतना समय सरकार के हाथ में राज्य आये हुये हो गया लेकिन अनाज के दामों में इतनी बढ़ोत्तरी आ गयी है कि जो नाज उस समय साढ़े चार सेर था वह आज १६ छटांक का बिक रहा है। महंगाई जो हजारों में थी वह एक लाख पचास हजार है।

अन्त में मैं इधर उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, विभागों और सदन के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे भाषण को सुनने का कष्ट किया।

***श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट यहां पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। यह मेरा दुर्भाग्य था कि जिस समय माननीय नेता विरोधी दल यहां बोले उस समय मैं यहां उपस्थित नहीं था, परन्तु उसके बाद कल मैंने माननीय नेता जनसंघ के भाषण को सुना। उनके भाषण को सुनने के बाद मेरे मन में कल जो विचार आये उनको मैं यहां उपस्थित करना चाहता हूं। जनसंघ की तरफ से एक नारा बुलन्द होता है हिन्दी भाषा के लिये, और सत्याग्रह भी होता है, और बड़ी-बड़ी बातें हिन्दी भाषा को अपनाने के लिये कही जाती है, परन्तु दो साल से देखने के बाद कल भी वही पुनरावृत्ति हुई। जनसंघ के नेता जब बोल रहे थे तो उनके भाषण में जितने भी कोटेशन दिये गये थे वे सब इंगलिश में ही थे। मैं तो यह समझ रहा था कि जनसंघ के नेता जिस समय बोलेंगे तो वे अपने भाषण में वेद-शास्त्र और उपनिषदों की बातें कहेंगे, परन्तु ऐसी कोई भी बात उनके भाषण में सुनने को नहीं मिली। मेरे कहने का अर्थ यह है कि....

**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमन्, कल अधिष्ठाता महोदय ने यह कहा था कि जिस समय सामान्य बजट पर बहस हो रही हो उस समय माननीय वित्त मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री का सदन में होना निहायत जरूरी है, इस पर अध्यक्ष महोदय अपना फैसला कल देंगे। तो इस सम्बन्ध में आज क्या रूलिंग हुई है? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, क्योंकि आज भी वे यहां नहीं है।

**श्री अधिष्ठाता**--अध्यक्ष महोदय तो इस समय चेयर पर हैं नहीं, लेकिन मैं चेयरमैन के नाते यह निर्णय देता हूं कि यह कोई जरूरी बात नहीं है कि मुख्य मंत्री यहां पर बैठें। हां, किसी मंत्री का होना जरूरी है और मैं देख रहा हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हुए हैं और वे इसके लिये काफी हैं।

**श्री छत्रपति अम्बेश**--तो मैं यह कह रहा था कि हम यह आशा लगाये हुए थे कि वे जिस भाषा का प्रयोग जनता में करते हैं उसी के अनुसार यहां भी बोलेंगे, परन्तु दो साल के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं कि जनता में कहने की बात कुछ है और यहां कहने की बात कुछ और है। इनको इंगलिश कोटेशन्स में ज्यादा विश्वास है और जो कोटेशन दो साल से सुनने को मिल रहे हैं वे ही कल भी सुनने को मिले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने भाषण को सीमित रखा केवल कोआपरेशन तक। माननीय नेता जनसंघ जिस संस्कृति की दुहाई देते हैं उसमें तो बसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के अनुसार सारे संसार को ही एक कुटुम्ब माना गया है, लेकिन उनके भाषण से ऐसा मालूम हुआ कि उनको कोआपरेशन से डर लगता है। मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों है। हमारे यहां तो कोआपरेशन की भावना आज से नहीं हजारों वर्षों से चाहे वह कोई बड़ा हो,चाहे वह छोटा हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह धनवान हो या निर्धन हो सब के अन्दर रही है, लेकिन आज हमारे जनसंघ के नेता को इसमें बुराई ही दिखलायी देती है। मैं तो यह आशा लगाये हुए था कि ऐसे आदमी जो पढ़े लिखे भी हैं वे जन-साधारण के लिये कुछ अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन मेरी आशा के अनुकूल वह बात नहीं सुनने को मिली।

इसके अतिरिक्त कल मुझे एक स्वतंत्र प्रगतिशील दल के सदस्य के भाषण को भी सुनने का सुअवसर मिला। उनके दल में पहले शब्द "स्वतन्त्र" लगा हुआ है और बाद में शब्द "प्रगतिशील" लगा हुआ है तो मैंने समझा कि वे स्वतंत्र रूप से समाज की प्रगतिशीलता के बारे में कुछ कहेंगे तथा सुझाव देंगे, परन्तु उनके भाषण में भी वही विरोध करने की प्रवृत्ति मैंने पायी। सीलिंग के बारे में उन्होंने जो बातें कहीं उससे क्या वे यह चाहते हैं कि जिसके पास जितनी जमीन है वह उसके पास बनी रहे, उस पर पैदावार किसी तरह से न होने पाये और एक आदमी पूंजीपति बना रहे और एक आदमी सेवक बना रहे। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वह उस तबके को बिलांग करते थे जिसने गरीबों का शोषण किया। शायद उसी दृष्टिकोण को सामने रख कर उन्होंने सीलिंग की बात रखी और वह दोहाई दे रहे थे कि कोआपरेशन से देश का अकल्याण होगा, अनर्थ होगा। यह उसी तरह की भावना है जैसे स्वराज्य मिलने के पहले लोग मजाक उड़ाया करते थे कि यह क्या स्वप्न देखा जा रहा है। यह चीज मुझे आज उनके भाषण से टपकती दिखाई दी। वे आज भी उसी दकियानूसी चीज का स्वप्न देख रहे हैं कि राजा महाराजाओं के समय में जो गरीब और अमीर में महान् भेद था वही भेद आज भी बना रहे।

इसके बाद माननीय शुक्ल जी की बात को कहे बगैर भी नहीं रहा जाता। कैसे वे तुलसीदास जी की यह बात कह सके आज के समय में कि हर एक आदमी को बराबर के अधिकार नहीं मिल सकते? ढोर, गंवार, शूद्र, पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कैसे वे इस बात को रख सके? उनके मुख से यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, महान् आश्चर्य हुआ।

कल मैंने नेता विरोधी दल का भाषण नहीं सुना, लेकिन मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की। मैं उसके अन्दर जिस बात को देखना चाहता था वह मुझे नहीं मिली। जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि बजट के अन्दर शोषितवर्ग के लिये एक शब्द भी नहीं रखा गया---इतनी बड़ी आबादी के लिये जो मेरे खयाल से इस प्रदेश की आबादी की आधी या एक तिहाई है---यह मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय नेता विरोधीदल ने भी अपने भाषण में उनके लिये एक शब्द नहीं कहा। वह एक बड़ी जटिल समस्या है और आज भी वह उसी तरह से जटिल है जैसे कि बहुत वर्ष पहले थी। यद्यपि हम कुछ आगे जा रहे हैं, लेकिन वह नहीं के बराबर है। मुझे कम से कम माननीय नेता विरोधी दल से यह आशा थी कि वे इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य कहेंगे, क्योंकि वे एक बड़े प्रगतिशील विचारों के आदमी हैं और उनके विचारने की शक्ति कुछ बड़ी अच्छी है, लिहाजा वे इस सम्बन्ध में अवश्य प्रकाश डालेंगे।

**श्री त्रिलोकीसिंह**---खेती की पैदावार बढ़ेगी उससे सबसे ज्यादा फायदा पिछड़े वर्ग को ही पहुंचेगा।

**श्री छत्रपति अम्बेश**---जो कांवलूजन उन्होंने निकाला है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसे नहीं निकाल सका कि इसमें यह बात निहित है। मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस तरह की बात मैंने उनके भाषण में नहीं पढ़ी। मुझे आशा है कि भविष्य में वे इस बात पर सोचेंगे। अगर हम ज्योतिषी होते तो पेट की बात समझ लेते।

यह तबका जो है यह ज्यादातर मजदूरी करता है, इसका काम खेती का नहीं है। खेती करेगा कहां से ? खेती करने का प्रश्न तो तब आयेगा जब आप करने का मौका दें और मौका आप देना नहीं चाहते, लिहाजा खेती करने का मौका उनको मिल नहीं सकता।

इसके बाद मैं अपनी सरकार का ध्यान एक दो बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है। पहले ही पृष्ठ पर यह है "हमारी विशेष नीति यह है कि पैदावार के मुख्य साधन समाजी मिल्कियत या कंट्रोल में रहेंगे ताकि पैदावार लगातार बढ़ती रहे और देश की दौलत का न्यायोचित और मुनासिब बटवारा हो सके"।

मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि न्यायोचित बटवारे की जो बात कही गई है वह ठीक साबित हो। उपसंहार में २१वें पेज पर एक बात और कही गई कि "वित्तीय, टेक्निकल और अन्य साधनों के सीमित होने और साथ ही दूसरे कारणों से हमारी जो खामियां हैं उन्हें हम सब अच्छी तरह समझते हैं.."

**श्री अधिष्ठाता**---आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पिछले तीन दिन स इस बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। सबसे पहले में आपका ध्यान बजट भाषण के पहले पैराग्राफ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। उसमें बड़ी मजबूती के साथ...

**श्री अधिष्ठाता**---जरा 'पैराग्राफ़' की हिन्दी कर दीजिये।

**श्री गौरीशंकर राय**---समझ में आ जायगा उसमें प्रजातन्त्र और समाजवाद की बात कही गई है। सबसे पहले समाजवाद को समझाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बजट में कहीं समाजवाद की बात नहीं दिखाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जो शासन में है उसने समाजवाद के सिद्धान्तों को मान लिया है और प्रजातन्त्र के आधार पर उसकी स्थापना करना चाहते हैं। समाजवाद के जो मुख्य आधार हैं उनकी चर्चा के लिये तो समय काफी नहीं है, लेकिन जो मोटी बातें उनकी दिखाई देती हैं समाजवाद की उनके सिलसिले में कहना चाहता हूं।

अभी बड़ी चर्चा हुई लोन्स के बारे में और केन्द्रीय मंत्री और प्रान्त के मंत्री प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के रिलेशन्स के बारे में रोज़ बात करते हैं। अब जब व्यवहार में देखते हैं तो सप्लीमेंटरी बजट में सरकार ने कर्जा देने में बड़ी उदारता दिखाई है। एक कारखाने को जिसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, मार्टिन ऐंड कम्पनी तथा दूसरे सोडा ऐश फैक्ट्री की चर्चा हुई। सरकार के पास निर्माण के कार्य के लिये पैसा नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को कर्जा देने के लिये पैसा है और जहां उत्पादन के साधनों के निर्माण का प्रश्न है वहां पैसा नहीं है, लेकिन इनको देने के लिये पैसा है। जिस कम्पनी को पैसा दिया जा रहा है, मार्टिन ऐंड कम्पनी, उसके बारे में अपेक्षा यह की जाती थी कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जायगा, उसने सरकार के साथ जो ऐग्रीमेंट किया था बिजली देने का उसको पूरा नहीं किया था, लेकिन सरकार ने यही नहीं कि मुकदमा नहीं चलाया, बल्कि मुकदमे के चंगुल से बचाने के लिये उसकी वकालत की और कहा कि उसके पास पैसा नहीं था इसलिये पैसा दे रहे हैं। एक कम्पनी के साथ सरकार कोई शर्तनामा करती है और उन शर्तनामों को किसी व्यक्ति द्वारा पूरा किये जाने पर सरकार उसकी हिफ़ाजत करती है।

सोडा ऐश फैक्ट्री की भी यह बात है। यही नहीं कि रुपया ही दिया उस कम्पनी ने एक भी शर्त को पूरा नहीं किया उसके बाद भी सरकार उन पर उदार नहीं रही और कर्जा दिया। अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से इस सरकार में, विशेष तौर से बिजली विभाग में कुछ कार्य हुए हैं, उनकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पर कोयले की सप्लाई में बड़ा गोलमाल हुआ और यह कोई साधारण गोलमाल नहीं हुआ। सन् १९५७ से मैनपुरी,

[श्री गौरीशंकर राय]

सोहावल, मऊ और गोरखपुर इन चार पावर हाउसेज को २,००० टन प्रायः प्रति माह कोटा मिलता है कोयले का और इसकी सप्लाई के लिये कोई टेन्डर नहीं दिये गये, लेकिन सरकार ने एक टर्नर मारिसन कम्पनी को प्रतिवर्ष बिना किसी शर्त के उसको ठेका दे दिया और कभी-कभी थापर साहब को भी दिया गया। मैं कह सकता हूं कि आजकल बड़े जोरों से इसकी चर्चा है कि उसमें बड़ी लूट हुई है, बड़ा गोलमाल हुआ और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस गोलमाल में सरकार के अधिकारी ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े पोलिटिकल लोग भी इन्वाल्व हैं। उनमें उनकी कोर दबी है। इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले पर हाई पावर जुडीशियल इन्क्वायरी बैठानी चाहिए। अगर जुडीशिशल इंक्वायरी नहीं बैठाई गई तो न्याय नहीं हो पायेगा। सब से बड़ी शर्म की बात तो यह है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद---हमारे विद्युत मंत्री जी हैं, उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने कुछ ऐक्शन लिया है किसी अधिकारी के ऊपर---मैंने सुना है कि प्रभाव डाला जा रहा है हायर सर्किल्स से कि ऐक्शन न लिया जाय। जो हमारे मंत्री हैं विद्युत् के उन्होंने पुराने मंत्रियों की तरह लूट करने की छूट नहीं दी, बल्कि हाथ रखने का प्रयास किया और इस प्रकार के करप्शन्स को उनके आने से कुछ रोक मिली है। दो-चार उन्होंने इंक्वायरी कराई है, लेकिन और सब शक्तियां सरकार की उनकी रक्षा करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

विद्युत् का कितना महत्व है किसी देश के निर्माण में सब लोग इससे अवगत हैं, लेकिन उस विभाग में इस प्रकार के गोलमाल होते हैं। उसमें बड़े-बड़े पोलिटिकल सर्किल्स के रिस्तेदार और संबंधी हैं इसलिये अधिकारियों की इंक्वायरी इसमें ठीक नहीं हो सकती है। इसलिये जुडीशियल इंक्वायरी जब तक न बैठे तब तक पर्दा खुलने वाला नहीं है। इससे अधिक इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सन् १९५० में १० करोड़ रुपये से २० करोड़ यूनिट बिजली बनती थी, लेकिन आज ६० करोड़ रुपये से ३० करोड़ यूनिट बिजली ही बन रही है। इसलिये मैं पुनः आपसे कहूंगा कि यदि सरकार के हाथ साफ हैं तो उस मामले में किसी हाई कोर्ट के जज को इंन्वायरी बैठावे।

अधिष्ठाता महोदय, समाजवाद की बात कर रहे थे। समाजवाद का एक दृष्टान्त है। जिस राज्य में इस प्रकार के कार्य होते हैं उस राज्य को समाजवादी राज्य कहा जाय...

**श्री अधिष्ठाता**---बाबू राजनारायण जी समाजवाद पर बोलने वाले हैं।

**श्री गौरीशंकर राय**---तो मैं कह रहा था कि सरकार के बजट से कहीं भी नहीं मालूम होता है कि हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, इस वर्ष जो नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ उसके प्रस्ताव को देखने से ऐसी आशा हुई थी कि कांग्रेस कुछ करने जा रही है, सीलिंग की बात की तो उससे कुछ आशा लगी कि कुछ करेंगे। कोआपरेटिव फार्मिंग की बात भी होती है। मैं उन लोगों में से हूं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ऐसा समझती है कि आज जब किसान के पास इतनी छोटी जोतें हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन एकड़ से भी कम है, सारे उत्तर प्रदेश में साढ़े चार पांच और पांच एकड़ के करीब हैं ऐसी हालत में तीन एकड़ के किसान के लिये सम्भव नहीं है कि बैल भी रखे और सिंचाई के साधन भी रक्खे।

जब तीन वर्ष के अन्दर सारे देश में, सारे प्रदेश में सहकारिता का प्रचार करना चाहते हैं और बजट में एक पैसा भी वहां नहीं है तो कैसे होगा। नेता विरोधी दल ने कहा है कि सर्विस कोआपरेटिब्ज के लिये कोई एलाटमेंट रक्खा जाना चाहिए था कि इतने सर्विस कोआपरेटिब्ज खोले जायंगे।

सीलिंग के सम्बन्ध में आज के इस समय में भी जो लोग सीलिंग के विरोधी हैं, मैं उन मित्रों से कहूंगा कि वह युग के विरोध में हैं। हम सब मिलकर एक सतत प्रयत्न करें, प्रगतिशील हों, और पूंजीवादी प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास न करें। जमीन पर ही सीलिंग लगायें, बहुत अच्छा कदम है और हमें इस कार्य को हाफ हार्टेडली नहीं करना चाहिये, आधे दिल से न करें कि १०० एकड़ की सीलिंग करें, हमें उसे कम से कम करना चाहिये..

श्री अधिष्ठाता---बहुत से विपक्षी दलों के नेता नहीं चाहते।

श्री गौरीशंकर राय---हम तो अपनी राय दे रहे हैं, वर्ग विशेष का स्वार्थ तो हम नहीं जानते.....

श्री राजनारायण---आप तो अधिष्ठाता हैं, आप बीच म बोलकर मंत्रिगण का काम क्यों करते हैं ?

श्री गौरीशंकर राय---हम उधर के लोगों को क्या कहें वे तो पूंजीपतियों की वकालत के लिये खड़े होते हैं, कभी मार्टिन बर्न की, कभी मिल मालिकों की, कभी ठेकेदारों की, कभी बड़े वर्ग विशेष की वह वकालत करते हैं। वर्ग स्वार्थ सदा ही बड़ा कष्टप्रद होता है।

मैं यह कह रहा था कि आज जो सीलिंग और सहकारिता की बात कृषि के विषय में कही जा रही है वह बहुत सुन्दर वस्तु है और सरकार को इस दिशा में मजबूत और प्रगतिशील होकर बढ़ना चाहिये। हाफ हार्टेडली कोई काम करना या आधे दिल से किसी काम में लगना और भी अधिक घातक होता है। मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां अभी तक जो प्रयास स्टेट ट्रेडिंग की दिशा में हुआ है वह भी आधे दिल से ही हुआ है, वह प्रयास पूरे दिल से, मजबूती से, इरादे से होना चाहिये, केवल नारेबाजी से नहीं हो सकता। प्रजातन्त्र की बात भी कही जाती है, समाजवादी व्यवस्था केवल कहने से नहीं आ सकती। इसी सदन में गन्ने के रेट्स के विषय में एक प्रस्ताव पास हुआ लेकिन दुख है कि इसी सदन में पास हुये प्रस्ताव के विषय में माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया कि वह उसमें पार्टी नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश के सदन में किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सदन द्वारा पारित प्रस्ताव की जिम्मेदारी वहां के मुख्य मंत्री पर नहीं है और वह कैसे उसकी पार्टी नहीं हो सकते ? मैं कह सकता हूं कि यह इस सदन का माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अपमान है और यह प्रजातांत्रिक प्रणाली का अपमान है और शायद उन्होंने यह अपमान बहुमत के बल पर ही किया होगा। जब किसान अपने अधिकारों के लिये, पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाता है और लड़ने को तैयार होता है तो सरकार बीच में कूद पड़ती है और एक मोर्चा बनाया जाता है जिसके द्वारा किसानों की मुखालिफत की जाती है। हमें मालूम है कि देवरिया में आन्दोलन हुआ और वहां क्या-क्या हुआ ? मैं अपने प्रजातंत्र का समर्थन करने वाले भाइयों से कहता हूं कि कोई भी प्रजातंत्र में जीवन भर शासन में नहीं रहता, शासन वहां बदला करता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देवरिया जिले के उच्च अधिकारियों ने माननीय गेंदासिंह जैसे आदमी को मिलमालिकों से साजिश करके व्यक्तिगत रूप से पिटवाने का प्रयत्न किया। सरकारी अधिकारियों ने प्रजा सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं को पीटने और बलवे कराने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं पर उल्टे बलवे के मुकदमें चलाये जाते हैं। आज उधर के प्रजातन्त्र के समर्थक अपने सीने पर हाथ धर कर देखें, आज गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं लेकिन आज कांग्रेस में इस कदर पार्टीबाजी है कि सरकार के पुलिस के कुछ अधिकारी तक अपने को उस ग्रुप का आदमी समझते हैं जो होम मिनिस्टर की पार्टी है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रजातन्त्र में इस तरह से सरकारी कर्मचारी पार्टीबाजी में पड़ें। अधिष्ठाता महोदय, कुछ समय और मुझे दे दिया जाय.....

श्री अधिष्ठाता---मैं एक दो मिनट दे सकता हूं, अधिक नहीं।

श्री गौरीशंकर राय---अधिष्ठाता महोदय, अभी यह भी कहा गया कि अमृतबाजार पत्रिका बन्द हो गई उससे ५००-६०० आदमी बेकार हो गये। इस पत्र के मालिक ने अवैधानिक रूप से नया अखबार निकाला लेकिन उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई। इस पत्र के मालिक भी कांग्रेसी हैं। सरकार को इस विषय में पूरे दिल से प्रयास करना चाहिये, आधे दिल से कोई काम करने से कोई फल नहीं निकल सकता। वह अखबार निकालने लगें फिर कोई झगड़ा नहीं है। सरकार चाहे तो इस दिशा में प्रयत्न कर सकती है।

[श्री गौरीशंकर राय]

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों में एक बहुत बड़ी समस्या गंगा और घाघरा के कटाव की है। जब बाढ़ आती है तो हजारों किसान बेघरबार के हो जाते हैं और बड़ी तबाही होती है.....

श्री अधिष्ठाता---यह तो बहुत पुरानी चीज है।

श्री गौरीशंकर राय---दरिद्रता भी बहुत पुरानी है, श्रीमन्। कोई कटाव को रोकने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। प्रति वर्ष हजारों एकड़ जमीन चली जाती है। वह लोग शरणार्थियों से भी बुरी दशा में हैं। मैं निवेदन करूं कि उससे कम खतरनाक स्थिति बनारस की थी लेकिन वहां के लिये १,२०,००० रुपया फ्लड प्रोटेक्शन में खर्च किया गया है, पर बलिया में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आज सारे प्रदेश में जो पानी का सवाल बना हुआ है उस प्रश्न को और गरकी को देखते हुए आज वाटर-लागिंग को हटाने के लिए, जगह-जगह के पानी के कटाव को हटाने के लिए एक निश्चित रकम रखी जानी चाहिए, लेकिन आज मैं देखता हूं कि उसकी तरफ भी आधे दिल से प्रयास है और सिंचाई में जिस प्रकार छूट की लूट हुई है हमारे पुराने मंत्रियों के जमाने में उसमें कुछ तो जांच हो रही है, उसके लिए मैं एक बार और कह दूं कि हमारे मौजूदा सिंचाई मंत्री ने एक बहादुरी का काम किया है और दोनों तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि करप्शन को रोकने में जैसा एक मंत्री प्रयास करता है, हर मंत्री करने लगें तो बड़ा अच्छा कार्य हो।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हरीशचन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)---मान्यवर, आज इस बजट पर सामान्य वाद-विवाद का तीसरा दिन है। बहुत गौर से मैंने सदन के इस ओर और उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों की वक्तृताओं को सुना। मुझे खेद यह है कि विरोधी दल के बैठने वाले साथियों में किसी को कोई ऐसी बात इस बजट में नहीं मिली जिसमें वह समझते हों कि सरकार ने कोई कदम आगे उठाया है। यह सही है कि इस बजट में खामियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, उसकी ओर ध्यान दिलाया गया। उसका जवाब देने के लिए तो मैं नहीं हूं, क्योंकि माननीय मंत्रिगण स्वयं उनका जवाब देंगे, मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन खामियों और त्रुटियों के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी कही गयीं जो वाकई खामियां नहीं हैं। मैं छोटे मुंह बड़ी बात तो नहीं करना चाहता, मगर माननीय विरोधी दल के नेता ने जो फैमिली प्लानिंग के ऊपर अपने विचार प्रकट किये, मैं नहीं जानता कि वास्तव में वह उनके विचार हैं या नहीं।

श्री अधिष्ठाता---उनको कोई तजुर्बा भी नहीं है, मेरा खयाल है।

श्री हरीशचन्द्र अष्ठाना---मैं नहीं जानता शायद वह रस्मी तौर से स्वास्थ्य मंत्री से अपनी बात कह रहे थे। बहरहाल, यहां कुछ ऐसी त्रुटियों की तरफ ध्यान दिलाया गया इस वाद-विवाद के सिलसिले में जो वास्तव में नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे साल में, जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, कोई आकर्षक नयी मदें इसके अन्दर खोजने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सबको मालूम है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्वयं एक बड़ी ऐम्बिशस प्लान है और इस बात की कोशिश की गयी कि इसमें राष्ट्र की समस्त शक्तियों का उपयोग किया जाय। जिस वक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी तो बहुत से लोगों का खयाल यह था कि शायद इसके जो टार्गेट्स हैं वह पूरे नहीं किये जा सकेंगे, उन चीजों की पूर्ति की जा सकेगी या नहीं, इसमें बहुत से लोगों को शक था, मगर जिस वक्त यह योजना चली और उसके चौथे वर्ष में माननीय सदस्य देखें कि उन टार्गेट्स को पूरा किया जा सका या नहीं, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार और वित्त मंत्री जिन्होंने यह बजट पेश किया है, जरूर बधाई के पात्र हैं।

मैं समझता हूं कि बजट को इस रोशनी में भी देखा जाना चाहिए कि हम इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना की परिधि के अन्दर, उसकी सीमाओं के अन्दर कितने सफल हो सके हैं। मेरा यह खयाल है कि जहां तक उन बड़ी बड़ी योजनाओं का ताल्लुक है जिसका कि जिक्र माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में किया। सिंचाई की योजनाओं में नौगड़ बांध पर अधिक पानी जमा करने के लिए फाटक लगाये गये, नारायणी गंडक पोखरा कैनाल पर एक ड्रेनेज साइफन, टांडा पम्पड कैनाल पर १२० क्यूसेक्स के दो पम्प, दोहरीघाट पर पम्प, माताटीला और जितनी स्कीमों की चर्चा बजट भाषण में की गयी है उनकी पूर्ति उसी प्लान के मातहत हो रही है। यह सही है कि यह उन्हीं कार्यों से संबंधित है जो पिछले चले आ रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टार्गेट्स को पूरा करने में एक हद तक सफल हुये हैं या कम से कम उन टार्गेट्स के मातहत चल पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह सरकार बधाई की मुस्तहक जरूर है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें लोगों को राहत दी गयी है, मसलन् १०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वालों के लिये जो बढ़ोत्तरी दी गयी है, टीचर्स के वेतनक्रम के लिये कुछ बात कही गयी है, गल्ले के २५,००० रुपये से कम व्यापारियों के ऊपर सेल्स टैक्स हटा लिया गया है और उद्योग के लिये बिजली के ऊपर से ड्यूटी हटा ली गयी है, मैं समझता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनका इस सदन को स्वागत करना चाहिये था और माननीय मंत्री जी उसके लिये बधाई के पात्र हैं।

माननीय प्रतापसिंह जी ने यह कहा था कि पिछले बजट में उद्योग के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था और इस बजट में कृषि के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। जाहिर है कि आज हमारे देश और प्रदेश में अन्न की समस्या ऐसी हो गयी है कि अगर कृषि के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो कोई गलत चीज नहीं है।

नागपुर रेजोल्यूशन के सम्बन्ध में जन संघ के नेता माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे ने कहा कि कोआपरेटिव्ज तो किसी राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के मातहत ही देखी जानी चाहिये। मैं सामाजिक या राजनीतिक दर्शन की चर्चा यहां नहीं कर सकता और करने के लिये शायद मुझमें क्षमता भी नहीं है। मगर, श्रीमन्, हमारा अपना दर्शन तो यह है कि यहां के नागरिक खुशहाल हो सकें और उनका चतुर्मुखी विकास हो। समाजवाद, प्रजातंत्रवाद, और दूसरे वादों की बात तो मैं नहीं कर सकता। तो इस नुक्ते नजर को सामने रख कर अगर हम आज सहकारिता की बात करते हैं तो फिर उसका उनको शिकायत करने का मौका नहीं है। यह जरूर है कि किसी बंधे पिटे वाद के अन्दर हमारी बात नहीं आती। सहकारिता के सिलसिले में जहां मैं, बहुत हद तक उन बातों से जो माननीय गोविन्दसहाय जी ने एप्रोच के सम्बन्ध में कहीं, इत्तफाक करता हूं वहां मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नागपुर रेजोल्यूशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और वह यह कि हमारे कृषि में उतनी उन्नति न कर सकने का एक बड़ा भारी कारण यह है कि हमारी बहुत सी होल्डिंग्स अनएकोनामिक हैं और यदि काश्तकार सिर्फ उन्हीं अनएकोनामिक होल्डिंग्स के ऊपर जुटा रहता है तो साल के ३६५ दिन जुटे रहने के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाती। तो इसका कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस तरह की अनएकोनामिक होल्डिंग्स को एक साथ ले आयें। जाहिर है कि इसके लिये अगर कोई कोअर्शन होता है, कोई जोर जबर्दस्ती की बात होती है तो सहकारिता की भावना ही समाप्त हो जाती है। मगर आपको मालूम है कि हमारे प्रधान मंत्री की घोषणा के मुताबिक हम यह फैसला कर चुके हैं कि किसी तरह का कोई कोअर्शन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाए जाने की बात है मेरी समझ में नहीं आया कि उसके क्या गलत अर्थ लगाये जा रहे हैं। यदि एक क्षेत्र के काश्तकार मिल जुल कर अपनी इच्छा से कोई फार्मर्स कोआपरेटिव बनाते हैं और उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है, उनकी व्यक्तिगत जमीन भी बनी रहती है तो कौन सा गलत काम हो जायगा? आप जानते हैं कि अभी एक या दो एकड़ के काश्तकार को अगर बीज गोदाम से वैज्ञानिक खाद या बीज लाना होता है तो वह अपनी पूरी बैल गाड़ी ले जाता है और दिन भर खराब करता है। इसके बजाय अगर इन

[श्री हरीशचन्द्र अष्ठाना]

कोआपरेटिव्ज के जरिये खाद और बीज वहीं पर पहुंच जाय तो क्या हर्ज है ? या एक एकड़ का काश्तकार अपने लिये कुंआ नहीं खोद सकता है लेकिन अगर १०-२० काश्तकार मिलकर एक कुंआ खोद लेते हैं और अपनी खेती को सींच लेते हैं तो क्या कोई हर्ज है ? कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार हमारी खेती की समस्यायें काफी हद तक हल हो सकती हैं । इसके अलावा जब हम अपनी इच्छा से कोआपरेटिव्ज बनायेंगे ताकि अपने हितों के लिये वे कार्य कर सकें तो उनके अन्दर न तो मास्टर और सर्वेन्ट का मामला उठता है और न बड़े-बड़े वादों की बात आती है । तो जैसा मैंने निवेदन किया कि वाद की बात तो मैं कर नहीं सकता और न किसी वाद के मातहत कार्य करने का प्रश्न ही उठता है । यह तो काश्तकारों के सामूहिक हित को दृष्टि में रख कर काम करने की योजनामात्र है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोआपरेटिव्ज और सीलिंग के ऊपर जो राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कहा उससे मालूम होता है वह सीलिंग से कुछ नाराज हैं । लेकिन इस संबंध में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सम्भवतः सभी सदस्य उनकी नाराजगी समझ सकते हैं ।

मैं आपके द्वारा सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार को यह सोचना चाहिये कि यद्यपि आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टार्गेट से बंधे हुये हैं लेकिन यह एक विशेष इमर्जेन्सी का समय है और गल्ले की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसी तरह से सोचने से, उसी तरह से रोटीन आंकड़े बनाने से और उसी तरह से कदम उठाने से कुछ होने वाला नहीं है । और यह मुनासिब भी नहीं है । आज एक इमर्जेन्सी बजट के लाने की जरूरत थी । उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिये थी उसके संबंध में संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अपनी योजनाओं में प्लान के अतिरिक्त और बहुत सी मदों पर काफी रुपया खर्च किया जाता है उसको कम करके इस तरह से खर्च करना चाहिये जिससे लोगों में "सैन्स आफ इमर्जेन्सी" पैदा होती तो देश के वातावरण में कुछ परिवर्तन होता और देश की स्थिति सुधरती, धन्यवाद ।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--सभापति जी, १७ तारीख से जो बजट पर भाषण हो रहे हैं उनको तथा नेताओं के भाषणों को सुनने के बाद मुझे यह अर्ज करना है कि सरकार से पहले मुझे दुख है कि जिसके आधार पर यह बजट बनाया गया है और जिन योजनाओं की सफलता पर सारा दारोमदार है वह मंत्री जी ही १७ तारीख से गायब हैं । कोआपरेटिव और कृषि जिन मंत्री के विभाग हैं वह यहां नहीं हैं जो हमारे सुझावों को समझते । नागपुर सेशन में तय हुआ था कि खेती में कोआपरेटिव सिस्टम को अपनाकर देखा जाय । लेकिन मुझे दुख है कि मंत्री जी मौजूद नहीं है लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता भी है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस समय मौजूद हैं....

श्री रामेश्वरप्रसाद--इससे आपको संतुष्ट होना चाहिये ।

राजा वीरेन्द्रशाह--मुझे संतोष है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हम १९४६ से बराबर यह सुनते चले आ रहे हैं कि यह कल्याणकारी बजट है । तभी से यह कल्याण हो रहा है । सभी भाषणों में यही चीज होती है और उधर से कहा जा रहा है कि यह उन लोगों का बजट है जो हमेशा से बनाते चले आ रहे हैं । लेकिन मुझे इस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है । आज जो इस मुल्क में सत्ताधारी पार्टी है उसने अपने नागपुर सेशन में रिजोल्यूशन पास किया उसके आधार पर बजट बनाया जाता है तो उसे यह भी समझना चाहिये कि देश के लोगों की क्या राय है ? चाहे उनकी पार्टी के लोग हों या बाहर के लोग हों सबको समझकर उनको किसी चीज पर आना चाहिये । मान लिया थोड़े आदमियों का सवाल हो, दो तीन लाख आदमियों का सवाल हो तब तो ठीक है और जैसा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमींदारी एबालीशन में हुआ उसमें आपने जल्दी में काम किया। उसमें आपने बुरा किया या सही किया लेकिन ठीक किया। आपको उसमें जल्दी करनी भी चाहिये थी। लेकिन यह जो आप करने जा रहे हैं उसके संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह वह दांव है कि जब पहलवान चूक जाता है तो वह अपने दांव में ही जाता है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में समाज के हित में व्यक्तिगत सम्पत्ति का समाप्त करने का आधार दिखाया है। मैं कहना चाहता हूं कि हम पहले कांग्रेस को समझते थे कि गांधीइज्म में ही समाजवाद मौजूद है। लेकिन जब से आपकी यह नीति आई तब से समझ में आया कि आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बुरा पड़े या अच्छा पड़े लेकिन पड़ता है। मैं आपके द्वारा सरकार से कहता हूं कि आप पहले अपने बुजुर्गों की जिन्होंने आपकी इस कांग्रेस में आपसे कंधा से कंधा मिला कर काम किया है उनकी राय पर भी जरा आप ध्यान दीजिये। हमारे पंडित जी हैं, जब आदमी बड़ा उठ जाता है तो छोटी-छोटी बातों पर उसका ध्यान नहीं जाता और कभी-कभी बड़ी बातें भी छूट जाती हैं। उनका फर्ज यह नहीं है कि उनको अगाह न करें। यह हमारी कायरता होगी अगर हम न बतलायें। बड़े-बड़े नेताओं ने जैसे राजगोपालाचारी, जो पहले गवर्नर जनरल थे, मुंशी जी जो यहां के भूतपूर्व गवर्नर थे, इन लोगों की क्या राय है? दूसरे रंगा जी जो कि कांग्रेस के मंत्री थे उनकी क्या राय है? आप चाहते हैं कि समाजवाद की शुरुआत देहात से करें। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर व्यक्तिगत सम्पत्ति को समाप्त किया जाय तो सब जगह समाप्त किया जाय। यह नहीं कि देहात के लिए शुरू करते हैं जो कि यहां की बैकबोन हैं। उसको तोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भूमि पर सीलिंग हो। बहुत से आदमी समझेंगे कि मैं सीलिंग के माफिक हूं। मैं उस दशा में सीलिंग के माफिक नहीं हूं अगर वह सिर्फ देहात में हो। अगर सीलिंग हो तो देहात और शहर दोनों में सीलिंग हो। तनख्वाहों पर सीलिंग हो, मंत्रियों के वेतन पर सीलिंग हो, मिलों पर सीलिंग हो। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक कोआपरेटिव का शुगर मिल चलाया। क्यों नहीं सब शुगर मिल कोआपरेटिव के कर दिये जायं? क्यों चन्द आदमियों को बचाने के लिए इस तरह की चीज की जाय।

हमारे बहुत से उस तरफ के मित्र यह समझते हैं कि जो जमीन निकलेगी वह लेंडलेस लेबर को मिलेगी। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई मत कराओ। देहात के अन्दर जमीन किसी को नहीं मिल सकती। जमीन के लिए बड़े झगड़े होंगे। देहात की बटेगी तो शहर की भी बटेगी। अगर जमीन बटे तो पहले जो दो-दो, तीन तीन एकड़ के छोटे-किसान हैं पहले उनको मिलना चाहिए। पहले उनका हक है। जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए मिल लगवाइये, दूसरे धंधे दीजिये। यह जमींदारी एबालिशन नहीं है कि जिसमें जमींदारों को नष्ट कर दिया और खुशी मना रहे हैं कि वह बरबाद हो गये। किसान को बरबाद करने के मानी यह हैं कि यह सरकार स्वयं बरबाद हो जायगी। मैं बड़ी बात नहीं कहता लेकिन हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतवर्ष गांवों में बसता है। मुझे अफसोस है कि आज जितनी भी चीजें होती हैं उस सबका कहर गांवों पर ही होता है। जितना भी विकास है वह शहर के लिये होता है। सड़कों में, अस्पतालों में, हर चीज में रुपया शहर में जायगा। अभी एक मित्र कह रहे थे कि कितना ही रुपया मार्टिन कम्पनी को दे दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी करना है ठिकाने से कीजिये।

दूसरी बात, यह आपका कोआपरेटिव ऐक्ट ही निकम्मा है। जिस ऐक्ट के अन्दर आफिसरान को अधिकार हो कि जब चाहें एक प्रस्ताव पर कोआपरेटिव को भंग कर दें यानी सहकारिता क्या हुई, रजिस्ट्रार साहब के मातहत सब मजदूर हो गये।

समाजीकरण की बात कही गयी। क्या गांधीकरण में समाजीकरण नहीं आता। मेरे खयाल से उसमें समाजीकरण जरूर आता है। हमारे मित्र जनसंघ के नेता ने तमाम आंकड़े रूस के बतला दिये। चायना में क्या हुआ यह बतलाया गया है। यह कहा गया कि चायना में यह सब सफल हुआ। श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि वहां भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये लाखों आदमियों को मार डाला गया। उस काम को यहां पर आप नहीं करना

[राजा वीरेन्द्र शाह]

चाहते और न करना चाहिये। लेकिन इस तरह का नियंत्रण जरूर होना चाहिये कि जो चीज शुरू की जाय उसको ठिकाने से शुरू किया जाय। पहले जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको डेवलप कीजिये, सरविस कोआपरेटिव्ज चला रहे हैं उनको चलाइये और तब व्यक्तिगत सम्पत्ति लेने के लिये कदम बढ़ाइये।

आज गांवों में बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। तो नागपुर में जो प्रस्ताव पास हुआ उसको सोचसमझ कर चलाइये। यह नहीं कि पंडित जी के मुंह से निकल गया और ब्रह्म वाक्य है, होकर रहेगा। मैं तो इस मामले में चरणसिंह जी की तारीफ करता हूं, उनको बधाई देता हूं और कहता हूं कि इस सदन का सौभाग्य है कि इतना बड़ा एक मंत्री जो अपने काम को जानता है उसने वहां सही बात को रखा है और वह नेता के प्रभाव में नहीं आया। बहुत से लोग तो सही बात नहीं कहते इस डर से कि कहीं नेता जी नाराज न हो जायं। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं और चाहता हूं कि सरकार को उसी तरीके से चलना चाहिये। सरकार को नारों पर नहीं चलना चाहिये। समाजवाद के नारे कभी-कभी बड़े थोथे होते हैं। यह नहीं कि चन्द्रजीत जी ने जैसे सिर्फ देहात का बटवारा कर दिया। यह भी कहते कि पांच सौ रुपये माहवार से ज्यादा तनख्वाह किसी को न हो। शहर का आदमी आज देहात का पैसा और उसका अधिक हिस्सा ले लेने के लिये तुला है, जितनी इन्कम बढ़ती है सब शहरवालों की बढ़ती है और देहातवालों की आमदनी घटती जाती है। अब अन्न के दाम ज्यादा देने पड़ रहे हैं। शहर वाले भी परेशान हैं। यही हालत देहात की है। देहात का अन्न चला गया अब तो वह कहीं बीच में रुका हुआ है। सरकार अब उसको जबरदस्ती लेने का विचार कर रही है क्योंकि वह स्टेट ट्रेडिंग करेगी। देखें उस समय क्या भाव रहता है। अब सरकार इसको करना चाहती है तो उसको शीघ्र करना चाहिये। सरकार ने कितना उत्पादन बढ़ाया है उससे यह स्पष्ट हो जायगा वरना दोनों ही नुकसान में रहेंगे। अब फसल आ रही है उसमें देहातवालों को उचित दाम नहीं मिलेगा। कोई भी खरीदे, चाहे सरकार स्वयं खरीदे या किसी एजेन्ट के जरिये से खरीदवाये लेकिन सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि जमींदारी खत्म होने पर तो क्रान्ति नहीं हुई लेकिन इससे क्रान्ति हो जायगी।

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)---श्रीमन्, यह सबेरे तय हुआ था कि ३० मिनट में इधर से तीन सज्जन बोलेंगे और ३० मिनट में उधर से दो सज्जन बोलेंगे लेकिन हो यह रहा है कि एक सज्जन इधर से बोलता है और एक सज्जन उधर से बोलता है। इसलिये वह निर्णय ठीक नहीं हो रहा है।

**श्री अधिष्ठाता**---जी नहीं, आपको भ्रम हो रहा है। अध्यक्ष का यह निर्णय नहीं था कि लगातार तीन उधर से बोलेंगे और लगातार दो इधर से बोलेंगे। इधर से १५ मिनट में एक आदमी बोलता है और उधर से १० मिनट में एक आदमी बोलता है।

***श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिस भावना से यह आय-व्ययक का लेखा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं किन्तु इसके साथ ही साथ इस प्रदेश की जनता की समृद्धि के लिये और यहां की दारिद्र्य ग्रामीण जनता के लिये.....

(इस समय ३ बजकर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

**श्री उपाध्यक्ष**---आप कृपया ऐसी हिन्दी का प्रयोग कीजिये को सब समझ सकें।

**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, हिन्दी पर बन्धन नहीं होना चाहिये।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री उपाध्यक्ष**—ऐसी भाषा बोलिये जो सब समझें।

**श्री रामलखन मिश्र**—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अभी अपना प्रथम चरण भी नहीं रक्खा है और उसके पूर्व ही मेरे सामने यह कंटक आ गया। मैं आपके सामने यह निवेदन कर रहा था कि जो यह आय-व्ययक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं किन्तु इसके साथ ही साथ इस प्रदेश की जनता की समृद्धि के लिये और गरीब जनता की उन्नति के लिये कुछ मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि मेरे ये सुझाव अरण्य रोदन की तरह से न हों। सरकार को उन पर कुछ ध्यान देना चाहिये।

प्रथम बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व वक्ता ने अभी अधिकतम जोत की सीमा पर बड़ा रोष प्रकट किया है। अतः वहीं से प्रारम्भ करना चाहता हूं। अधिकतम जोत की सीमा अवश्य रहनी चाहिये। समाजवादी समाज की चर्चा करना व्यर्थ है यदि हम अधिकतम जोत की सीमा न रखें। लोगों को इसमें भय नहीं करना चाहिये, अधिकतम जोत की सीमा से भय करना निर्मूल है। यह क्रान्ति है न्यूनतम जोत की सीमा से उत्पादन बढ़ता है इसलिये न्यूनतम जोत की सीमा भी रखनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत की सीमा पर बहुत विवाद नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह हमारे योजना कमीशन के सिद्धान्तानुसार यदि आई तो अधिकतम जोत की सीमा प्रतिगामी होगी। १२ १/२ एकड़ से अधिक कोई अब खरीद नहीं सकता। ३० एकड़ की सीमा हम बांध चुके हैं। ३,६०० रुपये इन्कमटैक्स के रूप में हम रख चुके हैं। तो वह ३,६०० रुपये की सीमा अधिकतम जोत की जाकर करीब ५० एकड़ के निकट जाती है। जिस समय हम वह ५० एकड़ की समस्या यहां प्रस्तुत करेंगे तो हम आगे नहीं चल सकेंगे, पीछे ही चल सकेंगे। इस कारण अधिकतम जोत की सीमा से हमको घबराना नहीं चाहिये। जिस तरह चीज चल रही है उसको अपने यहां लाना चाहिये और उससे आगे बढ़ कर कुछ व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि उत्तर प्रदेश पथ-प्रदर्शक रहा है। सारे देश के लोग उसकी नकल करते हैं। हमारे प्रदेश का अनुकरण नैपाल के लोग भी करते हैं इलसिये हमको अधिकतम जोत की सीमा से घबराना नहीं चाहिये। यहां पर भूमि की समस्या संतोषप्रद दिखायी पड़ती है।

इस प्रदेश में सब से बड़ी विकास की जो योजना है वह चकबन्दी की योजना है। इसमें जो सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है उसमें ८ एकड़ से ऊपर वालों को तो भरपूर तकावी मिल रही है लेकिन उस से नीचे वालों को कहा जाता है कि वह लोग मिल कर लें तो कुवें के लिये तकावी पा सकते हैं। उनमें सहयोग नहीं हो पाता और वे उससे वंचित रह जाते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सीमा को नीचे लाना चाहिये और छोटे किसानों को भी तकावी दिलानी चाहिये। इसके अतिरिक्त दो किस्तों में तकावी मिलने से भी उनको परेशानी होती है। जब वे उसका सूद देते हैं और १० साल में वे सारा पैसा दे देते हैं तो उनको दोबारा दौड़ाने से कोई फायदा नहीं। इस ओर भी माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान जाना चाहिये। इससे छोटे किसानों को लाभ होगा।

चकबन्दी के अन्तर्गत जो अमीन हैं वह काफी संतोषप्रद नहीं मिल रहे हैं। पुराने लेखपाल जिन्होंने निश्चित समय के अन्दर अपने इस्तीफे वापस ले लिये वे तो ठीक हैं, लेकिन और जो सड़े-गले लोग, अयोग्य लोग रख लिये जाते हैं उनके कारण इंदराज में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। हमारी जो ट्रेनिंग के लिये व्यवस्था है और उसमें जो लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं वह काफी नहीं पड़ते। ४० या ६० ए० सी० ओज० सारे प्रदेश में काम कर रहे हैं और १ करोड़ ४० लाख या ५० लाख के करीब खेत हैं, जिसमें २४ लाख खेत मेरे यहां ही हैं। हमारे यहां ही केवल २०० से ज्यादा लेखपाल चाहिये। तो इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये अन्यथा चकबन्दी के कार्य क्रम को उचित समय पर पूरा करने में बाधा पड़ेगी।

[श्री राम लखन मिश्र]

दूसरी बात, सरकार का ध्यान में फल विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। इस ओर सरकार का बहुत कम ध्यान गया है और कहना चाहिये कि एक प्रकार से वह उदासीन है और उसकी गति में मंदता आ गयी है। फल विभाग को केन्द्र में एग्रीकल्चर के साथ रखा जाता है लेकिन हमारे प्रदेश में वह उद्योग विभाग के साथ चला जाता है। यहां उद्योग और कृषि का उच्छिष्ट जो होता है वह फल को मिलता है। हमारे प्रदेश में काफी फल हैं और इस दिशा में हम काफी उन्नति कर सकते हैं और देश का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। यह लज्जा की बात नहीं है, हमको जागरूक होकर इस ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिये। सरकार ने यहाँ डिप्लोमा कोर्स खोल कर सारे देश का पथ प्रदर्शन किया है, लेकिन वहां मैसूर के छात्र तो आकर ट्रेनिंग ले लेते हैं यहां के लोग रुपया कम होने के कारण यह लाभ नहीं उठा पाते। यहां के छात्रों को ज्ञानोपार्जन के लिये सुविधा देने की ओर सरकार को अपना ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह कि विकास खंडों में आपने प्रशासन की दृष्टि से १०० गांव दे दिये हैं, ग्राम सेविकायें दे दी हैं, ग्राम सेवक दे दिये हैं और उनको कार्य भी दे दिया गया है और सारे भरपूर नृत्यकला के साधन भी दे दिये गये हैं, संपूर्ण बात होते हुए भी उनके ऊपर कितना काम है। जब पैदावार का मूल्यांकन करना पड़ता है तो वे फर्जी इंदराज कर देते हैं। कमिश्नरी में कंपिटीशन होता है। ऊपर के अधिकारी जब आते हैं जांच करने के लिये तो उनके सामने कठिनाई आती है। पुष्पमालाओं की इतनी वर्षा होती है, उनकी सेवा श्रुषुषा इतनी की जाती है, इलाहाबाद, लखनऊ और काशी की इतनी मिठाइयां वितरित की जाती हैं कि वह हाड़-चाम के बने व्यक्ति होते हैं, सही जांच नहीं कर पाते। दूसरे उनका स्वार्थ निहित होता है। एक कमिश्नरी दूसरी कमिश्नरी से प्रतियोगिता में आना चाहती है। इसमें श्रीमन्, मैं बलपूर्वक कह सकता हूं कि डिप्टी डेवलपमेंट आफिसर से लेकर नीचे के कर्मचारी भी जांच करने में, मूल्यांकन करने में बहुत गल्ती करते हैं। मान्यवर, अगर आप दो तीन मिनट और दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती।

**श्री उपाध्यक्ष**—समय की बहुत कमी है, इसलिये मैं मजबूर हूं।

**श्री राम लखन मिश्र**—मान्यवर, पुलिस विभाग के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आज इस विभाग का कार्य भारतीय दंड विधान के अनुसार चलने वाला नहीं है। अपराध निरोध के लिये एक वर्षीय योजना बनानी चाहिये और मर्डर्स और डकैतियों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। अपराध की समस्या के अन्दर हमें जागरूक होकर ध्यान देना है और हमारा क्रिमिनालोजी का दृष्टिकोण होना चाहिये।

एक बात मुझे आयुर्वेद के संबंध में कहनी है। जहां जहां एन० इ० एस० ब्लाक्स बने हैं वहां पर आयुर्वेद निष्कासित-सा होता जा रहा है। अगर यही व्यवस्था रही तो प्रदेश भर में आयुर्वेद का निष्कासन हो जायेगा। इस संबंध में हमें विशेष जागरूक होना चाहिये वरना ट्रेडीशनल, परम्परागत औषधि प्राणाली लुप्त हो जायगी। कोई इंटर नेशनल केन्द्र भी नहीं है जहां पर इसको बल मिल सकेगा। आयुर्वेदिक कालेज में भी एक भूल हुई, इसको काशी में रखना चाहिये था। इसमें इन्टर साइन्स के बजाय इन्टर आर्ट वाले छात्र लिये जाते हैं और उनकी उपाधि भी वैद्याचार्य कर दी गई है। आयुर्वेद में भी फर्क कर दिया गया है, शुद्ध आयु-र्वेद और अशुद्ध आयुर्वेद ....

**श्री उपाध्यक्ष**—आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री गनेशीलाल चौधरी**—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट सदन के समक्ष रखा है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट किसी सूबे के लिये या किसी देश के लिये उसकी नीति का दिग्दर्शक हुआ करता है। जब मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं तो मुझे माननीय वित्त मंत्री जी का बजट केवल मुनीम जी का खाता मालूम होता है। आपने कहीं भी जो साल भर की पालिसी है उसका दिग्दर्शन

नहीं कराया है बल्कि अपनी एक ब्योरेवार रिपोर्ट पेश की है और उसमें यह है कि जो काम आपने साल भर कर लिया उसका तो हवाला दे दिया और जिस काम को पूरा नहीं किया उसके लिये या तो प्रकृति के ऊपर डाल दिया या यह कह दिया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हमको मदद नहीं मिली। तो इस दृष्टि से जब मैं देखता हूं बजट को तो मुझे बड़ा दुख होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं एक चीज के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष कोई नया टैक्सेशन नहीं किया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उस समय भी कोई नया कर नहीं लगाया गया था लेकिन बीच में दो एक बिलों के ऐसे अमेंडमेंट आये, जब कि बजट का समय समाप्त हो गया था, जिनसे ख्वाम ख्वाह कर वृद्धि हुई। तो मैं यह चाहता हूं कि ऐसी परम्परा न होने पावे। साल भर की जो कर नीति है, जो बजट है वह बजट सेशन में ही मंत्री जी तय करें। मुझे शक है कि इस आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के बीच में मंत्री महोदय कोई और बिल का अमेंडमेंट न ले आवें जिससे करदाता के ऊपर कर बढ़ जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे जो बजट बनाते हैं उसमें दूरंदेशी नहीं किया करते। मैंने दो तीन सालों के बजटों को पढ़ा और उनमें देखा कि जो भी बजट बनाये गये वे सब घाटे के बनाये गये। मैं स्वयं घाटे के बजट का हामी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि अपने पास जितना रुपया हो उतना ही व्यय करना चाहिये। बजट तो घाटे का बनाया जाता है लेकिन वर्ष के अन्त में देखा जाता है कि सरप्लस हो गया। इस वर्ष माननीय मंत्री जी का घाटा बहुत कम है इसलिये उसके विषय में सरप्लस की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन बजट बनाते समय यह देख लेना चाहिये कि वह संतुलन का हो।

बजट जो भी होना चाहिये वह मितव्ययता का होना चाहिये। लेकिन जब इस बजट को मैं देखता हूं तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी दिखायी पड़ती हैं जिनको भविष्य के लिये टाला जा सकता था। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि हमारे प्रदेश में बहुत सी बाउन्ड्रीज बनने जा रही हैं जैसे प्रोग्रेस म्यूजियम में बाउन्ड्री तथा आडिटोरियम बनने जा रहा है। इसको टाला जा सकता था। इसीलिये मैं कहता हूं कि संतुलन की दृष्टि में प्रायोरिटी की दृष्टि से, जो बजट बनाया जाता है वही ठीक होता है।

तीन चार दिन से उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या पर बहस सुनी जा रही है। माननीय नेता विरोधी दल ने भी खाद्य समस्या पर बड़े जोरदार शब्दों में कहा। मैं तो इस बात का मानने वाला हूं कि गिरानी थोड़ी और बढ़े। माननीय नेता विरोधीदल आज खुलकर सामने नहीं आते। एक तरफ तो कहते हैं कि गन्ने का दाम बढ़ाओ और दूसरी तरफ कहते हैं कि अनाज सस्ता करो। अनाज सस्ता करने से पहले और दूसरी चीजों को सस्ता करना चाहिये। यह दुतरफा चाल माननीय नेता विरोधीदल की हमारी समझ में नहीं आती।

माननीय नेता विरोधी दल ने फेमिली प्लानिंग के बारे में भी कहा। अपने भाषण में उन्होंने दुध मुंहे बच्चों की दुहाई दी और जो बच्चे आज इस दुनियां में नहीं है, उनकी भी दुहाई दी। आज से कुछ साल पहले दिल्ली में एक इंटरनेशनल कान्फ्रेन्स आफ प्लान्ड पेरेन्टहुड हुई थी जिसमें मिस्टर हक्सले का एक आर्टिकिल पढ़ा गया था। उन्होंने कहा था कि आज पापुलेशन की समस्या हमारे देश की सब से बड़ी समस्या है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनियां की जितनी भी पापुलेशन है उसकी दो तिहाई अन्डर नरिश्ड है। इस जनसंख्या की समस्या अमेरिका में भी है। अमेरिका में मंजिल के ऊपर मंजिल बनती जा रही है। इसका क्या कारण है? यही कि वहां की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जमीन कम होती जा रही है। आखिर में मिस्टर हक्सले ने कहा है कि फेमिली प्लानिंग के लिये अगर गर्भपात भी करना पड़े तो बेजा न होगा। और समय आयेगा तो आपको यह चीज करनी पड़ेगी। जापान में अभी अभी एक मिलियन बच्चों का एबार्शन हुआ है हालांकि वहां पर कानून इस चीज को परमिट नहीं करता है। तो इस हद तक आपको भी जाना पड़ेगा।

[श्री गनेशीलाल चौधरी]

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरिजनों की बात है, आज उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। यह मैं मानता हूं कि आपने हरिजनों के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किये और उनकी आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयत्न किया। लेकिन मैं यह कहने में भूल नहीं करता कि उनका सामाजिक स्तर आज भी वैसा ही है जो आज से ५० वर्ष पहले था। उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि जातिवाद को समाप्त किया जाय। जातिवाद जो है वह पूंजीवादियों का एक दलाल है और आज तक जो भी कानून बने वे पूंजीवादियों के फायदे के लिये ही बने। आज तक मनुस्मृति या जितनी भी किताबें बनीं वे इसी खयाल से बनी कि किसी तरह से पूंजीवादी बना रहे। इस जातिवाद को समाप्त करने के लिये सरकार को चाहिये वह कोई ऐसा कानून बनावे कि जो शख्स अपने कास्ट में ही शादी करेगा उससे उत्पन्न बच्चे को जायदाद में हक लेने का हक नहीं होगा, लेकिन जो शख्स अन्तर्जातीय शादी करेगा उससे उत्पन्न बच्चे को जायदाद में हक मिलेगा, तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ५ या १० वर्ष में ही छुआछूत का भूत अवश्य ही मिट जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों के बाद हमको समय मिला है, दो तीन बातें ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे बजट में एक बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अब तो देश का निर्माण समाजवादी ढांचे पर होगा। भीष्म पितामह ने कहा है कि "शान्तनु पुत्र न कहाऊं जो मैं हरि से अस्त्र न गहाऊं"। बड़ी खुशी की बात है कि अब समाजवाद सब को मानना पड़ेगा। लेकिन श्रीमन्, इसमें कुछ कमी रही, वह कमी क्या है, एक बहुत ही मोटी बात है कि एक स्त्री अपने पड़ोस की दूसरी स्त्री को अपने घर से गल्ला दिया करती थी, एक दिन उसने काफी गल्ला कम्बल में बांध कर अपनी पड़ोसिन को दे दिया और अपने पति से कहा कि घर में गल्ला बहुत कम है इसलिये सोच समझकर खर्च किया करो। इस पर पति ने कहा कि यदि यही बात थी तो तुमने पहले ही क्यों उसे नहीं बतलाया ताकि आज उसकी नौबत ही नहीं आती। जब पति ने कहा—

कि ऐसी हो तुम अब और ऐसी होती जब,
तो काहे को जाता गांठ का कम्बल और बेझर जाती सब।

तो इसी तरह से यदि हमारी बात सन् ४८ में ही मान ली जाती तो आज हिन्दुस्तान का पतन न होता और पूंजीवादियों का देश में नाम भी नहीं होता। सब खुश होते। यह नहीं कि बुरे ही बुरे हैं। अच्छे भी होते हैं। एक चीज मुझे याद आई। १ अगस्त, १९२० को गांधी जी ने हमको अहिंसा का अस्त्र दिया अंग्रेजी राज्य रूपी झाड़ी के कांटे को मिटाने के लिये। माता बहिनें, व्यापारी, मध्यम वर्ग, दूकानदार, किसान और मजदूर सभी बढ़े अहिंसा के अस्त्र को लेकर अंग्रेजी राज्य को फना करने के लिये। अंग्रेज चला गया लेकिन उसकी ठूंठ रह गई। जो प्रतिक्रियावादी, निकम्मे लोग थे वे रह गये। जो ठूंठ रह गयी है वह नहीं उखड़ेगी जब तक मैदान साफ नहीं होगा। अंग्रेज गया लेकिन अंग्रेजियत नहीं गयी। एक कविता मुझे याद आती है :

बगुला भक्ति का ले बाना मन्द मन्द मुस्काना सीखो,
अमर सेत किन्तु मन काला अन्दर सब ले जाना सीखो।
काम पड़े पर दांत निकालो, बने तो आंख दिखाना सीखो,
राजनीति का ध्येय यही है छिप कर तीर चलाना सीखो।
काम दिखावटि किया करो तुम नहीं किसी से डरना सीखो,
झूठे झगड़े नित्य किया करो तुम डाल के फूट लड़ाना सीखो,
सर्वोदय की आड़ में घुस कर अपनी धाक जमाना सीखो,
कांग्रेस का ध्येय यही है छिप कर तीर चलाना सीखो।

चौधरी साहब मेरे पुराने मित्र हैं। वे भी सुनें कवि कह रहा है :

खद्दर की खादर में घुस कर स्यारन सेर बनाना सीखो,
तिकड़म की घोड़ी पे चढ़ कर झूठी तान उड़ाना सीखो।

पैदल यात्रा कर ग्रामों में नये नये स्वांग बनाना सीखो,
गांधी की दे धर्म दुहाई कर्तब खूब निभाना सीखो ।
राजनीति का ध्येय यही है छिप कर तीर चलाना सीखो ।

**श्री उपाध्यक्ष**—आप अकेले चौधरी साहब से कह रहे हैं और लोगों को रश्क होने लगेगा।

**राजस्व मंत्री (श्री चरण सिंह)**—मुझसे नहीं कह रहे हैं, वित्त मंत्री जी से कह रहे हैं।

**श्री टीका राम पुजारी**—मैं आशिक हूं । माशूक देने वाला होता है । यह सरकार मेरी माशूक है । बड़ी गहरी चीज है ।

आशिक को खुदा अर्दजानी, पर्दजमीं कर दे ।

आशिक का कहना यही है कि माशूक का कहा कर दे । गरीब मर रहा है, किसान लुट रहा है, टैक्स बढ़ रहे हैं, गर्की में तड़प रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन बिन बोयी रह गई, हजारों मवेशी मर गये बिन मकान, आशा है सरकार ने लगान मुल्तवी कर दिया है उसे माफ कर देगी।

गल्ले के बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं । सब लोग महंगाई चिल्ला रहे हैं पर होली बाद नाज मद्दा हो जायगा और जून में तेज हो जायगा, यह मेरी भविष्यवाणी है और किसान का ही कत्ल होगा । इधर से मारा तो मरा और उधर से मारा तो मर जायगा । अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेगी तो किसान, मजदूर जिन्दा नहीं रह सकते।

एक सुझाव और है । कहा जा रहा है कि जमीन का बटवारा दुबारा होना चाहिये, कैसे होना चाहिये ? उसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिये । ऐसा न हो कि यहां हो रही है चकबन्दी और दिल्ली में बात हो रही है सहकारी खेती की । मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है । यह तो प्रबल त्रिदोष में हुआ करता है कि घर के अदमियों को भी मरीज नहीं पहचानता । अगर यही हालत रही तो मैं बापू जी के समाजवाद की याद दिलाऊंगा । मैं उस समाजवाद का समर्थन करता हूं । बापू जी कहा करते थे कि किसान का बेटा प्रधान मंत्री होगा और मजदूर का बेटा राष्ट्रपति होगा और नेहरू उसका क्लर्क बन कर काम करेगा तब देश का स्तर उठेगा । उसका मैं समर्थक हूं ।

सूरत शिवा की सी, वीरता प्रताप की सी, धीरता धर्मराज की सी, खूब ही संभारी है ।
छूत प्रीति राम की सी, दृढ़ता प्रहलाद की सी, मोरध्वज राजा की सी तृष्णा तृणवारी है ।
कृष्ण सा योगी, त्यागी हरिश्चन्द्र का सा, भीष्मपितामह की सी प्रतिज्ञा उरधारी है ।

मैं उसको मानता हूं गांधी जी के समाजवाद को । वर्ग विहीन समाज देश में नहीं बन सकता जब तक कि जो नाम के आगे की कड़ी और पीछे की कड़ी होती है टीकाराम पुजारी, चौधरी चरण सिंह, ठाकुर हुकुम सिंह फलां पाठक, फलां जैन, त्रिपाठी जी उसे नहीं निकाला जायगा । श्रीमन्, देश के अन्दर सम्प्रदायवाद फैला हुआ है जो इस तरह की कड़ी त्रिपाठी, पुजारी, चौधरी, भटनागर नाम के आगे और पीछे लगाये हुये हैं । जब तक यह नहीं हटेगी तब तक देश में वर्ग विहीन समाज न आज बन सकता है न कल बन सकता है । बस श्रीमन्, अब मैं क्षमा चाहता हूं ।

**श्री महमूद अली खां (जिला रामपुर)**—डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं बजट की ताईद में खड़ा हुआ हूं और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को मुबारकवाद देता हूं कि बहुत अच्छा बजट तैयार किया है । कम तनख्वाह वालों की तनख्वाह में इजाफा और दूसरी सहूलियतें जो कि बजट में हैं वह भी काबिले मुबारकवाद हैं । और टीचरों के तनख्वाहों में इजाफा एवं पढ़े-लिखों को रोजगार देना भी काबिले मुबारकवाद है । एन० ई० एस० ब्लाक खोलना और नये नये कारखाने कायम करना यह भी काबिले मुबारकवाद हैं । लेकिन मुझे रामपुर की हालत बार-बार दोहरानी पड़ती है । रामपुर में जो बेरोजगारी है वह हद से ज्यादा बढ़ गई है । यू० पी० में कानपुर के बाद रामपुर

[श्री महमूदअली खां]

का नम्बर है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां के कारखाने आज तक बन्द पड़े हुये हैं, वह चालू नहीं हुये । मैं बार बार कहता हूं कि वहां की बेरोजगारी इस तरह से दूर कीजिये कि वहां के कारखानों को चालू कर दिया जाय । सिवाय दो कारखानों के और तमाम कारखाने बन्द हैं । दूसरी जगह नये नये कारखाने बन रहे हैं यह तो मुबारकवाद की बात है । मगर रामपुर के कारखानों की ओर तवज्जह नहीं दी गई । जब मिनिस्टर साहब जाते हैं तो वायदा करते हैं कि अब की जरूर कारखाने खुल जायेंगे, लेकिन ८, ९ साल के अन्दर एक भी नहीं चालू हुआ और इसका मुझे दुःख है । मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस ओर तवज्जह देगी ।

रामपुर की बेरोजगारी एक तरह से और दूर हो सकती है कि वहां के पेन्शनवालों के पेन्शन के कागज ८, ८ साल से पड़े हुये हैं, उन कागजों के मिलने में जल्दी हो जाय तो वहां की बेरोजगारी दूर होगी । रामपुर किसी तरह यू० पी० से पीछे नहीं था । हम से यह कहा जाता था कि समुन्दर में जब कतरा जायगा तो वह ऊंचा जायगा । लेकिन बड़ा अफसोस है कि वह कतरा भी खत्म होता नजर आता है जब कि रामपुर में हर किस्म की मिनिस्टरी थी और हाईकोर्ट भी था वहां पर जो सहूलियतें थीं वह नहीं हैं हालांकि रियासत के जमाने में तो मैं रियासत के खिलाफ काम करता था और जेल जाता था, लेकिन आज मैं किस से कहूं कि वहां की क्या हालात हैं, आज वहां पर अच्छे अच्छे घराने के लोग बेरोजगारी की वजह से रिक्शा चला रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस तरफ जरूर मुखातिब होगी ।

वहां के शफाखाने भी स्टेट के वक्त के से नहीं रह गये हैं । वहां पर एक कम्पाउन्डर जो सिर्फ ६ माह की ट्रेनिंग के बाद जाता है उस से कहा जाता है कि तुम एक्सरे की मेशीन को सम्हालो, जो ४०–५० हजार की लागत की होती है, उसे वह कैसे ठीक कर सकता है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ जरूर तवज्जह करे ।

इस के अलावा रामपुर में आज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं कायम हो सका । अब एक नया तरीका बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तोड़कर अन्तरिम जिला परिषद् कायम की गई, लिहाजा वहां भी वह बनाई गई है, लेकिन मुझे यह कहने में निहायत अफसोस है कि उसे वह अधिकार नहीं दिये गये जो सूबे के दूसरे अन्तरिम जिला परिषद् को दिये गये हैं । बार-बार लिखने के बावजूद भी कोई खास तवज्जह नहीं दी गई । मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर जरूर तवज्जह करेगी ।

रामपुर की मुस्ताजरी खत्म की गई, वह अच्छा किया गया खत्म होनी चाहिये थी, लेकिन साथ ही सोचना यह भी चाहिये था कि जिन लोगों की मुस्ताजरी खत्म हुई वह खायेंगे क्या, उन की गुजर कैसे होगी ? क्या वह करेंगे ? मतलब यह कि हर तरह से रामपुर में बेकारी फैल रही है । सरकार का यह फर्ज है कि उन लोगों के रोजगार का इंतजाम करे । मुझे उम्मीद है कि इस तरफ भी तवज्जह जरूर की जायगी ।

रामपुर जिले में मेरा हल्का स्वार टाडा बिलासपुर की तरफ का है और मैं वहीं के काश्तकारों के वोट से चुन कर आया हूं । मुझे वहां के काश्तकारों की परेशानियों का पूरा इल्म है । मैं गवर्नमेंट के सामने वहां के काश्तकारों की दिक्कतों को पहले भी रख चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं कि रियासत के वक्त में वहां के काश्तकारों के गन्ने के दामों से २ आना रुपया काटा गया था, लेकिन आजतक बार-बार पूछने पर भी पता नहीं लगता कि उस रकम का क्या हुआ, बताया जाता है कि वह कहीं पर खर्च कर दी गई, लेकिन उस के बारे में जानने के लिये वहां के काश्तकार बहुत परेशान हैं ।

जिला रामपुर से मुरादाबाद, नैनीताल, बदायूं और बरेली के जिले मिलते हैं । इन सब अजला में काश्तकार अपने खेतों के पेड़ काट सकते हैं, लेकिन जिला रामपुर में कोई किसान अपनी जमीन के पेड़ नहीं काट सकता । इस तकलीफ को बार-बार बयान किया गया, लेकिन तवज्जह अभी तक गवर्नमेंट की नहीं गई है । मुझे उम्मीद है कि वहां के काश्तकारों को भी यह सहूलियत दी जायगी जो दूसरे अजला के काश्तकारों को मिली हुई है ।

इस के अलावा रामपुर में और जिलों के मुकाबले में आबपाशी के रेट्स ज्यादा हैं और साथ ही यह भी दिक्कत है कि खेतों तक अकसर पानी भी नहीं पहुंच पाता, कहीं-कहीं पर नहर नीची है और खेत ऊंचे हैं। अगर इस तरह की कोशिश की जाय तो बहुत कुछ दिक्कतें दूर हो सकती हैं और काश्तकारों को सहूलियत मिल सकती है।

हमारे यहां रियासत के वक्त का एक अजीमनगर का पुल बना हुआ था और उस की वजह से काश्तकारों को बहुत सहूलियत थी और पुल चढ़कर शहर तक आसानी से लोग आ सकते थे, लेकिन इधर उस पुल के टूट जाने से बहुत तकलीफ हो गई है और जो रास्ता ६ मील का पड़ता था वह अब बहुत फेर खाकर चलना पड़ता है और ज्यादा पड़ता है। मुझे इस सिलसिले में शिकायत उन इंजीनियर्स से है कि जिन्होंने पहले से तवज्जह नहीं की और लाखों का पुल बहने दिया। काश्तकारों को अब बड़ा लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है और लम्बा सफर उन्हें शहर तक आने के लिये करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट उन की दिक्कत का खयाल कर के जल्द इस तरफ तवज्जह करेगी। तहसीलें टूटने की बात मैं सुन रहा हूं। दो तहसीलें कम की जा रही हैं। कम करने का मतलब यह है कि एक तहसील दूसरी में मिलाई जा रही है। इससे काश्तकारों को बड़ी कठिनाई पड़ जायगी और एक दिन का काम ४ दिन में हो सकेगा। और गवर्नमेंट को ८–१० हजार रुपये का फायदा होता है तो काश्तकारों को लाखों का नुकसान होगा, जब कि लम्बा सफर करके एक तहसील से दूसरी तहसील में पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि जो काश्तकारों को सहूलियत दी हुई थी वह कतई खत्म नहीं की जायगी।

तबादले के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि तबादले कर दिये जाते हैं और जब कहा जाता है कि यह गलत है, तबादला कीजिये मगर ऐसा तो न कीजिये कि जूते गांठने वाले से कहा जाय कि बिजली का काम करो, तो कोई सुनवाई नहीं होती। इसकी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं, अगर गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी तो मैं नाम तक बता दूंगा। एक मौके पर कहा गया कि तबादला गलत किया गया है तो एक बड़े अफसर ने कहा कि तनख्वाह तो मिलेगी, तबादला कर दिया तो क्या ? भला यह कैसे चल सकता है ? इस हाउस के ६० एम० एल० एज० ने दरतखत किये कि फलां का तबादला न किया जाय और यहां के एक जिम्मेदार आदमी ने जाकर उस दरख्वास्त को मिनिस्टर साहब को दिया कि उसका तबादला न किया जाय। मगर उसका तबादला तो क्या उसको बरखास्त कर दिया गया। निहायत शर्म की बात है। मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं उनको, मेम्बरों को बुला कर कहा गया कि इनमें यह फलां खराबी है ? हो सकता है कि वह दस्तखत सही न हों, हम लोग नहीं जानते हों, मगर हमें तो समझाया जा सकता था कि इसलिये तबादला किया जाता है, इसलिये उनको बरखास्त किया जाता है, इनमें यह ऐब है। मगर ६० एम० एल० एज० के दस्तखतों की भी परवाह नहीं की गई, मुझे इसका खेद है। इस किस्म की अगर बातें चलती रहेंगी तो क्या तमाशा होगा ?

इससे आगे चलकर, एक मसल् मशहूर है कि "नयी नाइन बांस का निहन्ना।" जनरल अय्यूब खां जबसे आये उन्होंने नयी-नयी बातें और नया नया तमाशा शुरू कर दिया।

**श्री उपाध्यक्ष**—मुझे माननीय सदस्य से कहना है कि सदन के माननीय सदस्यों को किसी दूसरे देश के सम्बन्ध में यहां ऐसी बातें कहने का अख्तियार नहीं है। कृपया अपने शब्द आप वापस लें।

**श्री महमूद अली खां**—मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं मगर अपनी आवाज आपके जरिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा देना चाहता हूं कि काश्मीर और हिन्दुस्तान के मुताल्लिक जिस किस्म की बातें कही जा रही हैं अगर कोई बात हुई तो यहां भी इन्सान बसते हैं, यहां भी लोग ताकत रखते हैं और हर किस्म के हथियार हैं। वह ऐसी बातें करके धमकी न दें। काश्मीर हिन्दुस्तान का है और हिन्दुस्तान का रहेगा। मैं अपनी ओर से और पूरी जिम्मेदारी के साथ रामपुर की जिम्मेदारी दिलाता हूं कि किसी वक्त भी रामपुर काश्मीर के मामले में पीछे नहीं रहेगा और हिन्दुस्तान का साथ देगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप का वक्त खत्म हो गया।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये इस बजट पर माननीय वित्त मंत्री और सरकार को बधाई देना दुखदाई है। दुखदाई इसलिये कि यहां से कुछ ले जाकर जनता के लिये कुछ हर्ष की बात नहीं समझता हूं। मैं विरोधी दल की तराजू से इस बजट को तोलना मुनासिब नहीं समझता और मैं चाहता हूं कि मैं सरकार की तरफ से जो तराजू रखी गयी है उससे ही तोलूं और फिर हम देखें कि वह अपनी तराजू में सही उतरें हैं या नहीं।

संविधान की जो स्कीम है उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक जनतंत्रीय सरकार, कल्याणकारी सरकार और प्रगतिशील सरकार, इन तीनों फार्मूलों से बनी सरकार की झलक मिलती है। मैं इन्हीं ३ उसूलों पर बजट को तोलूंगा कि आया वह उसूल इस बजट में निहित हैं या नहीं। संविधान में जो बातें कहीं गयी हैं वह इस बात का स्वयं सिद्ध प्रमाण हैं कि जिस समय यह संविधान बनाया गया था उस समय राष्ट्र के नायकों के सामने बहुत राष्ट्रीय महत्व की, नेशनल इम्पार्टेंस की समस्याएं रही होंगी। देश को ऊपर उठाने के लिये, समाज को आगे बढ़ाने के लिये। और यदि उन राष्ट्रीय समस्याओं का इस बजट में हल पाया जाता है और जो भी सरकार की नीति घोषित हुई है यदि वह उसमें निहित है तो जरूर ही यह कहा जा सकता है कि बजट अपनी जगह पर प्रगतिशील है। केवल कुछ रकम बढ़ा देने से यदि बजट प्रगतिशील कहा जा सकता है तब तो मैं बधाई देने को तैयार हूं, क्योंकि कुछ रकम अगले वर्ष में जनता के कामों में ज्यादा खर्च करने का तखमीना लाया गया है, लेकिन केवल यही एक तराजू नहीं है। यह भी देखना पड़ता है कि ज्यादा खर्च किस तरह से किया जाता है, किसी को दुखी करके तो नहीं किया जाता है या उस खर्चे से कितनों को और किस तरीके से फायदा हो सकता है।

मैं एक उसूल की बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं वह यह कि आज सरकार जनतंत्रीय है या नहीं। संविधान में सब से पहले अध्याय में जहां मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है वहां पर यह साफ कह दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के अलावा प्रान्तीय सरकारें भी जो समाज की कक्षायें, जाति या वर्ग पीछे हैं, ख्वाह उसके कारण कुछ भी हों, उनको आगे बढ़ायें। क्यों यह संविधान में रखा गया था? इसलिये कि राष्ट्र और समाज को आगे बढ़ाने के लिये यह सर्वथा अनिवार्य है। यह अधिकार साफ तौर से प्रान्तीय सरकारों को संविधान की धारा १६ (४) में दिया गया है। मैंने कई बार इस बात को जानना चाहा प्रश्नों के जरिये और लिखित पत्र भी भेज कर कि आया संविधान की इस धारा के अनुसार जो पिछड़ी हुई जातियां या हरिजन हैं उनके लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है। मुख्य मंत्री से जवाब मिलता है कि अभी तक कोई योजना नहीं बनी। कहा जाता है कि बजट में खर्च करने के लिये कुछ रुपया रखा जाता है। यह तो एक आमतौर की बात है, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनायी गयी है। यह मैं अपनी बात नहीं कहता, मुख्य मंत्री से जो जबाब मिला है वही बात कह रहा हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजना का दौरा जारी है और उसमें भी कुछ प्रस्ताव मांगे गये हैं, लेकिन मैं आज तक इसकी कोई भी झलक नहीं देखता हूं। जब यह पिछड़ा हुआ समाज ज्यों का त्यों रहता है, उसको आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, कोई ठोस कदम नहीं है तो फिर यह सरकार एक वेलफेयर स्टेट कही जाय मैं इसमें संदेह देखता हूं और अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर करता हूं कि इस माने में यह सरकार बिलकुल फेल हुई है और यह बजट भी उस कल्याणकारी योजना को लागू नहीं करता है।

इसके साथ साथ जहां तक जनतंत्रीय सरकार की बात है, यह आदरणीय सदन भूलेगा नहीं कि इस उत्तर प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता में लाखों की तादाद गन्ना उत्पादकों की होगी और उन्होंने इस आदरणीय सदन में अपने प्रतिनिधि, अर्थात हम लोगों के द्वारा इस बात को एक स्वर से तय पाया कि उनके गन्ने की कीमत बढ़ा दी जाय, लेकिन उस फैसले

को भी सरकार ने लागू नहीं किया और इसलिये लागू नहीं किया कि केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये तैयार नहीं है। तो यह जनतंत्रीय सरकार नहीं है। जनतंत्रीय सरकार जनता की बात मानने के लिये होती है। आया इस सरकार ने जनता की बात मानी है या नहीं यह एक प्रश्न है जो फैसला करेगा कि आया इस बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री को बधाई दी जाय या नहीं। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार की टैक्सेशन पालिसी की तरफ सदन का ध्यान दिलाता हूं और वह यह है कि मैंने माननीय माल मंत्री जी की लिखी हुई किताब पढ़ी है और जो उसकी आलोचना थी उसका भी उन्होंने समाधान किया है। चूंकि वक्त कम है इसलिये तफसील में न जाकर केवल दो बातों पर सदन का ध्यान दिलाऊंगा। मैं उनकी विद्वता को चुनौती न देते हुए उनसे यह प्रश्न करता हूं कि जिस समय उन्होंने अपनी किताब में आलोचकों को यह जबाब दिया था कि लगान की शरह उस समय की है जब कि गल्ला बहुत ही सस्ता था और यह करीब १९०२ की है। यदि हम आज इसको रिवाइज करें तो लगान बढ़ जायगा जो किसानों के हित में नहीं होगा। यह बात मैं मानता हूं कि यह सही है कि लगान की शरह बहुत पुरानी है। लेकिन क्या उन्होंने समाधान किया है कि उस समय जो लगान की शरह थी उस समय यह फारमूला था या नहीं। उस समय जमींदारी थी, ठेकेदारी थी और अललटप्प से शरह नियत की गई थी।

मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लगान जो लगता है वह खेती के उत्पादन पर होता है। यदि उत्पादन कम होता है तो वह उसी अनुपात से घटता बढ़ता है। इसमें कोई आम तरीके से शरह नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि किसान तो किरायेदार होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो जमीन नम्बर १ की है भूमिधर उसका लगान ४ रुपये देता है, सीरदार उसी का ८ रुपये देता है और अधिवासी उतने ही रकबे का, उसी किस्म की जमीन का और उसी उत्पादन का ४० रुपये देता है। क्या यह शरह आम तरीके की है? क्या यह उत्पादन पर मुनहसिर है? क्या जमीन की किस्म पर मुनहसिर है? क्या जो हकूक दिये गये हैं उन पर मुनहसिर है? इस बात को माल मंत्री जी ने अपनी किताब में समाधान नहीं किया है और मैं कहना चाहता हूं कि आगे भी वह समाधान करें तो इस पर सोचा जा सकता है।

दूसरी बात मैंने एक पत्र में लिखी थी कि जहां वह नैचुरल क्लैमिटी की बात करते हैं वहां क्या वाटर लौगिंग उसमें आता है? आपका जबाब मिलता है कि नहीं आता है क्योंकि नियम में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको तो यह लिखा गया था कि आप उसूलन तय करें कि आपकी क्या राय है। नियम तो जनता के हुआ करते हैं। मेरी मंशा यह थी। मालूम नहीं उनको मेरा पत्र मिला या नहीं। मैंने कई पत्रों में लिखा कि वाटर लौगिंग से जो नुकसान होता है वह किसानों के हाथ की बात नहीं है। इसको कृत्रिम नहीं कहा जा सकता है। यह तो नैचुरल क्लैमिटी में आता है। यह सवाल लखनऊ का नहीं है, मोहन लालगंज का नहीं है बल्कि सारे यू० पी० का है और नुकसान हुआ है और बहुत से लोगों ने अपनी भावना प्रकट की है कि जो बाढ़ आई है और जो नुकसान हुआ है उसका कारण वाटर लौगिंग ही है तो इसको नैचुरल क्लैमिटी क्यों न माना जाय? मैं केवल अपनी राय जाहिर करता हूं और मैं सुनूंगा कि किस तरह से वह समाधान करते हैं।

इसी प्रकार से, माननीय कृषि मंत्री जी का जो इस समय सदन में नहीं हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहता था। उन्होंने जो इस बात का नारा लगाया . . . .।

**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)---व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वित्त मंत्री का यहां पर रहना जरूरी है?

**श्री उपाध्यक्ष**---इसका जबाब सदन को मिल चुका है।

**श्री रामशरण यादव**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सहकारिता मंत्री का यह नारा है कि वह सरकार की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कोआपरेटिव के जरिये से चलाना चाहते हैं। यहां तक कि नागपुर में कृषि को भी सहकारी तौर पर चलाने की बात कही गयी है। लेकिन क्या उनके पास इस प्रकार की शिकायतें नहीं आयीं मेरे जरिये से और दूसरे आदरणीय सदस्यों के जरिये से कि जो कोआपरेटिव सुपरवाइजर हैं उन्होंने खरीफ की खाद ले ली, झूठे दस्तखत करवा कर कागज की खाना पूरी कर दी और किसानों को नहीं दी ? क्या उनके पास इस तरह की शिकायतें नहीं आयी हैं ? और उनका क्या निर्णय हुआ, इसका आज तक पता नहीं। अगर यही हाल रहा तो संकोच से जरूर कहूंगा, लेकिन यह सही है कि जो सहकारिता की व्यवस्था की जायगी वह तानाशाही में परिणत हो जायगी, अगर और कारणों से नहीं तो ऐडमिनिस्ट्रेशन की मनोवृत्ति के कारण।

साथ ही साथ मैं माननीय माल मंत्री महोदय का फिर कृतज्ञ हूंगा यदि वह मेरी शंका फिर समाधान करें। क्या किसानों को सलाह देकर अपने लेक्चरों में, या रबी और खरीफ आन्दोलनों के जरिये से या ए० डी० ओज० के जरिये प्रधान और उपप्रधानों की कानफ्रेंस में भाषण दे कर उत्पादन बढ़ाया जायगा ?

क्या माननीय माल मंत्री महोदय यह नहीं जानते हैं कि किसान कितना गरीब है ? क्या किसान यह नहीं जानता है कि भूमि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, अगर उसमें अधिक उत्पादन हो तो वह उस के लिये, उसके बच्चों के लिये, और उसकी खुशहाली के लिये होगा। क्या उसकी नीयत में कमी है ? फिर क्या बात है जो उत्पादन नहीं बढ़ता ? वास्तव में इसके कारण दूसरे हैं। उसकी मनोवृत्ति, उसकी नीयत, उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत में कमी नहीं। कमी दूसरी जगह है। और वह है उसकी गरीबी। छोटी जोतों के अतिरिक्त वह गरीब है। जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो जहां उन्होंने इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात कही, उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रेरणा दी तो उन्होंने उसके लिये साथ ही साधन भी जुटाये। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं कि जहां वह उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा दे, वहां उसके लिये वह साधन भी जुटाये ?

**श्री उपाध्यक्ष**---आप का समय समाप्त हो गया।

**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत आय-व्ययक के विषय में अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस आय-व्ययक की बहुत सी विशेषताएं बतायी गयी हैं। मैं कुछ बातों की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत से सरकारी कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि की बात कही गयी और इस संबंध में यह भी इस भाषण में है कि अध्यापकों का भी वेतन बढ़ाया जायगा लेकिन मान्यवर, इस भाषण के पढ़ने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि अध्यापकों की वेतन-वृद्धि में भेद नीति बरती गयी है। मैं इस भाषण के पृष्ठ २० के पैरा ३५ से थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं।

"इसलिये सरकार ने जूनियर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पाये हुए अध्यापकों से लेकर डिग्री कालेजों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के सभी ग्रेडों के वेतन-क्रमों को संशोधित करने और उनके लिये पर्याप्त रूप से उच्चतर वेतन-क्रम निर्धारित करने का निश्चय किया है।" इसके पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापन कार्य करने वाले हमारे प्रदेश के सरकारी आकड़ों के अनुसार ५५ हजार ३ सौ ३५ अध्यापकों की वेतन वृद्धि पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया है और इसके साथ ही इसमें यह लिखा गया है कि जूनियर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पास अध्यापकों के वेतन में वृद्धि होगी। मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक,

वी० टी० सी० और एच० टी० सी० दोनों होते हैं। जो काम जे० टी० सी० करते हैं वही काम एच० टी० सी० भी करते हैं इसलिये उनकी वेतन-वृद्धि पर ध्यान दिया जाय। लेकिन माननीय मंत्री के भाषण में इसका तनिक भी जिक्र नहीं है।

दूसरी चीज, हमारे प्रदेश के ११ जिलों में और तीन धार्मिक स्थानों में मद्य-निषेध योजना लागू है। हमारा जौनपुर जिला भी उनमें से एक है। इस संबंध में यह बतला देना चाहता हूं कि यह मद्य-निषेध योजना बिलकुल असफल हुई है। आज हमारे जिले के प्रायः हर गांव में गांजे की दूकानें सब जगह खुली हुई हैं और आसानी के साथ जितना भी पीने वाले चाहें पा सकते हैं। जगह ब जगह शराब की दूकानें खुली हुई हैं और चल रही हैं। इन दूकानदारों से पुलिस के सिपाही जो हैं उनका गठबन्धन है और कहा जाता है कि वे हमेशा कुछ न कुछ मासिक लेकर इस तरह के अवैध कार्यों को चलाने में प्रोत्साहन देते हैं। मान्यवर, मैं भी मद्य-निषेध योजना के पक्ष में हूं लेकिन अगर सरकार चाहती है कि मद्य-निषेध योजना सफल हो तो वह ऐसी हिम्मत करे कि या तो सारे प्रदेश में मद्य-निषेध योजना लागू करे साथ ही वह केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध करे कि सारे देश में यह योजना लागू हो। और अगर वह ऐसा नहीं कर सकती है तो सरकार से यह कहूंगा कि यह योजना जो कुछ जिलों में ही लागू है उसे हटा लेना चाहिये। इस बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं कि इससे एक तो सरकार को आय की हानि होती है और दूसरे जो इसके पीने वाले हैं वे भी दूने दाम देकर इसका प्रयोग बराबर किया करते हैं। अगर सरकार चाहती है कि यह योजना सफल हो तो सारे प्रदेश में और सारे देश में इस योजना को लागू करें।

तीसरी चीज, हमारे प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की काफी बड़ी तादाद है लेकिन इस बजट में उनका तनिक भी जिक्र नहीं है। यद्यपि हमारे नगरों में भी मजदूरों की हालत कोई विशेष अच्छी नहीं है लेकिन उनके मुकाबले में हमारे प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की हालत बहुत खराब है। मान्यवर, मैं पश्चिमी जिलों की तो बात नहीं कह सकता लेकिन हमारे पूर्वी जिलों में गरीब मजदूरों की दिन भर की मजदूरी पांच पाव होती है और उस मजदूरी में भी बहुत ही निकृष्ट दाना दिया जाता है। मान्यवर, एक ऐसी चीज भी मैं कहना चाहता हूं कि जिसे सुनकर माननीय सदस्यों को बहुत दुख होगा। ऐसे जो मजदूर होते हैं उनको गोबर में से निकाला हुआ अन्न दिया जाता है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहिये।

चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के लगभग पंचमांश हरिजनों और काफी पिछड़ी जातियों की आबादी है जब तक इसकी तरफ ध्यान नहीं होता है तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मान्यवर, नौकरियों के लिये बराबर सदन में प्रश्न उठाया जाता है तब सरकार की तरफ से कहा जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, यहां तक कि चपरासियों के विषय में भी कह दिया जाया करता है कि वे नहीं मिले। मैं कहना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अभी तक इतना भी प्रयत्न नहीं किया कि चपरासियों की भी योग्यता हरिजनों को प्राप्त हो जाय। हर बात के लिये एक बहाना-सा किया जाता है। हमारे राजस्व मंत्री जी ने एक जी० ओ० नम्बर १६७३ भिजवाया है जिसमें कहा गया है कि हरिजनों का ध्यान रखा जाय और चपरासियों में विशेषरूप से हरिजन जब तक मिले जरूर रखा जाय। मैं माननीय मंत्री जी को विशेषरूप से इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि बहुत से जो हमारे जिलों के कर्मचारी होते हैं इसका पालन बिलकुल ही नहीं करते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक तहसीलदार से बात की तो उसने बताया कि इस संबंध में कोई आदेश उसके पास नहीं आया है। सरकार नौकरियों में और विशेषरूप से चपरासियों में हरिजनों को रखे। इसमें लिखा गया है कि कई साल तक जो स्थान होंगे व संरक्षण के अनुसार हरिजनों को देने के लिये रखे जायंगे। यह बड़े अफसोस की बात है। गड़बड़ इसलिये होती है कि उनकी जो पत्नियां होती हैं वह यह चाहती हैं कि अगर हरिजन

[श्री माताप्रसाद]

चपरासी रखा गया तो उसका छुआ हुआ पानी नहीं पियेंगी और खाना नहीं खा सकेंगी। इसलिये जिले के कर्मचारी ऐसा करते हैं कि जहां तक चाहते हैं हरिजन या अछूत जाति के चपरासियों को नहीं रखते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इस तरफ ध्यान दे और इसके लिये सख्त कदम उठाये।

इसके अतिरिक्त यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर इन पंचायतों के पहले लोग बड़े प्रेम से रहते थे लेकिन ये पंचायतें अब वैमनस्य का बहुत बड़ा कारण हो गई हैं। इसका कारण यह पंचायतों की चुनाव प्रणाली है। पंचायतों के लिये जो हाथ उठाकर चुनाव का तरीका रखा गया है उससे वहां पर बहुत गड़बड़ पैदा हो गई है। अगर सरकार चाहती है कि गांव के लोग प्रेम से रहें तो इस हाथ उठाकर चुनाव की प्रणाली को शीघ्र ही वह समाप्त करे या कोई अन्य उपाय करे जिससे हाथ उठाकर वोट न देना पड़े।

मान्यवर, बहुत-सा रुपया मार्च के महीने में नियम विरुद्ध निकाला जाता है। इसके पहले जब वित्त मंत्री माननीय चरणसिंह थे तो अखबारों में निकला था कि ऐसे आदेश दिये जा रहे हैं कि मार्च के महीने में खासकर अन्तिम सप्ताह में जो यह धन निकाला जाता है उसका दुरुपयोग होता है। मैं कह नहीं सकता कि उसका इस समय पालन हो रहा है या नहीं। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५८ है। इसमें से अनियमितताओं के संबंध में मैं थोड़ी सी पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं "कई कार्यालयों में वित्तीय वर्ष के लगभग अन्त होने पर रुपया निकाला गया ताकि अनुदानों की धनराशि व्यपगत न होने पाये और उस रुपये को प्रेषित धनराशियों की हुंडियों (ड्राफ्ट्स) के रूप में बदल दिया गया जिन्हें वास्तव में संबंधित ग्रहीताओं को आगामी वर्ष में दिया गया। ये धनराशियां संबंधित रोकड़ बहियों में मार्च में भुगतान की हुई धनराशियों के रूप में दिखाई गई थीं। वर्ष के अन्त में इस प्रकार रुपया निकालना और उसे हुंडी (ड्राफ्ट्स) के रूप में काफी अर्से तक रखे रहना गंभीर अनियमितता है। ऐसा करने से न केवल उस वर्ष के लेखे अशुद्ध हो जाते हैं बल्कि ऐसी हुंडियों के लेखों में दर्ज न होने के कारण गबन हो जाने या दुरुपयोग किये जाने से हानि होने का अन्देशा बना रहा है।" इसलिये सरकार इस तरह की गड़बड़ को दूर करने का प्रयत्न करे।

मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में विशेष कर नगरों का ध्यान रखा गया है और गांवों की बिलकुल उपेक्षा की गई है। ज्यादातर रुपया देहात से आता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह देहात की उन्नति पर विशेष खर्च करे।

*श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने बड़े गौर से पालीवाल जी की स्पीच को सुना। वह इस प्रदेश के बड़े कर्मठ व्यक्तियों में रहे हैं। पूज्य महात्मा गान्धी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है और इस प्रदेश का भी नेतृत्व उन्होंने बहुत समय तक किया है। इस प्रदेश की सरकार में भी वह वित्त मंत्री रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने उनके मुंह से यह सुना कि वह यह कहते हैं कि जब यहां पर अंग्रेजी राज्य था तो तब यह राज्य अच्छा था मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसी उत्साह हीनता की बात कम से कम मैं उनके मुंह से सुनना नहीं चाहता था वह इसलिये कि चाहे जैसा ही राज्य हो, आखिर में जिनके नेतृत्व में हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उन्होंने भी यह बात कही थी कि यदि हमको अराजकता में भी रहना पड़े तो अच्छा होगा इस गुलामी के मुकाबिले में। तो जिनके नेतृत्व में आपने इस प्रान्त का नेतृत्व किया और चले, उनके मुख से इस उत्साहहीनता की बात को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। यदि कोई और यह बात कहता तो बात दूसरी थी।

यह सही है कि इस बजट में कुछ बहुत अच्छा नहीं है लेकिन कुछ बहुत खराब भी नहीं है और इन सारी बातों को यदि हम अच्छी तरह से बजट में देखें तो किन्हीं-किन्हीं विषयों पर हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने वित्त मंत्री महोदय को बधाई देने की स्थिति में भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं कि जिन पर उनको हम बधाई नहीं दे सकते। बधाई देने का सबसे पहला विषय है कि उन्होंने कम से कम इस महंगाई के जमाने में भी कोई टैक्स नहीं लगाया। इस बात पर बधाई देने को जी चाहता है। यही नहीं बिजली की दर में छूट देकर और २५,००० रुपये गल्ले की बिक्री पर टैक्स माफ करके उन्होंने जो कदम उठाया है उसके लिये हम इतमिनान के साथ उनको बधाई दे सकते हैं। लेकिन, श्रीमन्, एक बात से मुझे ताज्जुब हुआ और वह यह कि उन्होंने १०० रुपये पाने वालों की तनख्वाहों में ढाई रुपया बढ़ाया और २०० तक वालों की तनख्वाहों में ५ रुपया। नीयत सही है और प्रयास अच्छा है कि गरीबों की मदद हो लेकिन सोशलिस्ट पैटर्न के विरुद्ध कुछ यह बात जंचती नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना मुनासिब नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिये था।

श्रीमन्, खाद्यान्न के विषय में आप के द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खाद्य नीति को मैं सफल मानने के लिये तैयार नहीं हूं। खाद्य नीति ने देश की जनता को आज इस स्थिति में रख दिया है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से सोचने लगा है कि यदि इसी तरह गरानी चली तो जिन्दगी किस तरह बसर होगी। कभी-कभी हम यह भी सोचते हैं कि यह हमारे देश की जनता है कि जिसने गांधी जी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा की शिक्षा पायी है अन्यथा इतनी गरानी पर उसे विद्रोह कर देना चाहिये था। यह गरानी तो सीमा को पार कर गयी है। एक जमाने में हम सुना करते थे कि २० छटांक का घी मिलता था, आज २० छटांक का गेहूं मिल रहा है। मैं विरोधी पार्टी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिस वक्त आपने सत्याग्रह किया, सजायें भोगीं उस समय गेहूं १ सेर १२ छटांक का बिक रहा था, दो सेर का बिक रहा था, लेकिन उसके बाद जब आप बाहर तशरीफ लाये तो धान और चावल बाजार में आ जाने पर भी गेहूं एक सेर ४ छटांक का बिकता रहा और आप बैठे रहे। ऐसे वक्त में उन्होंने एक लफ्ज भी कहना मुनासिब नहीं समझा।

मैं खाद्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि एक पुरानी लकीर को पीटते रहने से ही काम नहीं चलेगा। यह कहने से कि खाद्यान्न छिपा लिये गये हैं इसलिये भाव नहीं गिर रहे हैं अब काम नहीं चलने का। या तो आप अपनी असफलता को कबूल कीजिये कि छिपाने वालों के विरुद्ध आपकी मशीनरी चुप है या यह कहिये कि खाद्यान्न की कमी है। एक स्वर में वे दोनों बातें ठीक नहीं बैठतीं। अभी-अभी कानपुर में ३, ४ रुपये मन की मन्दी आयी है। क्या कारण है कि अखबारों में हमने देखा कि माल आने लगा। वह कहां छिपा हुआ था? जहां छिपा था उसको निकालने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? तो ठंढ़े दिल और दिमाग से इस पर विचार करना चाहिये कि आखिर कोई बुनियादी गलती तो नहीं है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्यान्न के उत्पादन में बुनियादी तब्दीली लाने की आवश्यकता है। जहां हम कम्पटीशन कर के खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देते हैं, नकद इनाम देते हैं, अच्छे किस्म की खाद देते है, पानी का भी इंतजाम किया गया है, बावजूद इसके भी खाद्यान्न बढ़ता नहीं, तो हमें बहुत मजबूती के साथ इस मामले को समझ कर नया कदम उठाना चाहिये। और हमें एलान करना चाहिये कि जो भी जिसके पास जमीन है उसमें यदि इतना पानी बरसा, ठीक हवा चली, खाद मिल गई, तब इतनी पैदावार होनी ही चाहिये और यदि उतनी पैदावार नहीं मिलती तो उससे जमीन निकाल कर अधिक अन्न उत्पादन करने वाले काश्तकार को देनी चाहिये। मैं पद-यात्रा के सिलसिले में देहातों में गया वहां पर किसान कहते है कि आपको इतनी फिक्र क्यों है, अगर हम कम पैदा करते हैं तो आपको चिन्ता क्यों है, यानी किसान भाइयों को शक है और वे महसूस करते है कि जो लोग हमारी जमीन में ज्यादा अन्न की पैदावार के लिये कहते हैं उसमें भी कोई राज है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर में सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिये कि जो कारखाने वाले कम माल पैदा करके अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृति रखते हैं तो क्या उनके कारखाने को आप बन्द कर देंगे, कोई कोयले की खान कम कोयला निकालना चाहती हो और सारे देश में एक ऐसा वातावरण आ जाय कोयले की

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

कमी के कारण तो क्या आप खानों के उत्पादन को घटने देंगे, इसी तरह से यदि जमीन के लोग अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें नियम बनाना चाहिये कि जो पैदावार करने में पूरी शक्ति और सहायता का इस्तेमाल नहीं करेगा उससे जमीन लेकर अच्छे काश्तकार को दे दी जायगी। अगर इस तरह का कदम आप नहीं उठाते तो मैं महसूस करता हूं कि हम धीरे-धीरे खतरे के किनारे पहुंचते चले जा रहे हैं।

मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जुर्मों के बढ़ने की बात कही जाती है। मैं जल्द ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। यदि जरा और देर लगे तो एक सेकेन्ड और चाहूंगा। जुर्म ज्यादा हो रहे हैं, इसके लिये कहा गया और कहा जाता है कि सन् १९५५, ५६ और ५७ में बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है। मैं तो परेशान हूं और यहां तक कहने को तैयार हूं कि प्रदेश में किसी की आबरू हिफाजत में नहीं है, लेकिन बहुत नम्रतापूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें भी कोई कड़ी है। जब से विरोधी दलों के सदस्यों में वृद्धि हो रही है जुर्मों की भी तादाद बढ़ रही है। इस पर हमें विचार करना चाहिये। १९५२ में इस सदन में हमारी संख्या अधिक थी तो जुर्म भी कम थे और विरोधी भाइयों की ज्यों-ज्यों संख्या बढ़ती गई, जुर्म भी बढ़ते गये। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो जुर्म भी बढ़ते जायेंगे और उसमें कोई कमी नहीं हो पायेगी। जब हम जिले के स्तर पर कमेटियों में बैठते हैं और विचार करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण पार्टी का दृष्टिकोण रहता है। किसी अच्छे दरोगा का इसलिये हम विरोध करते हैं कि वह हमारा कहना नहीं मानता और किसी बुरे दरोगा का इसलिये समर्थन करते हैं कि वह हमारा कहना मानता है। यह भी बड़ा भारी कारण है श्रीमन्, जुर्मों की बढ़ोत्तरी का।

इस ओर भी मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से हो जुर्म घटें, इस पर चाहे गोलमेज कान्फ्रेन्स करनी पड़े या सभी विचार वाले व्यक्तियों को एक जगह एकत्रित करके कोई न कोई समस्या का समाधान ढूंढ़ना चाहिये ताकि हर आदमी जिन्दगी में हिफाजत पा सके। तब उसके अच्छे विचार भी बनेंगे और शान्तिपूर्वक नियोजन का भी काम होगा और अगर प्रान्त में अशान्ति मची रहेगी तो नियोजन हो नहीं सकता. . . .

**श्री उपाध्यक्ष**--आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री बलवान सिंह**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने इन्तजार के बाद मुझे बोलने का मौका दिया।

श्रीमन्, मैंने वित्त मंत्री के भाषण को बड़ी गौर से सुना। सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बजट किसी उसूल का नहीं है, इसके अन्दर बेउसूली है। अगर मैं इसे पूंजीवाद का बजट कहूं तो उचित होगा। समाजवाद की तरफ इसका कोई अंश नहीं है। अगर इसके खर्चे पर मैं जाऊं तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि यह बनारस का बजट है। इसमें १७, १८ जगह वाराणसी का नाम आया है और शायद ही किसी शहर का इतनी बार नाम आया हो। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि बनारस पर क्यों इतनी कृपा हुई कि तमाम सूबे की साढ़े छः करोड़ की आबादी में से बनारस की ३, ४ लाख की आबादी पर इतना खर्च किया जाय।

इस बजट में छोटे-छोटे नौकरों की तनख्वाह में वृद्धि की गई है केवल ढाई रुपया, क्यों ऐसा किया गया है? अगर सरकार समाजवाद की तरफ जाना चाहती है, और अगर उसमें उसकी आस्था है और दिल से उसे मानती है तो उसे समाजवाद की रूपरेखा लेकर १ और १० का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुपात वेतनों में रखना होगा। लेकिन आप १०० से कम वाले को २।।) देते हैं और २०० तक वाले को ५ रुपया देते हैं। सन् १९४६ में जब हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी यहां थे, उन्होंने कहा था कि सन् १९३७ में कांग्रेस मिनिस्टरों को ५०० रुपये जब तनख्वाह मिलती थी तो अब महंगाई इतनी हो गई है कि १,५०० रुपये तनख्वाह होनी चाहिये। उसक बाद डिप्टी मिनिस्टर को दारुलशफा से आने के लिये, जो मुश्किल से २ फर्लांग है, १५० रुपय माहवार देना कहां का समाजवाद है ? एक तरफ मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स अपने बड़े-बड़े नौकरों के लिये हजारों रुपये भत्ता रखते हैं और दूसरी ओर सिर्फ २।।) रुपया दिया जाता है। महंगाई को देखें तो कम से कम १० रुपये का चावल और ५ रुपये की दाल एक मजदूर या चपरासी खा जायगा क्योंकि १० रुपये में सिर्फ १५ सेर गल्ला मिलेगा। इसी तरह से लकड़ी, तेल, मिर्चा सब मिलाकर ५५ रुपये महीने से कम खर्च नहीं होता है और उस पर सिर्फ २।।) दिया जाता है। ये सब चीजें अराजकता की तरफ ले जाने वाली हैं। आपका समाजवाद तो केवल ढोंग है। आपने पहले ही सफे पर कहा है कि समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये कार्य होगा। क्या होगा ? मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस बजट के लिये वह समाजवाद को बदनाम न करे। समाजवादी बजट में आना चाहिये था कि छोटे नौकरों और चपरासियों की तनख्वाह १०० रुपये से कम किसी की नहीं होगी। हिन्दुस्तान के इतिहास में अगर कोई जनता का बजट आया था तो वह सन् १९४६–४७ में लियाकत अली खां ने दिया था जिसकी शुरूआत ही यह थी कि अमीरों पर टैक्स होगा और गरीबों को छूट होगी, भले ही उन्होंने पाकिस्तान में कोई काम किया हो या न किया हो। क्या इस सरकार में हिम्मत है कि वह एक ऐसा बजट लावे कि १०० रुपये से कम और १,००० रुपये से ज्यादा किसी को नहीं देंगे ? ५०० रुपये से १,५०० रु० करने में और १०० रु० वाले को केवल २।।) देने में आपका हाथ नहीं कांपता है। या तो यह सरकार समाजवाद को जानती नहीं है या भोली-भाली जनता को यह उठते हुये सूरज से बहकाना चाहती है।

अनाज के ऊपर भी बहुत सी बातें हुईं। इस समस्या की जड़ में जाना होगा। जब किसान ३ सेर का गेहूं देता है तो कांग्रेस सरकार की ओर से कोई नहीं बोलता है और जब १।। सेर का होता है तब क्यों चिल्लाहट उठती है ? खुशी होगी मुझे कि अगर किसान उसे ३० रुपये मन बेचता है तो वह साल भर तक ही ३० रुपये मन बिके। दुख तो तब होता है जब किसान पृथ्वी की गोद स अपनी हड्डी को गलाकर अनाज पैदा करता है और ३ सेर का बेचता है और बाद में वही उसे १।। सेर का खरीदना पड़ता है। सरकार कह सकती है कि गल्ले की कीमतों का नियंत्रण यह सरकार नहीं करती है, सेंटर करता है। लेकिन यह सरकार सेंटर को सलाह तो दे सकती है और जोर दे सकती है। इस सरकार को चाहिये कि किसान के सामने यह एलान करे कि १८ रुपये मन गेहूं और १६ रुपये मन चना होगा। तब देखिये वह कितनी मेहनत से काम करता है और अपने टूटे-फूटे साधनों से वह दुगुनी पैदावार करेगा। आप गल्ले की पैदावार बढ़ाने का यत्न तो कीजिये। किसान उदासीन है। कोआपरेटिव फार्मिंग के नारे से, अच्छे बीज देने की बात से और खादों के नारे से समस्या हल नहीं हो सकती। हिन्द किसान पंचायत ने हमेशा नारा दिया कि आप गल्ले की कीमत पर नियंत्रण करो और जो भाव फसल के मौके पर हों उसे साल भर तक कायम रखो। वित्त मंत्री जरा इसे सोचें। कोआपरेटिव फार्मिंग का मैं स्वागत करता हूं। किसान हजारों वर्ष से जानता है कि बगैर सहयोग के खेती नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिये जिस वातावरण की जरूरत है वह तो यह सरकार पैदा करे।

गन्ने की बात लीजिये। यहां पर हमारे साथी जगदीश जी बैठे हुये हैं, वह गन्ने की समस्या पर बात करते हैं। मिनिस्टर साहब बड़ी उदारता और दिल दिखाते हैं और कहते हैं कि गन्ने के दाम बढ़ाने से अनाज की कीमतों पर असर पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजी राज्य में सन् १९४५, ४६, ४७ में गन्ने का भाव एक रुपये चार आने मन था और चीनी तब आठ आने सेर थी। वही मशीन और मिल अब भी हैं। गन्ने का भाव अब भी वही है यानी एक रुपये ५ आने मन है और चीनी का भाव तो देखिये कि वह क्या है। चीनी का दाम ३८ रुपये मन

[श्री बलवानसिंह]

है। यह १८ रुपये मन की लूट कहां जाती है ? क्या इस सरकार को शर्म नहीं आती और क्या यही उसकी समाजवादी व्यवस्था है ? १८ करोड़ रुपये की लूट किसान से करने के बाद उसके ऊपर यह कहना कि विदेशों से मशीनरी नहीं मिलती, इस पर किसान से क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह यह कहे कि यह समाजवादी व्यवस्था है ? मैं जानता हूं कि यह सेंटर के हाथ में है लेकिन यहां की सरकार उससे आग्रह तो कर सकती है कि इतना अन्तर क्यों है। उसे ठीक किया जाय और चीनी के दाम कम होने चाहियें लेकिन उसके अन्दर मिलमालिक आता है। आज मिल मालिक को बचाने की खातिर किसान के ऊपर आप जुल्म करते हैं। १५ सौ करोड़ रुपया आपने अन्न के लिये विदेशों को भेज दिया। एक जिले में जितनी आबादी होती है उतनी आबादी इस उत्तर प्रदेश में हर साल बढ़ जाती है। यू० पी० के अन्दर १० लाख व्यक्ति हर साल पैदा हो जाते हैं। क्या आप इस कानून के ढांचे से अपने अन्न की कमी को पूरा कर लेंगे ? इन कानूनों, सिद्धान्तों, नियमों और कांग्रेस सरकार की मनोवृत्ति से कभी अन्न की समस्या पूरी नहीं हो सकती। और मेरा दावा है कि अगर यही हालत रही तो हजारों की तादाद में लोग भूखों मर जायेंगे। जाड़े में आप गांवों में चले जाइये, किसान पयाल बिछा कर सोता है, एक वक्त रोटी खाता है, खेतिहर मजदूर को एक वक्त भी नहीं मिलती, दूसरे लोगों को काम नहीं मिलता।

कुछ दिनों पहले मैं ब्रह्मा गया था। एक जापानी साइंटिस्ट वहां आया हुआ था उसने कहा कि हिन्दुस्तान में जो झोंपड़ियां बनती हैं उनके लिये एक मशीन ऐसी ईजाद हो सकती है जो फूस को इस तरह का बना सकती है जिससे वह ४० साल तक चले। क्या सरकार ने इसके बारे में अथवा भूमि से पैदा होने वाली चीजों के लिये कोई रिसर्च करायी ? सिर्फ गन्ने की पैदावार से ही बहुत-सी चीजें जैसे पावर एल्कोहल, कागज और उसकी मली से मोम बन सकता है। गांवों में जो चीजें पैदा होती हैं उनके लिये छोटे-छोटे उद्योग चला दिये जायेंगे तो लाखों आदमियों को काम मिल जायगा। लेकिन सरकार के सामने तो इस किस्म के काम हैं नहीं उसके सामने तो यही बेहूदा बजट है।

**श्री उपाध्यक्ष**---आप इस 'बेहूदा' लफ्ज को वापस लीजिये। मेरे खयाल से इस किस्म का लफ्ज आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

**श्री बलवानसिंह**---मैं इसको वापस लेता हूं यद्यपि मैंने वह बजट के लिये इस्तेमाल किया था। अब मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। रंजन साहब वाइस-चांसलर ने एक रिपोर्ट दी कि हिन्दोस्तान की तालीम का मयार गिर रहा है, डिसिप्लिन गिर रहा है। रूस के अन्दर १२ घंटे काम एक विद्यार्थी को दिया जाता है, हिन्दोस्तान में ३ घंटे मिलता है और फिर आप डिसिप्लिन की बात कहते हैं। यहां की तालीम का ढांचा ही गलत है। अगर इसी प्रकार बेकार, निकम्मी और निर्जीव तालीम दी जाती है रही तो बेकारी के बढ़ने के सिवाय और कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिये आपको इस तालीम के ढांचे को बदलना होगा।

अब मैं दवाइयों के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल अस्पतालों में मौतें ज्यादा होती हैं। लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं। मिनिस्टरों के लिये दवाइयां रिजर्व कर दी जाती हैं और मैं इसका भुक्त भोगी हूं। रजिस्टर पर जनता के नाम ज्यादा होते हैं लेकिन किस मरीज का क्या और कैसा इलाज हुआ इसके बारे में न पूछिये, सब खोखला है।

पुलिस के बारे में गवर्नमेंट को सुझाव दिया गया था कि इस पुलिस के सारे महकमे को जिला परिषदों को दे दिया जाय। ठीक कहा था त्रिलोकी सिंह जी ने कि किसी भी सभ्य देश में पुलिस के ऊपर जनता का नियन्त्रण होता है लेकिन यहां की सरकार इस बात को नहीं मानती है। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू या राष्ट्रपति महोदय लखनऊ से गुजरें तो हिन्दुस्तान भर की सी० आई० डी० और प्रान्त भर की हजारों पुलिस आ जायेगी और इस तरह से लाखों रुपये उनमें खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह के दिखलावे से समाजवादी ढांचा नहीं बन सकता है।

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि बहुत दिनों के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया कि मैं दो शब्द इस बजट के ऊपर कहूं। तीन रोज से १९५९–६० के बजट पर विवाद हो रहा है और मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े गौर व प्रेम से सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उनका दृष्टिकोण बिलकुल बदला हुआ पाया। जैसे किसी चीज को खड़े होकर देखने के बजाय उल्टा होकर दोनों पैरों के बीच में से देखने का प्रयत्न किया जाय तो वह उल्टा ही दिखलायी देती है, उसी तरह से माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस बजट को देखने की कोशिश की है। मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करूंगा कि इस बजट को जो जिस तरह से खड़े होकर और लोग देखते हैं उसी तरह से वे देखें तो उसका सही चित्र उनको मालूम होगा। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के समाप्त होने की बात कही, काशी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बात कही और गन्ने के भाव के बारे में बहुत सी बातें कहीं और इन तीन बातों को देख कर आपने यह निष्कर्ष निकाला कि क्या यही समाजवादी ढांचे का चित्र है जो आपके सामने मौजूद है? एक सज्जन जो अभी बोल रहे थे उन्होंने भी कहा कि १०० रु० तक जिनको तनख्वाह मिलती है उनका डी० ए० केवल ढाई रुपये बढ़ाया गया है, तो क्या यही समाजवाद का लक्षण है? श्रीमन्, आपके द्वारा मैं उन सज्जनों से यह बतला देना चाहता हूं कि समाजवाद वहां नहीं दिखलायी पड़ता है। यदि आपको समाजवाद देखना है तो किसी ताल्लुकेदार के यहां या गांव के भूतपूर्व जमींदारों के यहां जाकर देखिये कि उनकी क्या हालत है और उनके हृदय से पूछिये कि समाजवाद का चित्र क्या है। किसानों से भी जाकर पूछिये जो पहले बेदखलियों से परेशान थे और आज अपनी जमीन के मालिक बने हुए हैं। समाजवाद कहीं डाल पर नहीं दिखलायी देता है, उसके कुछ उसूल होते हैं और उन उसूलों को कार्यरूप में परिणत करने में जो बातें होती हैं उससे समाजवाद दिखलायी पड़ता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट को अगर ध्यानपूर्वक देखें तो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो हिन्दुस्तान भर में हो रहा है और जिस तरह से अन्य प्रदेशों में कार्य हो रहे हैं, उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी कार्य हो रहे हैं, इसमें जरा भी शंका की बात नहीं है।

गल्ले की महंगाई की बात भी बतलायी गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गल्ले की कमी से जो महंगाई है उसके लिये सरकार गांव-गांव में सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर वहां अन्न पहुंचाने का प्रयत्न कर रही थी। वहां विरोधी दल के सदस्य गल्ले की दूकानों को लूटने का नारा लगा रहे थे, घेरा डालो आन्दोलन कर रहे थे और सत्याग्रह कर रहे थे। इससे जनता क्या सबक लेगी सिवा इसके कि जुर्म करने के लिये तैयार होगी। इसलिये जिम्मेदारी श्रीमन्, उन पर पड़ती है जो उधर बैठते हैं।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि मुसीबत थी, बारिश नहीं हुई थी, तकलीफ थी जनता में। सरकार भी स्वीकार करती है कि गल्ले की कमी थी लेकिन सरकार को कोसने के बजाय यदि नान आफिशियल्स गांव-गांव जाकर कोई संस्था बनाकर जनता की मदद करते तो ज्यादा लाभ होता। सन् १९३४ की बात बतलाता हूं जब बिहार में भूकम्प आया था, बहुत से गांवों में मकान गिर गये थे, आदमी मर गये थे और गांव बरबाद हो गये थे, जनता खाने बगैर मर रही थी और अंग्रेजी सरकार ने उस समय कुछ नहीं किया तो कांग्रेस उस समय खामोश नहीं बैठी रही। राजेन्द्र प्रसाद जी के नेतृत्व में संगठित हो कर जनता की सहायता की गयी। विरोधी दल के नेता बड़े विद्वान हैं। और भी बहुत से सज्जन हैं। क्या वे इस चीज को उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते थे? कोई भी बात हो उसके लिये सरकार स्पून फीडिंग करे इससे जनता का भला नहीं हो सकता। अगर आप जनता में काम नहीं करेंगे तो आपका भी भला नहीं हो सकेगा। इसलिये जनता समझती है और उसने एक नहीं, दो मर्तबा फैसला किया यह सोच कर कि अगर हमारे ऊपर संकट आयेगा, हमारे देश व प्रान्त के ऊपर तकलीफ होगी तो उसके लिये अगर कोई दल शक्तिशाली है और इन प्रश्नों को हल कर सकता है तो वह कांग्रेस दल है जिसको चुन कर उसने यहां भेजा है। जरा गम्भीरता से इन बातों को सोचें।

(शोर)

**श्री उपाध्यक्ष**---मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जरा शान्ति से सुनें ।

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल**---मैं जब बोल रहा हूं तो मालूम होता है कि जरा तकलीफ हो रही है हमारे विरोधी साथियों को । इंजेक्शन लगने पर तकलीफ होती है । थोड़ा बरदाश्त करने की आवश्यकता है, उससे भागने का जरूरत नहीं है । यह मर्ज जो विरोधी दल में घुसा हुआ है उसे ठीक करने की भी हमारी ही जिम्मेदारी है । विरोधी दल भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसको विरोधी दल बहुत अच्छी तरह से समझता है । विरोधी दल के नेता बड़े विद्वान हैं । मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, आज से नहीं, उस समय से जब से वे मेरे साथ कांग्रेस में काम करते थे तब से इज्जत करता हूं । वे इसको समझेंगे कि जितनी जिम्मेदारी इस सरकार की है, उससे बढ़ कर विरोधी दल की खास कर विरोधी दल के नेता की है । मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जहां वे यह कहते हैं कि जनता के ऊपर तकलीफ है और सरकार कीही सारी जिम्मेदारी है, वहां मेरा कहना है कि वे भी उस जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के साथ धोखा करके महज यह कहते रहना कि सरकार की जिम्मेदारी है और सुझाव देते रहना ही उनका काम है, इस प्रकार जनता के प्रतिनिधि वे ज्यादा रोज नहीं रह सकेंगे । इसलिये आइये हम और वे मिलकर समस्या का मुकाबला करें और जिन महात्मा गांधी जी का दृष्टान्त हम और वे दिया करते हैं उन्होंने जो रास्ता बतलाया है उस रास्ते पर हम और वे चलें ।

**श्री जगवीरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---प्वाइंट आफ आर्डर । अभी जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता धोखा देते हैं, क्या ऐसा कहना पार्लियामेंटरी है ?

**श्री उपाध्यक्ष**---अगर माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है तो वे इसे वापस लें ।

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल**---ऐसा शब्द तो मैं शायद किसी के लिये प्रयोग में नहीं लाया हूं, लेकिन अगर माननीय सदस्य ने ऐसा सुना है तो मैं उसे वापस लेता हूं ।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**---यह बड़ा अन्याय हो रहा है कांग्रेस दल की ओर . . . . .

**श्री उपाध्यक्ष**---कृपया पहले यह 'अन्याय' शब्द वापस लीजिये ।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**---मैं वापस लेता हूं लेकिन कृपया पहले सुन लें कि किस कांटेक्स्ट में मैं कह रहा हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष**---लेकिन चेयर से ऐसी बात कहना कि वह अन्याय कर रही है उचित नहीं है । आप अपनी बात कह सकते हैं ।

**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**---आज सवेरे प्रस्ताव रखा गया था अध्यक्ष महोदय के सामने कि सदन का समय हर व्यक्ति के लिये मुकर्रर कर दिया जाय तो उस वक्त प्रार्थना की गयी थी कि ५० प्रतिशत कांग्रेस पार्टी की ओर से बोलेंगे और ५० प्रतिशत अपोजीशन से बोलेंगे, जब कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंग्थ २/३ है । चूंकि बहुत कम समय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को मिल रहा है तो उस पर यह सुझाव दिया गया कि १५, १५ मिनट विरोधी दल के सदस्य बोलेंगे और १०, १० मिनट यहां से बोलेंगे । इस तरह से तीन सदस्य कांग्रेस पार्टी की ओर से और २ सदस्य विरोधी दल की ओर से बोलेंगे । लेकिन सदन में जो कार्यवाही चली उसका उसके मुताबिक आदर नहीं किया गया । तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष ने जब एक व्यवस्था कायम कर दी थी तो उस पर कार्यवाही पूरे तौर से होनी चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष**---मुझ से अगर शिकायत है तो मैं तो ३ बजे से हूं । तब से मैंने इस बात की कोशिश की कि कांग्रेस के मेम्बर ज्यादा बोलें और समय का हिसाब लगाने पर ७, ८ मिनट अपोजीशन के ज्यादा हैं । इसके लिये मैं यह सोच रहा हूं कि अन्त में आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी क्योंकि कुल ५ रोज आम बहस है । लेकिन रोज-रोज तराजू पर कैमिकल बैलेंस की तरह

से निर्णय नहीं किया जा सकता । आपको उतावला नहीं होना चाहिये । सन् १९५७ में भी मैंने एक व्यवस्था दी थी बजट डिस्कशन पर कि बल्क आफ दी टाइम अपोजीशन को जाना चाहिये ? उसी के अनुसार कार्य होगा । इसलिये इस किस्म की आशंकायें चेयर के प्रति आप न प्रकट करें ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, ३ दिन से इस बजट पर बहस चल रही है । वास्तव में बजट किसी राज्य का दर्पण होता है । उसको किसी ओर से धन्यवाद मिले या न मिले उसको पढ़ने से यह प्रतीत हो जाता है कि यह कितना प्रगतिशील है । अभी यह पुस्तिका बटी है "उत्तर प्रदेश--आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन" इसके पहले पृष्ठ पर आप यह देखेंगे कि देहात की आमदनी पर कैपिटा १८३ रुपया है । जिस देहात के लिये नारा लगाया जाता है कि बड़ी प्रगति हुई ह, देश ने बड़ी उन्नति की है, उन्नति के पथ पर जा रहा है, समाजवाद की तरफ जा रहा है, १९४७ में तो वह इन्कम १९८ रुपये थी जो अब घट कर १८३ हो गयी । इसी तरह से इसमें वह आंकड़े भी दिये हुये हैं जो एक कैदी पर खर्च होता है । १९५५–५६ में २७२ रु०, १९५६–५७ में २९० रु० और १९५७–५८ में ३११ रु० प्रति कैदी पर खर्च होते थे और देहात में आमदनी पर कैपिटा जो है वह १८३ रुपया है, यह प्रगतिशील बजट का चिन्ह है ?

इसको मैं क्या कहूं । सरकार के लिये कुछ कहना कि प्रगति पर नहीं जा रही है यह बड़े साहस का काम है क्योंकि यह महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर आधारित है, सोशलिस्ट पैटर्न है और कम्युनिस्टिक चाल है । यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी चीज कितनी प्रगति कर चुकी है और कितनी प्रगति करती चली जायगी ।

इस सदन में महंगाई की बड़ी चर्चा हो रही है । कहा जाता है कि अन्न संकट आया, उधर से भी कहा जाता है । वास्तव में महंगाई तो इतनी आई कि जब हमने गेहूं बेचा तो १६ रु० मन और मार्केट में वही गेहूं अब कहीं-कहीं ३२ रु० मन बिक रहा है । और यह किसानों की सरकार है उनके हित की बात सोचती है । कोई वजह नहीं मालूम होती कि क्या कारण है जब गन्ने का दाम १ रु० १२ आना मन था तब चीनी २८ रु० मन बिकती थी । अब शकर का दाम ३८ रु० मन है लेकिन गन्ने का दाम १ रु० ७ आना मन है । तो उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसकी वजह बतायेंगे कि कौन सी हमदर्दी उन्हें देश के किसानों से है जिसके कारण गन्ने का दाम यह सदन पास करे, बिहार का सदन पास करे और केन्द्रीय सरकार उसे नामन्जूर करे और यह सरकार यह कह दे कि उसकी मंशा के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ था ?

अन्न के बारे में कहा जाता है कि अन्न को बढ़ाओ । कौन बढ़ायेगा और क्यों बढ़ायेगा जब हमको तो बेचना पड़ता है सस्ते दामों में और बनिये के यहां वही फिर महंगा बिकता है ? तो आप सोचें कि इसकी कमी का कारण यह नहीं है कि बरसात कम हुई है, लोग निरुत्साह होते चले जा रहे हैं, उनके साहस टूट रहे हैं यही कारण है कम होने का । खाली कांग्रेस दल की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि विरोधी दल की भी जिम्मेदारी है । और समय-समय पर यह बात कह देना कि अब लैंड की सीलिंग होगी, चकबन्दी होगी, ६ एकड़ जमीन रहेगी, सहकारी हो जायगी तो किसान इन चीजों को सुनते-सुनते ऊब चुके हैं और इनको सुनकर वे अपना उत्साह तोड़ चुके हैं । अगर आपको विश्वास न हो तो मेरे साथ चल कर देखें कि किसान अपने पेड़ों को काट रहा है इसलिये कि मालूम नहीं कि कल को वह उसका रहेगा या नहीं । तो जब तक उनको आप भरोसा नहीं दिलायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा । जो कुछ आपको करना है एक दफा कर दें, लेकिन रोज-रोज की बात ठीक नहीं है । अगर इस तरह से उनकी आमदनी १९८ रु० साल से बढ़ सकती है तो जरूर कीजिये, मैं विरोध नहीं करूंगा । लेकिन रोज-रोज भयभीत न कीजिये जिससे उन्हें डर हो . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य यदि अभी भाषण जारी रखना चाहें तो कल बोलें ।

श्री बलदेवसिंह---बहुत अच्छा ।

## †उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)‡

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे कुछ समय इस सेल्स टैक्स बिल को अध्ययन करने के लिये दिया। इसे मैं सरसरी तौर पर देख पाया हूं, क्योंकि अधिक समय तो मिला नहीं जैसा कि कानून को बड़ी बारीकी से जांच करने का मौका मिलता है। मुझे एकाध बातें बड़ी भयंकर दिखाई पड़ीं जो कि बजट की अनियमितताओं से भी भयंकर हैं और शायद इस फंग ऐन्ड आफ दि डे में उन पर उतनी तवज्जह न दे पावें। मैं प्रस्ताव तो कल पेश ही कर चुका हूं श्रीमन्। तो श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सेल्स टैक्स बिल पेश किया था तब उन्होंने कहा कि किसी को छूट देने की उनकी मंशा है। उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन श्रीमन् यह छूट देने भर की ही बात नहीं है, इसमें बड़े-बड़े ड्रास्टिक मेजर्स दिये हैं। एक बार कहीं एक नायक और नायिका का जिक्र किया है कि नायक ने नायिका से कहा कि मुझे कान में तुमसे एक बात कहनी है। तो नायिका ने कहा कि 'कहलो कपोलन में, न कहो कानन में'। इसी प्रकार से मंशा उनकी कुछ और है। जिन प्रयोजनों से यह बिल लाया गया है उसमें छूट की बात कही गई है। मूल धारा ८—ए के बारे में कहा गया है, लेकिन इसमें मूल धारा ८ है जिसमें परिवर्तन कर दिया गया है और भयंकर परिवर्तन किया गया है। जिसका असर इस सदन के तीन-चौथाई लोगों पर कम से कम पड़ा है और उन सारे लोगों पर पड़ता है जो उधार खाने वाले हैं। यह क्या है? ऐसा कानून आज तक मैंने तवारीख में नहीं पढ़ा। यह वह है कि जो उधार लेगा किसी दुकानदार से, अगर उस आदमी पर दुकानदार का कोई बकाया निकलता है तो सरकार उस बकायादार से उसको नोटिस देने के पश्चात् लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल कर सकेगी।

श्रीमन्, आजकल आप देखें कि २०० रुपया पाने वाले जो लोग गुजारा नहीं कर पाते हैं और मैं समझता हूं कि काफी सदस्यों पर कर्जा इस बात का है तो ऐसी छोटी तनख्वाह वाले और हमारे सेक्रेटरिएट के तीन-चौथाई या इससे भी अधिक बाबू जो इन महंगाई के दिनों में उधार खाते-खाते अपने दिन काट रहे हैं, वे लोग सबसे अधिक पीड़ित होंगे, उन पर बनिये का कर्जा है।

अब सरकार ने तानाशाही अपने हाथ में ले ली कि उसने यह कानून बनाया कि अगर कर बनिये से वसूल न हो सके या बनिया किसी कारण से भाग गया हो तो हम तुमसे वसूल लेंगे। तो श्रीमन्, ऐसी भयंकर धारा दुनिया के किसी कानून में नहीं मिलेगी। मान लीजिये बनिये से हमारा कोई इकरार हुआ है कि हम थोड़े दिन बाद दे देंगे, ६ महीने बाद या १ साल बाद। तो वह इकरार भी रद्द हो गया। उसके अल्फाज पढ़ें तो वह और भी भयंकर है। इसमें लिखा है "किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुये भी"। इसको श्रीमन्, अगर देखें तो यह कितना भयंकर है। हालत हमारी इतनी फटीचर है कि बनिये को मनाते हैं कि अब देंगे तब देंगे। अगर बनिये पर सेल्सटैक्स बकाया है तो सरकार सीधे हमारी गरदन नाप सकती है। अगर किसी मामूली कोर्ट आफ ला में बनिया किसी अपने उधार लेने वाले पर दावा करे तो सरकार ने उस गरीब पर भी अपना खूनी पंजा गर्दन पर रख दिया यानी वह रकम उस से एज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू वसूल की जा सकती है। इतना सख्त इनकम टैक्स का कानून है। जहां तक मुझे मालूम है, ज्यादा अध्ययन तो उस का मेरा नहीं है, लेकिन अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो उसमें अगर किसी ने बनिये का उधार लिया है और उस को आयकर देना है तो सरकार उससे, उधार लेने वाले से अपनी रकम वसूल नहीं कर सकती, लेकिन जो ताकत केन्द्रीय सरकार भी अपने पास नहीं रखती, उस के बड़े अधिकारी भी नहीं रखते जो यहां के लोगों से ज्यादा अनुभवी और होशियार होते हैं, उन अधिकारों को स्टेट गवर्नमेंट के छोटे अधिकारी अपने हाथ में ले लेना चाहते

---

†११ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।
‡१८ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। क्या अन्धेर है ? क्या यह न्याय है ? क्या यह इन्साफ है कि आज जबकि इतनी महंगाई है, इतनी गरीबी है और किसी तरह से कम वेतन पाने वाले उधार लेकर या किसी तरह से अपने बच्चे पाल रहे हैं उन के साथ इस तरह की सख्ती करने के अधिकार लिये जायं, अगर ढाई रुपया वेतन बढ़ता है तो अब कोई भी आदमी अगर किसी का उधार है तो जेल भेजा जा सकता है, उस का सामान नीलाम हो सकता है जब कि पहले वह सहूलियत से जब उसके पास पैसा होता था तो वह बनिये को अदा करता रहता था । अब आप एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह उनसे वसूल कर लेंगे । मैं निहायत अदब के साथ गवर्नमेंट से और मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि ऐसी सख्त धारा को आप न रखें । इस तरह के अनुदान और कानून ऐसे समय ही लाय जाते हैं कि आखिर में चुपके से पास करा लो । हमने अभी देखा कि १ करोड़ की बड़ी रकम को अनुपूरक अनुदान में मार्टिन कम्पनी के लिये चुपके से रख दिया, ताकि किसी की नजर न पड़े और वह पास हो जाय । इस तरह से अन-नोटिस्ड चीजें पास कराने से हमारा भला न होगा । इस को भी ५–६ बजे के बीच में आखिर में लाकर चुपके से पास कराना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि ऐसी भयंकर धारा को अवश्य निकाला जाय ।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)—हम ने तो इसलिये विरोध किया था ।

श्री गोविन्द सहाय विष्ट—सोशलिस्ट पार्टी ने विरोध अवश्य किया था, लेकिन बात यह है कि अगर कहीं रोज भेड़िया आता है तो जिस दिन वाकई में आता है उस दिन भी पता नहीं चलता कि आज भेड़िया आया या नहीं आया । हम जानते हैं कि हम लोगों तक की क्या हालत है, हमारा प्रोफेशन भी छूट गया, २०० रुपये में हमारे ऊपर उधार हो जाता है, ५ साल तो हम से कोई वसूल न करेगा, लेकिन उस के बाद वह वसूल हो सकता है । सरकार के लिय ३ साल की लिमिटेशन भी नहीं है, माननीय सदस्यों को भी काफी खतरा है ।

हम एक बात की आशा करते थे कि खाद्यान्नों पर सेल्स टैक्स न लगाया जाय, लेकिन यहां उस का उल्टा है । रोटी पर भी टैक्स लगाना सरकार को मुबारक, वह भी सिंगिल प्वाइंट टैक्स ही नहीं बल्कि मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स । जहांतक मन इस चीज को व्यापारियों से पूछा तो उन से मालूम हुआ कि यह टैक्स ४ प्वाइंट्स पर लगता है, क्योंकि अनाज खाने वालों तक पहुंचने के लिये ४ हाथों में से होकर पास होता है । पहले तो गांव के बाजार में जो लोग बिछाकर बैठते हैं वे सेर-सेर भर दो-दो सेर गल्ला खरीदते रहते हैं और फिर उस के बाद वह लोग वहां से गधे और टट्टू पर अपना अनाज लादकर गांव से दूर मंडियों में ले जाते हैं, एक प्वाइंट तो वह हुआ छोटे दुकानदारों का, फिर दूसरा इस मंडी के दूकानदार का, उसके बाद उस रिटेल वाले से स्टाकिस्ट लेता हैं यानी जो आढ़ती कहाता है । उसके बाद वह एक्सपोर्टर के पास जाता है तब जाकर ४ प्वाइंट्स से निकल कर वह खाने वालों तक पहुंचता है । आज तक ३ पाई फी रुपया लिया जाता था अब वह आपने २ नया पैसा कर दिया । उसमें भी चाल है । अगर पहिले ३ पाई का ६४ गुना १ रुपया होता था तो अब दो नये पैसे का ६४ गुना होगा, नये १२८ पैसे । इस के माने यह हुये कि २८ पैसा बढ़ गया या कहिये कि २८ प्रतिशत की बृद्धि हो गई । यह तो हुआ ३ पाई की जगह दो नया पैसा करने का फल । अब जो सवा ६ परसेंट पहले होता था वह कितना बढ़ जायगा वह हिसाब कर लें माननीय सदस्य । तीसरी बात यह है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जिसका जिक्र उधर के माननीय सदस्य और माननीय मंत्री रोज करते हैं और जिसके सदस्यों की काबिलियत से किसी को इनकार नहीं हो सकता, उन्होंने यह साफ कह दिया था कि खाद्यान्न पर यह टैक्स न हो, लेकिन उसको नहीं माना गया । यह अन्न का टैक्स सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ता है क्योंकि वह तो बहुत परिश्रम करते हैं । जब परिश्रम करते हैं तो भूख ज्यादा लगती है । फल वह खा नहीं सकते, दूध पी नहीं सकते, इतना पैसा कहां से लायें । अन्न ही ज्यादा हजम होता है और उस पर ४ प्वाइंट पर चौगुना टैक्स पड़ता है, यानी उनकी आय का करीब-करीब पूरा हिस्सा—थोड़ा—सा ही बच रहता है-सारे का सारा, जुमले का जुमला अन्न के खरीदने में चला जाता है । इस देश में गरीब ही ज्यादा रहते हैं इस प्रकार ८० परसेंट गरीबों पर ही यह टैक्स है । तो इसको हटाओ । हटाने की बात मैंने कही थी, नहीं माना । मैंने कुछ

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

जानने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री को यह खयाल था कि इस टैक्स को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे १ करोड की आमदनी होती है। माननीय जगदीशशरण अग्रवाल वगैरह सदस्यों नें बतलाया—अगर मैं सही हूं कि साढ़े १९ लाख मन सन् १९५६ में २६ लाख से ज्यादा आमदनी नहीं होती। जब यह चीज उनकी नजर में लाई गई तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ देगें यह तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती से वह ट्रांस्फर्ड हो गये सेंटर में। यह तो कांग्रेस के विभाग हैं, एक से दूसरे विभाग में चले गये। खैर, तरक्की हुई उनकी, हमें खुशी है, लेकिन हमारा टैक्स ज्यों का त्यों रह गया। मैंने सुना है कि केन्द्र के खाद्य मंत्री माननीय अजित प्रसाद जैन ने भी यह सिफारिश की है कि खाद्यान्न पर से टैक्स हटा दिया जाय। हमारे मंत्री जी ने भी घोषणा कर दी थी और सिंगिल प्वाइंट का डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन वह हुआ नहीं। पिछली मरतबा एक परचेज टैक्स लगाया गया था। हमसे कहा गया कि इससे राहत मिलेगी, मल्टिपिल प्वाइंट पर नहीं होगा, लेकिन फिर नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं। जाने क्या-क्या बातें हुईं। तो गुजारिश मेरी यह है कि १८,००० के इनके रजिस्टर्ड डीलर्स हैं। आजकल एक चीज हमारे पास तैयार है। मैं व्यापारी वर्ग को डिफेंड करने नहीं आया हूं, लेकिन इतना जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं कि अपनी सारी कमजोरियों को व्यापारियों के मत्थे मढ़ देने के लिये एक सेपटी वाल्व हमने ढूंढ लिया है। उनको दो चार विशेषणों से विभूषित करके सारा दोष उन्हीं के सर डाल देते हैं। व्यापारी वर्ग की भी एक जोरदार मांग है कि खाद्य पदार्थ से यह टैक्स हटा दिया जाय। यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको ज्यादा देना पड़ता है। वह अपने पास से कुछ नहीं देते, बल्कि कम ही अदा करना पड़ता है। वह तो सब कंज्यूमर्स के सर डाल देते हैं, लेकिन उनको दिक्कत यह हो गयी है कि हर जगह उनको बेईमान कहा जाता है, चोरबाजार और बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं, बड़े-बड़े विशेषणों से आभूषित किया जाता है। तो वह चाहते हैं कि वह भी एक स्वतंत्र, जिम्मेदार और स्वाभिमानी नागरिक की तरह से रह सकें और उनकी बदनामी करने का जो बायस है यह न रहे। इसलिये गल्ले के व्यापारियों की तरफ से यह बात कही गयी थी। तो अन्न पर यह टैक्स किसी प्रकार भी जस्टिफिएबिल नहीं है।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह टैक्सेशन का जो हमारा कानून है यह इतना पेचीदा है, इतना टेढ़ा है कि हम लोगों ने जिन्होंने थोड़ी बहुत वकालत १०–१५ साल की है या थोड़ा-बहुत कानून पढ़ा है हमारे पल्ले नहीं पड़ता, तो एक मुंड़िया भाषा में लिखने वाला व्यापारी इसको क्या समझ सकता है ?

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी यह सिफारिश की थी कि इसे सरल बनाया जाय और इसे वाइडेस्ट पब्लिसिटी दी जाय, कोई रूलिंग या घोषणा होती हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाय। ऐसी भी कोशिश विभाग की ओर से नहीं की गयी और न सरल ही बनाया गया, बल्कि दिन पर दिन और कठिन ही बनाया जाता है। इसलिये परिधि बढ़ाने का मैंने अपना प्रस्ताव रखा है ताकि यह कानून सरल से सरल हो जिससे आदमी समझ सके और इसका प्रतिपालन करे। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी कहा है कि कानून की पेचीदगियों की वजह से भी बहुत से व्यापारी गड़बड़ करते हैं। क्यों कि वे डर जाते हैं और टैक्स का इवेजन करते हैं। हमें व्यापारियों की इमानदारी को बढ़ाना है, उसे जीवित करना है। अगर कानून की पेचीदगियां बढ़ती रहीं तो व्यापारी ईमानदार होने के बजाय दूसरी दिशा में जायगा जिससे सारे बिजनेस पर असर पड़ेगा, समाज को तकलीफ होगी और टैक्स इवेजन भी ज्यादा होगा।

इसके अलावा यह देखा गया है कि इस विभाग में अधिकतर नौसिखिये लोग सेल्स टैक्स अफसर रखे जाते हैं। मैं उन कारणों में तो नहीं जाता कि कैसे बैकडोर एन्ट्री होती है, लेकिन ओरिजिनल ऐक्ट की धारा १५ वगैरह के अनुसार सरकार ने ऐसी बेढब ताकतें अपने हाथ में ले ली हैं जो इन्कम टैक्स वालों को भी हासिल नहीं हैं। इसलिये यह जरूरी है कि इसमें मीठे स्वभाव के आदमी हों। मेरा कटु अनुभव है और ऐसे आदमी इस विभाग में मैंने पाये हैं कि जो

काट खाने को आये हों । टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी यह सिफारिश की है कि इसमें मीठे स्वभाव वाले आदमी होने चाहिये ।

इसके अलावा इसमें असेसिंग और इंस्पेक्टिंग अथारिटी, दोनों एक ही हैं । मान लीजिये किसी घर में छापा मारा और उससे झगड़ा हो गया तो वह प्रेजुडिस्ड हो जाता है और जो मन में आया उसी पर असेस कर दिया । अगर असेसिंग अथारिटी अलग रहेगी तो यह बात नहीं होगी । इसके लिये सरकार कहेगी कि इसमें खर्च बढ़ जाता है, लेकिन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने कहा है कि सेल्स टैक्स से सरकार काफी रुपया कमाती है । इसलिये यह जरूरी है कि ऐसी फाल्स बचतें न की जायं ।

इसके अलावा हमारे यहां ३–३, ४–४ साल का पुराना असेसमेंट होता है । पुराने असेसमेंट से व्यापारियों को बड़ी तकलीफ होती है । उनसे पुराने दिनों की शहादत मांगी जाती है जो कि वे नहीं ला सकते, क्योंकि पुरानी शहादत खत्म होती जाती हैं । अगर कोई कागजात खो जाते हैं तो दिक्कत होती है । इससे ईमानदार को तकलीफ होती है लेकिन बेईमान व्यापारी को तरजीह मिलती है, क्योंकि वह भाग जाता है, फर्म बदल कर दूसरे नाम से व्यापार करने लगता है । और टैक्स इवेजन करके वह भाग जाता है क्योंकि उसको समय मिल जाता है और जो ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है उसने अगर खुशामद न की या साहब नाराज हो गये या चपरासी नाराज हो गया तो उसकी बड़ी मुश्किल है । श्रीमन्, एक तमाशा है । मैंने इनकम टैक्स के सिलसिले में देखा है । मैं छोटे शहरों की बात कहता हूं जहां पर इन्कम टैक्स आफिसर नहीं रहते हैं । जब चपरासी जाता है तो दूकान पर बैठ जाता है, अगर दूकानदार उसकी खुशामद नहीं करता है तो वह साहब से कहता है कि इसकी इतनी आमदनी है, इतनी बिक्री है और मेम साहब के भी कान भरता है जिससे श्रीमन्, उसको नुकसान उठाना पड़ता है । इस तरह से कितनों का ही बंटाधार हो चुका है । श्रीमन्, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था यह चपरासी बड़ा दिक करता है, क्लार्क्स बड़ा दिक करते हैं । इसलिये श्रीमन्, मेरी गुजारिश यह है कि इन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा असेसमेंट जल्दी हो जाने चाहियें । जब साल पूरा हो जाय तो असेसमेंट भी हो जाना चाहिये । इससे सरकारी रुपया भी जल्दी वसूल होगा और व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं होगी । पहले छूट देने की बात कही गई थी और स्लैब सिस्टम रखा गया था । इससे बड़ी तकलीफ है, ऐसा अनुभव कहता है और व्यापारी भी कहते हैं । १२ हजार पर शायद १८ रुपये छूट पड़ती है और रजिस्ट्रेशन वाले दस रुपये लेकर १८ रुपये जमा कराते हैं । इसकी लैंगुयेज बड़ी एम्बीगुवस थी जिससे आदमी ठीक-ठीक पता नहीं कर पाते थे और लोग अर्थ लगाते थे कि १८ रुपये जमा करने पड़ेंगे लेकिन विभाग दूसरा अर्थ लगाता है और न जाने तीन साल का या क्या ऐवरेज लगाता है और ज्यादा रुपया देने को कहता है । लेकिन मुझे अब पता लगा है कि जिन्होंने १८ रुपये जमा कर दिये थे उनके ऊपर और नहीं पड़ेगा वरना डिपार्टमेंट ने तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई थी । लेकिन सवाल यह था कि जिन्होंने १ रुपये ९ आने के हिसाब से जमा किया था और उनके ऊपर एक रुपये के हिसाब से लगना चाहिये था तो ९ आने के रिफंड का मामला था । उसके रिफंड का झगड़ा पड़ गया । छोटी-छोटी बातों के लिये सरकार को खुद सोचना चाहिये कि इस तरह से व्यापारियों को दिक करने से काम नहीं चलेगा । दोनों तरफ से गिव ऐन्ड टेक की बात होनी चाहिये । यह इसलिये हुआ कि असेसमेंट में देरी हुई और देरी इसलिये हुई कि असेसिंग अथारिटी और इंस्पेक्टिंग अथारिटी एक ही है । हमें ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अधिकारियों ने कहा कि ४००–५०० रुपये हमें दो वरना इतना टैक्स लगा देंगे । जिसने नहीं दिया उस पर टैक्स लग गया और जिसने दे दिया उस पर नहीं लगा । इस तरह से सरकारी रुपये का भी नुकसान हुआ और आदमी भी बेईमान हुआ ।

श्रीमन्, एक अन्याय की बात और है और इसे दुरुस्त करना चाहिये । वह अपीलेट अथारिटी के बारे में है । मान लिया किसी पर असेसिंग अथारिटी ने असेसमेंट किया और वह उस पर राजी नहीं है और वह अपील करता है तो श्रीमन्, जो इसमें एक धारा थी उसको क्लैरीफाई करके

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

एक हक और छीन लिया गया। अब सवाल यह है कि अपीलेट अथारिटी को इसमें दिक्कत होती है कि वह मातहत अदालत के यानी असेसिंग अथारिटी के आर्डर्स को स्टे कर दें, रोक दें। लेकिन यहां पर ताज्जुब यह है कि असेसिंग अथारिटी को स्टे करने की ताकत नहीं है। स्टे करने की ताकत जो रिवीजन पेटीशन सुनता है उसको है। तो वह यू० पी० भर में दौड़े? मैं एक ताजा वाकया बयान करता हूं जिसका जाती इल्म माननीय जगदीशशरण जी को है। अल्मोड़ा में एक दूकानदार था। वह मर गया। उसके दो लड़के पढ़ते थे। बाप के मरने के बाद दूकान समाप्त हो गयी। एक दिन उसके घर पर असेसिंग अथारिटी जो सर्वशक्तिमान हैं, वह आये। उन लड़कों के मकान में आगे और पीछे दोनों तरफ दरवाजे थे। उसको खयाल नहीं रहा हुजूरवाला आ रहे हैं। वह पीछे के रास्ते से पाखाने वगैरह कहीं चला गया। वह आये और समझा कि शायद वह कहीं भाग गया है। मनमाना टैक्स लाद दिया। वह गरीब पढ़ना छोड़कर भागा बरेली आया। अपील दाखिल की लेकिन स्टे आर्डर नहीं मिल पाये। आखिर में यहां आया और मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने एक्जीक्यूटिव आर्डर से स्टे कर दिया। अगर वह न करते तो गरीब का दीवाला हो गया होता या हवालात में होता। यह कानून की गलतियां हैं। अगर कोई इंसाफ करना भी चाहे तो कर नहीं पाता। जूरिसप्रूडेंस का यह पहला ला है कि एक अफेंस के लिए दो बार कोई प्रासीक्यूट नहीं होगा। पहले इसमें यह बात थी लेकिन आज इसको क्वालीफाई कर दिया गया है। ११ पृष्ठ पर १४ (४) जो खंड है वह इस प्रकार है:--

"धारा १४ के अधीन कोई अभियोग उन्हीं तथ्यों के आधार पर नहीं चलाया जायगा जिनके लिए इस धारा के अधीन कोई अर्थ-दंड लगाया जा चुका हो और देय करके अतिरिक्त उस अर्थदंड की धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका हो।"

मान लिया कि कोई दीवालिया हो गया तो ला में पूरी सम्भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है। मुकदमा चलाया, जेल में डाल दिया। एक हजार तक जुर्माना कर सकते हैं। उसके बाद अगर न दे ५० रुपये रोज जुर्माना होगा और कहीं-कहीं पर १०० रुपये रोज तक जुर्माना हो सकता है। इतना होने के बाद अगर कोई अफसर परेशान करना चाहे तो कर सकता है। हो सकता है कि किसी के पास पैसा न रहा हो क्योंकि कोई जेल जाना नहीं पसन्द करता। तो इतना क्रिया-कर्म करने के बाद भी कहते हैं कि तुमने रुपया जमा नहीं किया, तुम्हें जेल में डाल देंगे। मेरा ख्याल है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि यह संविधान के खिलाफ हो जाय। मैं इस सेल्स टैक्स कानून के लिए मुबारकबाद देता हूं जिसमें इतने पैबन्द लगते हैं। पिछली मर्तबा भी हमने कहा था लेकिन हम विरोधी दल वालों की बात टाल दी जाती है यह कहकर कि विरोधी दल वाले कहते हैं इनकी बात न मानो।

(इस समय ५ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, इस बिल में इतने संशोधन हुये हैं कि अब तो पब्लिशर भी इनको छापता घबड़ाता है कि कल को कहीं कोई ब्रेन वेव आ जाय बस आ जाय संशोधन और चलिये उनकी सारी किताबें बेकार। यहां तो रोज नये संशोधन हैं। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा था :--

"जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आजादी है।
हर रोज नयी एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है।।"

अब खंड १४ में श्रीमन् देखिये कि अगर मैं गलती नहीं करता तो जैसे पहले कानून था उसमें शब्द विलफुली था लेकिन अब उसमें से भी वह निकाल दिया गया है। खंड १४ इस तरह से था :--

"14. Any person who—

(*a*) wilfully submits any untrue return, or fails to submit a return as required under this Act or the Rules made thereunder; or

(*b*) wilfully fails to pay or evades payment of the tax assessed upon him under this Act within the time allowed."

यानी जान-बूझकर अगर कोई आदमी टैक्स न दे तो वह सजा पाये। लेकिन आज यह शब्द विलफुली निकाल दिया गया है, लेकिन अगर कोई आदमी नेकनीयती होते हुये भी नहीं देता है तो भी इसके अन्दर आ जायगा। उसको भी सजा हो जायगी। हम क्या बना रहे हैं? कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पैटर्न आफ सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें प्रत्येक इंडिविजुअल की सुरक्षा होगी लेकिन कानून बना रहे हैं कंसेंट्रेशन कैम्प हर एक के लिये हर सूरत में होगी जिसको चाहें भर दें। यह गलत परम्परा बना रहे हैं। तो मैं इसके लिये सावधान करना चाहता हूं कि आप भी कभी इधर तशरीफ ला सकते हैं और जनता के कभी रोड इंस्पेक्टर बन सकते हैं उस वक्त ऐसी बात हो सकती है और आपको भी तकलीफ हो सकती है। यह न समझिये कि हमको ही तकलीफ होगी।

कल तो श्रीमन्, मैंने ५ दिन के लिये प्रवर समिति की बात रखी थी लेकिन आज इसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस तरह का हेस्टी लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिये क्योंकि अगर जल्दी में आपने पास कर दिया तो यह सब अल्ट्रावायरस हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक तो वे खाने की चीजों पर से बिक्री-कर हटावें और दफा ८ में जो किसी आदमी पर बनिये का उधार हो तो ऐज लैंड रेवेन्यू वसूल करने वाली बात को हटावें। यह हमारे क्लार्क्स पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि हम जैसे लोग भी उसमें आ सकते हैं क्योंकि बहुत महंगाई है और तीसरे यह जो विलफुली वाली बात है उसको भी ठीक करें। इन सब बातों पर विचार करके मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान जायेंगे और मेरा जो प्रस्ताव है उसको यह सदन स्वीकार करेगा।

**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री गोविन्द सिंह के संशोधन में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि उपर्युक्त संशोधन के शब्द "जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और" निकाल दिये जायं। मान्यवर, मैंने इस सदन में कदाचित् बहुत बार प्रवर समिति में जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है लेकिन प्रस्तुत संशोधन को इस सदन के समक्ष रख कर मैं आज प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रबल समर्थन करता हूं। मेरा ऐसा विचार है कि यू० पी० सरकार की सेल्स टैक्स नीति भले ही इस दृष्टिकोण से सफल रही हो कि हम अपने लक्ष्य से ज्यादा रुपया प्राप्त कर सकें लेकिन यह नीति इस दृष्टि से सर्वथा असफल रही कि जिस पर उसका बोझ पड़ना था, वह बोझ किसी सिद्धान्त के आधार पर उस पर नहीं पड़ा और न कोई उसकी निश्चितता रह सकी। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमारे किसी भी टैक्स की नीति यह होनी चाहिये कि जो गरीब हैं उनके ऊपर कम से कम टैक्स लगे। जिस टैक्स का भार ज्यादा गरीबों पर पड़ता हो वह मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी सेल्स टैक्स की नीति में इस सिद्धान्त का विरोध होता रहा है। मैं एक शब्द में यह कहना चाहता हूं कि हमारी सेल्स टैक्स की नीति इस दृष्टि से बिल्कुल फेल्योर रही है। इसके लिये कोई भी सरकार गर्व नहीं कर सकती।

दूसरी सब से बड़ी शिकायत इस विषय में यह है कि एक तरफ तो यह टैक्स मेजर है, वह कानून है जिसका असर सब से ज्यादा जन-साधारण पर पड़ता हो, एक गगन चुम्बी अट्टालिकाओं में रहने वाले पर पड़ता हो और दूसरी तरफ एक झोंपड़ी में रहने वाले पर भी पड़ता हो और उस विधेयक के लिये इतनी जल्दी-जल्दी संशोधन आये तो उसके लिये इस कदर शिकायत होना बिल्कुल सही है। हम लोगों को बाहर जब कभी लोगों से मुकाबला करना पड़ता है और लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है तो उस समय अपना सिर नीचा करना पड़ता है। भले ही उच्च अधिकारी और हमारे कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य आइवरी टावर्स (Ivory Towers) में रह कर उन कठिनाइयों को अनुभव न कर सकें, लेकिन मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

आज जनता में इस सेल्स टैक्स की नीति के विरोध में असन्तोष रहा है और है। मैं टैक्स का कभी विरोधी नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि किसी भी वेलफेयर स्टेट को चलाने के लिये हमें टैक्स लगाना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ता है लेकिन मेरा विरोध तो यह है कि टैक्स लगाते समय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारी नीति यह हो कि जिस टैक्स का भार सब से नीचे वाले आदमी पर, गरीब पर पड़ता हो वह टैक्स न लगे, या यदि लगाना नितान्त अनिवार्य हो तो वह कम से कम लगे। श्रीमन्, मुझे आशा थी कि जब यह बिक्री-कर विधेयक इस सदन में प्रस्तुत होगा, जिसके बारे में एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्नोत्तरों में और समाचार-पत्रों में तरह-तरह के आश्वासन दिये जा चुके हैं, जिसका संकेत पिछले बजट भाषण में भी था, उस विधेयक में कम से कम उन शिकायतों की ओर ध्यान दिया गया होगा किन्तु श्रीमन्, अगर मैं यह कहने की धृष्टता करूं कि इस विधेयक में, जो सामने रखा गया है, वास्तविक बातों को छिपाने की कोशिश की गई है और उसके प्रभाव को दूसरी तरह से रखने की कोशिश की गई है तो क्षमा किया जाऊं।

मैं इसके उद्देश्य और कारणों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि "जो विधेयक का खंड ९ का उपखंड (१) राज्य सरकार को प्रदान करना चाहता है, मूल अधिनियम की धारा ८-क (१) के अधीन पहले ही से विद्यमान है"। यह संशोधन कुछ आवश्यकताओं के लिये किया जा रहा है। उसमें साफ-साफ यह भी लिखा गया है कि "इस प्रकार विधायी अधिकार का कोई नया प्रतिनिधान अभिप्रेत नहीं है"। यानी उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट कर दिया गया है मूल अधिनियम की एक धारा ८-क नये रूप में रखी जा रही है। इसकी केवलभाषा नयी है। जब माननीय गोविन्द सिंह जी बोल रहे थे तो शायद उन्होंने उद्देश्य और कारणों को या टिप्पणी को देख लिया, उनका ध्यान केवल धारा ८-क की तरफ गया लेकिन इसमें एक इससे ज्यादा भयंकर धारा, मार्शल ला की तरह, १३ है। ऐसा किसी भी राज्य के ऐक्ट में उदाहरण नहीं है और न इंनकम टैक्स ऐक्ट में है। पहले यह था कि यदि कोई टैक्स देने वाला जानबूझ कर समय पर रिटर्न्स न दाखिल करे, जो रुपया देय हो वह न दे, झूठा बयान दे तभी उस पर कुछ जुर्माना किया जा सकता था, लेकिन आज इस जुर्माने की सजा से संतुष्ट न होकर जेल की सजा रखी गई है। श्रीमन् मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष का प्रतिपादन नहीं करता जो जानबूझ कर बेइमानी करे, लेकिन अफसोस तो यह है कि ख्वाहिश इतनी ज्यादा बढ़ गई शब्द 'जान-बूझकर' को भी समाप्त कर दिया गया है। डेलीबरेटली शब्द 'विलफुली' को निकाल दिया गया है . . . .

**वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**---अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक गलत फहमी रफा कर दूं। विरोधी दल के जो माननीय सदस्य बोले और इधर के जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको भी यह गलतफहमी हुई। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि शब्द 'विलफुली' को निकाल दिया जाय बल्कि इसलिये कि वह बार-बार दोहराया न जाय, एक दफा रख दिया गया है और वह सब नीचे के क्लाजेज को गवर्न करता है।

**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**---अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के हृदय की कोमलता और उदारता से परिचित हूं और मेरा विश्वास था कि कभी भी उनकी यह मंशा नहीं होगी, लेकिन जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसका वही मंशा है। अगर मंत्री जी फिर पढ़ने का कष्ट करें तो इसी नतीजे पर आयेंगे। 'विलफुली' शब्द दो तरह से तोड़ दिया गया है। पहला कोई व्यक्ति जो (क), (ख), (ग), (घ) में आता उसमें 'विलफुली' को निकाल दिया गया, फिर थोड़ी सी धारायें लिखीं गईं और १४ (१) में जो ६, ७ जुर्म हैं उनके लिये विलफुली शब्द नहीं रह गया है, और उसके बाद १४ (२) है उसमें जो अपराध है उसमें रखा 'विलफुली' गया है। इसके २ खंड कर दिये गये हैं।

**श्री सैयद अली जहीर**---अध्यक्ष महोदय, मैं इसको फिर साफ कर दूं । ओरीजिनल ऐक्ट अंग्रेजी में है। जो अमेंडमेंट ऐक्ट है वह अंग्रेजी में है और उसका तर्जुमा हिन्दी में हुआ है। हो सकता है उसमें कुछ गलती हो। अंग्रेजी में जो है उसमें इस तरह से है :

"Notwithstanding any thing in sub-section (1), any person who wilfully....."

इसके बाद आते हैं उपखंड 'ए' से लेकर 'आई' तक। उसके बाद उपखंड (३) आता है। यह 'विलफुली' लफ्ज उन सबको गवर्न करता है। इसलिये तर्जुमे में गलती हो सकती है। इसलिये माननीय सदस्य को खुद अधिकार है कि वे उसको ठीक कर दें।

**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। यहां कार्य हिन्दी में होता है और कहा जाता है कि अंग्रेजी में वह विधेयक है उसका तर्जुमा हिन्दी में कराया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सही हिन्दी का माना जायगा या अंग्रेजी का।

**श्री अध्यक्ष**---हिन्दी का माना जायगा कि पास हुआ। फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में होकर अथोराइज्ड टेक्स्ट अंग्रेजी में समझा जायगा। संविधान में आप देख लें उसी के अनुसार होगा।

**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**---जहां तक मेरे निवेदन करने का मतलब है वह पूरा हो गया। यदि यही मंशा है तो भाषा प्रवर समिति में ठीक हो जायगी और मेरी आशंका यदि सही है तो उसका परिमार्जन हो जायगा। लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि हिन्दी के राजभाषा घोषित हो जाने के बाद भी आज पहले अंग्रेजी में लिखकर उसका अनुवाद हिन्दी में होता है और इसी के कारण से गलती होती है। माननीय मित्र ने जो प्रश्न अभी उठाया था उसके बारे में रूलिंग हो चुकी है कि जो ऐक्ट हिन्दी में पास हुए हैं उनमें इन्टरप्रिटेशन हिन्दी का प्रिवेल करेगा।

इसी के समकक्ष एक धारा इंडियन इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा २८ है, जिसमें लिखा हुआ है कि विद आउट रीजन, बिला काज या एक्सक्यूज अगर कोई गलती कर देता है तो दंड का भागी होगा। मैं भी कहता हूं कि जो अपराधी है उसको दंड दिया जाय। लेकिन दंड देने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसने जान-बूझकर दुर्भावना की हो, तभी वह अपराधी हो सकता है।

मैंने अभी यह धृष्टता की थी और कैमापलाजिंग शब्द का प्रयोग किया था। मैं यह कह रहा था कि ऐसी भयंकर ताकत ली गयी है कि जुर्माने को हटा कर सजा रख दी गयी है, लेकिन उसका उद्देश्य और कारणों में जिक्र तक नहीं किया गया। धारा ८ का उसमें जिक्र है जिसका जिक्र माननीय गोविन्द सिंह जी ने किया। वह मामूली सी बात है। मैं उसको इतना भयंकर नहीं मानता हूं जितना कि इसको। या यह कहें कि इसके सामने उसकी भयंकरता फीकी पड़ जाती है। ऐसी भयंकर चीज का जिक्र उद्देश्य और कारणों में नहीं किया गया। इसके माने सिवाय इसके कुछ नहीं है कि यह विधेयक ५ बजे से बजे ६ तक लिया जायगा उसमें जल्दी में बहस करने में शायद किसी का ध्यान न जाय और वैसे ही पास हो जाय, मुझे ऐसा लगता है।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पैराग्राफ ३२ में घोषणा की है कि बिक्री-कर में सुविधा दिये जाने वाली है और उसको मैंने भी यह समझा कि बहुत दिनों से यह आश्वासन है कि कुछ सुविधा दी जायगी तो उसी आधार पर कुछ सुविधा दी जाने वाली है। मैंने भी करतलध्वनि की यह समझ कर कि सरकार छोटे व्यापारियों को कुछ सुविधा अवश्य देने वाली है। लेकिन इस बिल के अध्ययन करने से मालूम हुआ कि इसके द्वारा टैक्स का बोझ और बढ़ने वाला है। यह बात बिल्कुल सही है। अगर कोई साहब बिना समझे हुए ही कोई बात कह दें तो उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैं आपके सामने इसके फैगर्स रखने की कोशिश करूंगा। इसका स्लेब जो रखा गया है वह इस तरह से पहले था कि १८ हजार रुपये तक जिसका विक्रय धन हो वह टैक्स १५० रु० देगा। उसके बाद २५ हजार से ऊपर

[ श्री जगदीशशरण अग्रवाल ]

५० हजार रु० तक ४००, ७५ हजार तक ७५० रु०, १ लाख पर १,००० रु०, २ लाख रु० पर २,००० रु०, ३ लाख रु० पर ३,००० रु० ४ लाख रु० पर ४,००० रु०, ५ लाख रु० पर ५,००० रु०, ६ लाख पर ६,००० रु०, ७ लाख रु० पर ७,००० रु०, और ७ लाख रु० के ऊपर सिर्फ ८,००० रु० टैक्स था। और आज सरकार इस विधेयक के द्वारा १ रु० सैकड़े के हिसाब से टैक्स लगाना चाहती है।

दूसरी बात सरकार यह करने जा रही है कि २५,०००रु० तक के विक्रय धन पर छूट दे रही है। सुनने में तो २५,००० रु० की रकम बहुत मामूली होती है लेकिन अगर इसकी विवेचना करूं तो मालूम होगा कि आजकल गेहूं का जैसा भाव है, मालूम नहीं माननीय मंत्री जी २५ रु० उसका भाव स्वीकार करेंगे या २६ रु० करेंगे या २७ रु० करेंगे जिस भाव पर आज गेहूं मिलेगा भी नहीं, यह ब्लैक मार्केट का रेट नहीं है, फिर भी अगर २६–२७ रु० मन गेहूं का भाव मान लें तो एक बोरी में ढाई मन गेहूं होता है और इस तरह से हिसाब लगायें तो एक आदमी यदि एक बोरी गेहूं रोज साल भर तक बेंचे तो उसका विक्रय धन २५,००० रु० होता है। तो उस तरह के आदमी को यह मुक्ति प्रदान की गयी है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। असल बात यह है कि २४,९९९ रु० तक तो छूट है लेकिन अगर २५,००० रु० का उसका विक्रय धन हो गया तो उसे एक रुपया सैकड़े के हिसाब से देना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि एक बोरी गेहूं रोज बेचने वाला किस तरह से उसका हिसाब रख सकता है, किस तरह से मुनीम और उसके लिये बही खाता रख सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि जो असेसिंग अथारिटी होगी वह अपने मन से अन्दाजन उसका असेसमेंट २५ हजार या २६ हजार रु० विक्रय धन पर कर सकती है। यह कोई केवल आशंका की बात नहीं है बल्कि वास्तव में यही होता है।

हमारे भूतपूर्व मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि १२ हजार रु० तक जिनका विक्रय धन है उनको रियायत दी जायगी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे केवल इस बात को जानने की कोशिश करें कि कितने आदमी ऐसे हैं जिनको यह सुविधा प्रदान की गयी, कितने आदमियों को उस छूट से फायदा पहुंचा? यह तो एक टेंडेंसी हो जाती है और उसी के आधार पर असेसिंग अथारिटी असेसमेंट कर दिया करती है क्योंकि उनके पास कोई हिसाब तो रहता नहीं है। १२,००० रु० से ऊपर क्यों न असेस करें, १३,००० रु० क्यों न असेस करें? इसी तरह से २५,००० रु० तक के लोगों को जो देखने में सुविधा होती है वह नहीं होगी। दूसरी चीज यह है कि २५,००० रु० के बाद जो मैंने अभी धारा पढ़ कर सुनाई किसी भी स्टेज पर उसका भी फल यही पड़ता था कि उसमें एक रुपया सैकड़ा के टैक्स आता था और आज जो टैक्स प्रस्तावित किया जा रहा है उस पर भी १ रु० टैक्स आता है। यह कहा जाता है कि २५,००० रु० से नीचे के लोगों के लिये बिल्कुल छूट दे दी। तो मैं कह चुका हूं कि वह छूट इतनी नगण्य है कि उसका मतलब ही बेकार हो जायगा और अगर मिली भी तो वह उन लोगों को करीब-करीब आज भी मिली हुई है। ७,००,००० रु० के ऊपर जिसका टर्न ओवर है वहां पहले ८,००० रु० में उसकी मुक्ति हो जाती थी। लेकिन अब १ रुपया सैकड़ा देना पड़ेगा। तो कभी-कभी हमारा दृष्टिकोण यह हो जाता है कि हमारी कोई सहानुभूति उस शख्स से नहीं है जिसका ८,००,००० रु० से ऊपर का टर्न ओवर है। प्रश्न यह है कि यह लौट फेर कर उपभोक्ता पर पड़ता है। और अगर उपभोक्ता पर बोझ न पड़ता तब तो इस सब बात की मंशा ही बेकार हो जाती है। तो उपभोक्ता पर अगर ८,००,००० रु० से ज्यादा टर्न ओवर है तो उस पर और ज्यादा बोझ पड़ गया। जो आपके इस साल के आंकड़े हैं उसमें जो इस मद से ऐस्टीमेटेड आमदनी है वह उससे ज्यादा है जितनी पिछले साल हुई थी। इसमें कोई कमी की आशंका नहीं है। विभाग अच्छी तरह से जानता है, मुमकिन है कि कुछ माननीय सदस्यों को यह बात गलत मालूम पड़े क्योंकि उसकी विवेचना की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन डिपार्टमेंट इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इस काम के बदलने से कोई रियायत हो ही नहीं रही है। और इसका सबूत यह है कि जो अनुमानित आय है इस बजट में जो प्रस्तुत किया गया है वह अनुमानित आय इस बदली हुई प्रणाली से, पहले की आमदनी से और ऐक्चुअल्स जो पिछले हैं उससे, ज्यादा है। तो माने

यह हैं कि डिपार्टमेंट अच्छी तरह से इस बात को जानता है और यह आशा की जाती है कि जानता होगा कि इस बदली हुई प्रणाली से जनता को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो श्रीमन्, मैंने जो शब्द प्रयोग करने की धृष्टता की थी वह इसलिये की थी कि जिस सुविधा की हम आशा कर रहे थे, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी थी, वह एक विडम्बना निकली।

मैं कहूंगा कि मुझे तो आज तक फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स होने का औचित्य ही नहीं मालूम पड़ा। जब हमें रुपये की जरूरत है उस समय यह कहा जाय कि हम कर छोड़ दें तो बुरा लगता है। तो आखिर पार्लियामेंट ने हमारी जिस वक्त एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट पास किया था तो वहां पर भी जनता के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी तो कुछ सोच विचार कर यह ऐक्ट पास किया था उसमें यह घोषित किया कि जो वस्तुएं कम्युनिटी के लिये ऐसेन्शियल हैं उन पर टैक्स नहीं लगें। और उसमें फूड ग्रेन्स का सबसे पहला नम्बर है। लेकिन उसमें कानून की बारीकी रह गई ऐसी कि पहले से अगर टैक्स लगा हुआ है, जब लगा हुआ है उसी के आधार पर कुछ स्टेट्स में वह टैक्स लगता रहा।

श्री अध्यक्ष---अभी आप भाषण जारी रखेंगे ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो आप कल बोलेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१९ फरवरी, १९५९।

विधान सभा सचिवालय

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर )

### परिशिष्ट

### उत्तर प्रदेश में पीतल एवं अन्य धातुओं के बर्तन बनाने वाले जिले

१—मिर्जापुर
२—फर्रुखाबाद
३—मुरादाबाद
४—कानपुर
५—अलीगढ़
६—इलाहाबाद
७—हरदोई
८—गोरखपुर
९—बहराइच
१०—बाराबंकी
११—पीलीभीत
१२—उन्नाव
१३—गोंडा
१४—मुजफ्फरनगर
१५—इटावा
१६—मेरठ
१७—बुलन्दशहर
१८—राय बरेली
१९—झांसी
२०—फतेहपुर
२१—नैनीताल
२२—शाहजहांपुर
२३—बलिया
२४—मथुरा
२५—अल्मोड़ा
२६—सुल्तानपुर
२७—हमीरपुर
२८—एटा
२९—खीरी लखीमपुर
३०—बरेली
३१—बांदा
३२—बनारस
३३—सीतापुर
३४—लखनऊ
३५—देवरिया

अध्यक्ष प्रदर्शन विभाग

# नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०२ पर )

श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय,

प्लानिंग, कानपुर ।

सूचनार्थ निवेदन है कि विकास अधिकारी महोदय देरापुर। श्री एस० एस० पान्डेय, व उनके विभागीय सहयोगी देरापुर क्षेत्र में ही काम करने वाले लोगों ने पंचायत टैक्स वसूल करने में जो धांधली व ज्यादतियां वहां के लोगों के साथ की हैं वे बड़ी ही निन्दनीय और किसी भी विभाग के लिये अशोभनीय भी हैं। इसके अलावा देरापुर विकास क्षेत्र के कर्मचारी, क्षेत्र में काम करने के लिये मिले साधनों का व अधिकारों का जैसा दुरुपयोग कर रहे हैं वह भी चिन्तनीय है। इनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं :

१—ग्राम परौख में इन लोगों ने पंचायत टैक्स वसूली के सिलसिले में यहां की साधारण जनता को बहुत ही अपमानजनक व भद्दी गालियां भी दीं और उसका विरोध करने पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके देरापुर ले आये। देरापुर ले आने पर रूप सिंह का वारन्ट बना और हवालात में बन्द किया गया।

२—ग्राम परौख में ही पुन्नी काछी जो अब मर चुका है। से जो पंचायत टैक्स वसूल होना चाहिये था उसके लिये मन्नीलाल शुक्ल का वारन्ट गिरफ्तारी निकाला गया क्योंकि मन्नीलाल शुक्ल का पुत्र रामचन्द्र शुक्ल सोशलिस्ट पार्टी में काम करता है और देरापुर तहसील सोशलिस्ट पार्टी का मंत्री है। वह अवैधानिक "पंचायत टैक्सों" का व उनकी वसूली में बरती जाने वाली धांधलियों का विरोध करता था इसीलिये उसे इस प्रकार परेशान करने की बात इन लोगों ने सोची।

३—ग्राम फतेहपुर में रहने वाला ग्राम सेवक। श्री अब्दुल रहमान या इसी प्रकार का इसका नाम है। उस गांव के लोगों व पड़ोसी गांव वालों को बहुत परेशान करता व गाली गलौज करता है।

४—ग्राम मेदामऊ में भी बिना वारन्ट के ही इन लोगों ने गांव के कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की व लोगों को परेशान किया।

५—विकास क्षेत्र में मिली हुयी जीपकार का इस्तेमाल बी० डी० ओ० महोदय के दोस्तों की बारातों के लिये खुल कर किया गया। एक बारात में जीप कार ग्राम भंडारी पर जिला इटावा (मई के मध्य में) ले जाई गयी जिसमें स्थानीय कांग्रेसी सज्जन गये थे बलाई बुजुर्ग में आने वाली बारात में दो-तीन दिन तक वह महोदय का वाहन विकास क्षेत्र देरापुर की जीप कार ही रही। बी० डी० ओ० महोदय के दोस्तों को रूरा स्टेशन तक पहुंचाने व वापसी में घर ले जाने के लिये इस जीप कार का दसियों बार प्रयोग हुआ है। पंचायत टैक्स वसूली में गिरफ्तार होने वाले लोगों को ढोने का काम यह जीप ही करती है।

६—तारीख २ जुलाई, १९५८ को देरापुर सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक प्रदर्शन तहसील भवन देरापुर के सामने होने का निश्चय हुआ था इसी निश्चयानुसार तारीख ३ जुलाई, १९५८ को सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं व किसानों ने जब तहसील भवन के सामने प्रदर्शन प्रारम्भ किया गया और अपनी मीटिंग चलानी शुरू की उसी समय विकास क्षेत्र कार्यालय देरापुर के सामने बी० डी० ओ० महोदय ने लाउड-स्पीकर पर रिकार्डिंग कर दी और इस प्रकार शोरगुल मचाया जिसमें होने वाली मीटिंग में बाधा पड़े। इस गड़बड़ी के कारण किसानों व सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं में कुछ उत्तेजना फैली। किसी प्रकार उनको शान्त रक्खा गया। लगभग एक घंटे तक वह शोरगुल मचाया जाता रहा जिसमें देरापुर विकास क्षेत्र के सभी कर्मचारियों का हाथ था।

उपर्युक्त उदाहरणों से साफ जाहिर है कि देरापुर विकास क्षेत्र कर्मचारियों ने पंचायत टैक्स की वसूली में जो तरीके अपनाये वह निन्दनीय व नितान्त अवैधानिक थे । इन लोगों ने जीप का दुरुपयोग किया जो कि आपत्तिजनक है ।

अतः आप से निवेदन है कि इन कार्यवाहियों की जांच करवायें और दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के साथ मुनासिब कार्यवाही की जाय ।

निवेदक,

(ह०) रामपाल सिंह यादव,
स्थान, सिठमरा, तहसील देरापुर,
कानपुर ।

(ह०) रामचन्द्र शुक्ला,
स्थान परोख, तहसील देरापुर,
कानपुर ।

(ह०) चन्द्र शेखर तिवारी,
ग्राम सलेमपुर, तहसील देरापुर,
जिला (कानपुर) ।

११ जुलाई, १९५८ ।

विधान सभा सदस्य प्रदेश

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

## तालिका, जिसका जिक्र श्री भजनलाल के तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में किया गया है

| क्रम-संख्या | कमेटी का नाम | कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या | बैकवर्ड (पिछड़ी) जाति के सदस्यों की संख्या | परिगणित जाति के सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी .. | १९ | ४ | ३ |
| २ | जेल गल्ला क्रय कमेटी .. | ८ | १ | .. |
| ३ | जिला आबकारी सलाह-कारणी कमेटी | १३ | ३ | २ |
| ४ | म्युनिसिपल एक्साइज लाइसेंसिंग बोर्ड | ११ | २ | १ |
| ५ | जिला टेम्परेंस सोसाइटी .. | ६० | ५ | .. |
| ६ | अंतरिम जिला परिषद् .. | ७६ | ८ | ५ |

विधान सभा सचिवालय राजस्थान

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर )

| नाम तहसील | | व्यक्तियों की संख्या जिन्हें तकावी वितरित की गई | | | रहटों की संख्या जो लगाए गए | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १९५५-५६ | १९५६-५७ | १९५७-५८ | १९५५-५६ | १९५६-५७ | १९५७-५८ |
| **जिला इटावा** | | | | | | | |
| १—भरथना | .. | ४९ | २० | १० | ४९ | २० | तकावी की रकम मार्च, १९५८ के अन्तिम दिनों में वितरित की गई अतः रहट लगन की सूचना का प्रश्न अभी नहीं उठता। |
| २—औरैया | .. | ४ | ४ | ५ | ४ | ४ | |
| ३—विधूना | .. | ६५ | ५० | ४५ | ६५ | ५० | |
| ४—इटावा | .. | ४२ | ४० | ३० | ४२ | ४० | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०६ पर)

सूची

| योजना | प्रथम पंच-वर्षीय योजना | द्वितीय पंचवर्षीय योजना (सितम्बर, १९५८ तक) |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| १—पशु पालन विकास .. .. | २,४०,८७८ | ४,८९,५३१ |
| २—घरेलू उद्योग का विकास .. .. | २,४०,०७१ | १०,१०,३८९ |
| ३—फलों व सब्जी का विकास .. .. | ७६,३६९ | ४,९२,०२० |
| ४—जड़ी बूटी विकास .. .. | २८,८२५ | ३०,४७२ |
| ५—चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य .. .. | १,९२,४९० | ३,५३,७३० |
| ६—पीने के पानी की योजना .. .. | .. | १२,३२१ |
| ७—सड़कें तथा पुलों का निर्माण .. | २२,१४,८६७ | ६६,२३,९२० |
| ८—शिक्षा .. .. | १,७३,५०६ | ७,८६,१६० |
| ९—झूला पुलों का निर्माण .. .. | .. | ५१,९२५ |
| १०—सांस्कृतिक विकास .. .. | .. | २८,४५२ |
| ११—छोटे सिंचाई कार्य .. .. | १९,२४९ | २,९०९ |
| १२—वन विकास .. .. | .. | ३०,७९५ |
| १३—राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना .. | ५३,८८३ | ६,०५,९४७ |
| १४—स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य .. | ८,९०० | .. |
| १५—स्वावलम्बी बनने की योजना .. | १२,२२४ | १५५ |
| १६—श्री बद्रीनाथ नगर की सुरक्षा के हेतु कार्य .. | .. | २,२५,२८६ |
| योग .. | ३२,६१,२६२ | १,०७,४४,०१२ |

## नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर)

### पृथक् किये जाने के कारणों तथा पदों का विवरण

| कर्मचारियों का नाम | पद | पृथक् किये जाने का कारण |
|---|---|---|
| १—श्री मनवर .. | .. मेहतर | .. असंतोष जनक उपस्थिति । |
| २—श्री फीखू .. | .. ,, | ,, ,, |
| ३—श्री पन्ना लाल .. | .. ,, | ,, ,, |
| ४—श्री जौनमाशी .. | .. लिफ्ट मैन | .. असंतोष-जनक कार्य तथा उपस्थिति । |
| ५—श्री किशोर लाल | .. कुली | .. ,, ,, |
| ६—श्री चेतराम कुरील | .. चपरासी | .. ,, ,, |
| ७—श्री चन्द्रिका प्रसाद | .. प्रेस मैन | .. असंतोष-जनक कार्य तथा परीक्षण काल में अनुपयुक्त पाये गये । |
| ८—श्री स्वामी दयाल पान्डे | .. ,, ,, | ,, ,, |
| ९—श्री सुरेन्द्र नाथ .. | .. मशीन असिस्टेंट | असंतोष-जनक उपस्थिति । |
| १०—श्री मंगल प्रसाद दुबे | .. कम्पोजीटर | .. ,, ,, |
| ११—श्री राम भरोसे दुबे | .. बढ़ई | .. नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर । |
| १२—श्री रामफल .. | .. ,, | ,, ,, |
| १३—श्री सूरज नारायण अवस्थी | .. स्टोन हैन्ड | .. असंतोष जनक उपस्थिति एवं दुराचरण । |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## परिशिष्ट 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर )

### टिहरी-गढ़वाल के जौनपुर विकास क्षेत्र में १९५६-५७ से १९५७-५८ त श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़कों की सूची

| क्रम-संख्या | सड़क का विवरण | | निर्माण की गई | मरम्मत की गई | कुल लम्बाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | से | तक | | | | |
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ | |
| | | | | | मील | फर्लांग |
| १ | जैदवार | भुगद्वार | .. | मरम्मत | ३ | ६ |
| २ | धाल | जैदवार | .. | ,, | ४ | १ |
| ३ | जैदवार | कान्डी | .. | ,, | ५ | २ |
| ४ | मासून | बोरारी | निर्माण २·० | ५·५ | ७ | ५ |
| ५ | मसरास | पन्टवारी | .. | मरम्मत | ४ | ६ |
| ६ | जैदवार | कोटी | .. | ,, | २ | ६ |
| ७ | ठाटयुर | खेरा | .. | ,, | २ | ० |
| ८ | ठाटयुर | पपरा | .. | ,, | २ | ० |
| ९ | डोगड्डा | ओन्तार | निर्माण | .. | ३ | ० |
| १० | देवलसारी | बंगसिल | ,, | .. | १ | ० |
| ११ | ठायटर | मुंडनी | ,, | .. | ३ | ० |
| १२ | डोगड्डा | सिरसा | .. | मरम्मत | ३ | ० |
| १३ | परोरी | ल्यारसी | निर्माण १·० | मरम्मत २·० | ३ | ० |
| १४ | ठाटयूरी | पारिरी | .. | मरम्मत | ३ | ० |
| १५ | खेरा | भुयनसारी | .. | ,, | २ | ० |
| १६ | ओन्तार | बंसिर | .. | ,, | २ | ४ |
| १७ | छननगांव | सुनारोन | .. | ,, | १ | ४ |
| १८ | ठाटयुर | खेरामल्ला | .. | ,, | १ | ० |
| १९ | भुयनसारी | मोलधर | .. | ,, | ३ | ० |
| २० | मोलधर | बंगसील | .. | ,, | १ | ४ |
| २१ | अऊंटुर | मंगलोरी | .. | ,, | १ | ४ |
| २२ | खैरार | भटगांव | .. | ,, | ४ | ० |
| २३ | भटगांव | धकरोली | निर्माण ५·० | मरम्मत २·० | ७ | ० |
| २४ | खैरार | पैब | .. | मरम्मत | २ | ० |
| २५ | पैब | म्यानी | निर्माण १·४ | मरम्मत १·५ | ३ | १ |
| २६ | बामनगांव | श्रीकोट | निर्माण १·० | .. | १ | ० |
| २७ | घियाकोटी | सिन्दुल | .. | मरम्मत ३·३ | ३ | ३ |
| २८ | घियाकोटी | अइन्धी | .. | मरम्मत ५·० | ५ | ० |
| २९ | अइन्धी | बामनगांव | निर्माण | .. | २ | ० |
| ३० | सिन्दूल | अइन्धी | .. | मरम्मत | ४ | ० |
| ३१ | ठाटयुर | बैंट | निर्माण २·० | मरम्मत ३·० | ५ | ० |

| क्रम संख्या | सड़क का विवरण से | तक | निर्माण की गई | मरम्मत की गई | कुल लम्बाई |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ |
| | | | | | मील फर्लांग |
| ३२ | थान–अल्मास .. | .. | .. | मरम्मत | ५ ० |
| ३३ | अल्मास–मांगरा .. | .. | निर्माण | ६·० | ६ ० |
| ३४ | अल्मास–डन्डा-की-बेली | .. | .. | मरम्मत | ४ ० |
| ३५ | भवन–बैट .. | .. | .. | ,, | ७ ० |
| ३६ | थान–भाल मगरारा .. | .. | .. | ,, | ४ ० |
| ३७ | भवन–भुयनसारी .. | .. | .. | ,, | २ ० |
| ३८ | भवग–गोरन .. | .. | .. | ,, | २ ० |
| ३९ | मेडभवन .. | .. | .. | ,, | २ ० |
| ४० | अल्मास–भवन .. | .. | .. | ,, | २ ० |
| ४१ | थानभवन .. | .. | .. | ,, | १ ० |
| ४२ | ठाट्युर भवन .. | .. | .. | ,, | ३ ० |
| ४३ | भलरारा-भऊनसारी | .. | .. | ,, | २ ० |
| ४४ | भलरारा–बैट .. | .. | .. | ,, | २ ० |
| ४५ | गोरन–कुंड .. | .. | .. | ,, | ३ ० |
| ४६ | केम्प्टी–देबिधर .. | .. | निर्माण | .. | १ ४ |
| ४७ | केम्पटी–दबला .. | .. | ,, | .. | २ ० |
| ४८ | केम्प्टी–बगलोन-की-डन्डी | .. | निर्माण १.० | मरम्मत १·० | २ ० |
| ४९ | केम्प्टी–लगवलगांव .. | .. | .. | मरम्मत | १ ० |
| ५० | जिन्सी–टुम्टा .. | .. | .. | ,, | १ ० |
| ५१ | जिन्सी–बुदागांव .. | .. | .. | ,, | १ ० |
| ५२ | लगरासो–टुनेटा .. | .. | .. | ,, | २ ० |
| ५३ | लगरासू–थपला .. | .. | .. | ,, | ४ ० |
| ५४ | काफुलटा–किनसेन .. | .. | .. | ,, | ३ ० |
| ५५ | अगियारना–कन्डाजख | .. | .. | ,, | २ ० |
| ५६ | पाली–तिमैलगांव .. | .. | .. | ,, | ३ ० |
| ५७ | तिमैलगांव–सरताली .. | .. | .. | ,, | २ ० |
| ५७ | क-सरताली–भटोली | .. | .. | ,, | ३ ० |
| ५८ | सिया–केम्प्टी .. | .. | .. | ,, | ० ४ |
| ५९ | पलोगी–रियर्न्तगांव .. | .. | .. | ,, | ० ४ |
| ६० | मंजगांव–मंजगांव-का-पुल | .. | निर्माण | .. | १ ६ |
| ६१ | मंजगांव–लमकन्ड़ी .. | .. | ,, | .. | २ ० |
| ६२ | धनोल्ती–मंजगांव .. | .. | .. | मरम्मत | ९ ० |
| ६३ | उनयलगांव–मंजगांव .. | .. | .. | ,, | ७ ० |
| ६४ | मंजगांव–सेम्वलगांव .. | .. | .. | ,, | १ ० |
| ६५ | पुजरगांव–जे० एच०-बुमुन्ड-किधर .. | | .. | ,, | ४ ० |
| ६६ | मरोरा–लमकन्ड़ी .. | .. | .. | ,, | २ ० |
| ६७ | मंजगांव–भुटसी .. | .. | .. | ,, | ३ ६ |
| ६८ | सतेंगल–डार्क .. | .. | निर्माण | .. | १ ४ |
| ६९ | तछिला–सीतारावर .. | .. | ,, | .. | ३ ० |

| क्रम-संख्या | सड़क का विवरण से | तक | निर्माण की गई | मरम्मत की गई | कुल लम्बाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ | |
| | | | | | मील | फर्लांग |
| ७० | रगरगांव–गवाली डन्डा | .. | निर्माण | .. | २ | ० |
| ७१ | डन्डा–कुक्लायलगांव | .. | .. | मरम्मत | ३ | ० |
| ७२ | एरलगांव–सेरा .. | .. | .. | ,, | १ | ० |
| ७३ | गोथ–धोल्ती .. | .. | .. | ,, | २ | ० |
| ७४ | भुटसो–जंथियलगांव | .. | .. | ,, | २ | ० |
| ७५ | ल्वरखा–ल्वरखा गधेरा | .. | .. | ,, | १ | ० |
| ७६ | कुमलधा–कुकलायलगांव | .. | .. | ,, | ४ | ० |
| ७७ | अइरलगांव–डार्क .. | .. | .. | ,, | ३ | ० |
| | | | योग | .. | २२४ | २ |

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश